रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/97

REGISTERED NO. DL-33001/97

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14, 1998/फाल्गुन 23, 1919

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14, 1998/PHALGUNA 23, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1998

का.आ. 506.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार दिनांक 26-12-1997 की समसंख्यक अधिसूचना संख्या 10478 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

शब्द "आवासीय वित्त कम्पनी के रूप में" के स्थान पर "एक कम्पनी के रूप में" पढ़ा जाये।

[अधिसूचना सं. 10537/फा.सं. 204/19/94/आयकर निर्धारण-II]

मालथी आर. श्रीधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th February, 1998

S.O. 506.—In exercise of the powers conferred in clause (viii) of sub-section (1) of Section 36 of the Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby makes the following corrections in the Notification No. 10478 dated 26-12-1997 in even number :—

The words 'as a housing finance company' should be read as 'as a company'.

[Notification No. 10537/F. No. 204|19|94|ITA-II]

MALATHI R. SRIDHARAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1998

स्टाम्प

का. आ. 507.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता को मात्र सैंतालीस लाख बयालीस हजार रु. का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है जो कि हिन्दुस्तान कॉपर लि. द्वारा 18-12-97 को आबंटित किए गए मात्र सैंतालीस करोड़ बयालीस लाख रु. के कुल मूल्य के 00001 से 004742 तक की विशिष्ट संख्या वाले प्रत्येक एक-एक लाख रु. के प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप वाले निजी तौर पर दिए गए असुरक्षित बंधपत्रों (श्रृंखला-1) पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है।

[सं.-08/98-स्टाम्प-फा. सं. 14/6/98-बि. क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th March, 1998

STAMP

S.O. 507.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits Hindustan Copper Limited, Calcutta to pay consolidated stamp duty of rupees forty seven lakhs forty two thousand only chargeable on account of the stamp duty on Privately Placed Unsecured Bonds (Series-I) in the form of promissory notes of rupees one lakh each bearing distinctive numbers from 00001 to 004742 aggregating to rupees forty seven crores forty two lakhs only allotted on 18-12-97 by Hindustan Copper Limited.

[No. 8|98-STAMPS—F. No. 14|6|98-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998

का.आ. 508.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध स्कीम, 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के साथ पठित) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ड) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एस. पी. बनर्जी विशेष सहायक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, ब्रेबोर्न रोड शाखा कलकत्ता को दिनांक 26-2-1998 से 25-2-2001 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते हैं, इनमें से जो भी पहले हो, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के निदेशक बोर्ड में निदेशक बोर्ड नियुक्त करती है।

[एफ. सं. 15/3/97-आई आर.]

डा. परमजीत सिंह सिद्धू, उप सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 26th February, 1998

S.O. 508.—In pursuance of clause (e) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Sub-clause (1) of Clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints Shri S. P. Banerjee, Special Assistant, Oriental Bank of Commerce, B/o Brabourne Road, Calcutta as a Director on the Board of Directors of Oriental Bank of Commence for a period of three years with effect from 26-2-1998 to 25-2-2001 or until he ceases to be a workman employee of Oriental Bank of Commerce whichever is earlier.

[F. No. 15/3/97-IR]

DR. PARAMJIT SINGH SIDHU, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1998

का. आ. 509.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, संलग्न अनुबंध में निम्नलिखित बैंकों के सूचीबद्ध कार्यालयों/शाखाओं को, जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

क्रम सं.	बैंक का नाम	कार्यालयों/शाखाओं की संख्या
1.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	77
2.	पंजाब नैशनल बैंक	21
3.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	14
4.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	01
5.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	32
6.	केनरा बैंक	40
		185

[फा. सं. 11016/4/97-हिन्दी]

रमेश बाबू अणियेरी, उप निदेशक (राजभाषा)

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित की जाने वाली शाखाएं/कार्यालय
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
राजभाषा विभाग
प्रधान कार्यालय : भावनगर

क्रमांक	शाखा/कार्यालय का नाम
1	2
1.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र प्रधान कार्यालय, डाक पेटी सं. 51, नीलमबाग चौक, भावनगर—364001
2.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र बोटाद शाखा, स्टेशन रोड, परा बोटाद—364710
3.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वल्लभीपुर शाखा, टावर चौक, वल्लभीपुर—364310
4.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र गुंदरणा शाखा ग्राम पंचायत भवन गुंदरणा (तालुका : महुआ) —364296
5.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र धोला शाखा धोला जंक्शन (गुजरात) पिन—364320
6.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अवाणिया शाखा तालुका : घोघा अवाणिया—364002
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र भावनगर (युनिवर्सिटी कैम्पस) युनिवर्सिटी शाखा, युनिवर्सिटी परिसर, भावनगर—304002
8.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र घोघा शाखा, बाजार, घोघा—364110
9.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र कुंभण (पालीताणा) शाखा, कुंभण—364250 तालुका : पालिताणा
10.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मोटा आगरीया शाखा, तालुका : गारीयाधार पिन—364506
11.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र पिथलपुर शाखा पिथलपुर—364135
12.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र बुधेल शाखा मेन रोड, बुधेल—364022 जिला : भावनगर
13.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र दामनगर शाखा कंपोल वाडी, दामनगर (गुजरात) —364220
14.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र धारेश्वर शाखा—364560 जिला : अमरेली
15.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र चितल शाखा, बस स्टेशन के पास, डाक पेटी सं. 1, बाजार, चितल—364620
16.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र धारी शाखा बैंक रोड, मेन बाजार, धारी—364650
17.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जालीया शाखा, बाजार, जालीया—364616
18.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र कांकच शाखा—364565 (तालुका लिलिया मोटा)
19.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र लाठी शाखा बाजार, चावंड गेट के पास, डाक पेटी सं. 2, लाठी—364430
20.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मोटा देवलिया शाखा बाजार, लुणीधर स्टेशन, तालुका : बाबरा मोटा देवलिया—364460

1	2
21.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र टीम्बी शाखा, मेन रोड, तालुका : जाफराबाद, टीम्बी—362736
22.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र आंसोदर शाखा, तालुका : लाठी, आंसोदर—364225
23.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र उपलेटा शाखा, राजमार्ग रोड, उपलेटा—360490
24.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र तिथवा शाखा, तालुका—बीकानेर तिथवा (राजकोट) —263628
25.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र धोराजी शाखा पोरबंदर रोड, डाकपेटी सं. 39, धोराजी—360410
26.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र दुबा शाखा दुबा (तालुका-बीकानेर), जिला -राजकोट —363622
27.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र खाखरेची शाखा पांजरा पोल बिल्डिंग खाखरेची—363717 जिला : राजकोट
28.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र बांकानेर शाखा प्रताप रोड, डाक पेटी सं. 2, पोस्ट आफिस के पास बांकानेर—363621
29.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र मिताणा शाखा मिताणा—363653 (तालुका : मोरबी)
30.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र मेसरीया शाखा मेन बाजार, मेसरिया (तालुका : बांकानेर) पिन—363621
31.	स्टेट बैंक सौराष्ट्र मोटी मारड शाखा बस स्टेण्ड के पास, बाजार चौक, मोटी मारंड—360421 जिला : राजकोट
32.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र पानेली मोटी शाखा बाजार, पानेली मोटी पिन —360480 (तालुका : उपलेटा) जिला : राजकोट
33.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र नवागढ़ शाखा रेलवे लाइन के पास नवागढ़—360370 (तालुका —जेमपुर)
34.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र मोवैया शाखा मोवैया—360330 तालुका : गोंडल
35.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र राजकोट (करणपारा) शाखा पुनम एपार्टमेन्ट, करण सिंह जी रोड, डाक पेटी सं. 12, राजकोट—360001
36.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र अजाब शाखा अजाब—362229 तालुका : केशोद
37.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र बालागाम शाखा बालागाम—362220 तालुका : केशोद
38.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र चोरवाड शाखा होस्पिटल रोड, चोरवाड—362250
39.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र चूडा शाखा जिला—जूनागढ़ चुडा—362021
40	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, जुनागढ़ (सर्कल चौक) शाखा, सर्कल चौक शाखा, जुनागढ़—362001

1	2
41.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, खोरासा (गिर) शाखा, गीर बाजार रोड, खोरासा (गीर) —362258 तालुका : मालिया—हाटिना
42.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, मजेवड़ी शाखा, मजेवड़ी—362011
43.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, सरदारगढ़ शाखा, सरदारगढ़—362640
44.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, तलाला (गीर) शाखा, तलाला (गीर)—362150 (जिला : जूनागढ़)
45.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, भाणवड शाखा, जवाहर रोड, भाणवड—361510
46.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, धाफा शाखा, धाफा—361210 तालुका : जामजोधपुर
47.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, जोडिया शाखा, दरबार गढ़, जोडिया—361250
48.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, जामनगर (एम पी शाह इन्ड एस्टेट) शाखा, एमपी शाह एस्टेट, मरू सेक्शन रोड, जामनगर—361002
49.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, लालपुर शाखा, लालपुर—361170 (जिला : जामनगर)
50.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, लांबा शाखा, लांबा बंदरगाह, लांबा—361322
51.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, अंजार शाखा, अंजार—370 110(कच्छ)
52.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, भचाउ, शाखा मंगलेश्वर कृपा, फुलवाड़ा, भचाउ—370140 जिला—कच्छ
53.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, मांडवी शाखा, बंदर रोड, कल्याण भुवन, मांडवी—389 230
54.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, चराडवा शाखा, चराडवा—363331
55.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, चुडा शाखा, बस स्टैंड के पास चुडा—363410
56.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, हलवद शाखा, स्टेशन रोड, लाभ कुंज, हलवद—363330
57.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, खोडु शाखा, खोडु—363041 जिला—सुरेन्द्रनगर
58.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, लिंबडी शाखा स्टेशन रोड, पोस्ट आफिस के सामने लिंबडी—363421
59.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, मूली शाखा, बिन्दीया, मूली—363510 (जिला—सुरेन्द्रनगर)
60.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, पाटडी शाखा, चोक्सी बाजार पाटडी—382765
61.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, बड़ोदरा (गेंडी गेईट) शाखा गेंडी गेईट रोड, घंटीमाआडा नाका मांडवी, पी बी सं. —106, बड़ोदरा—390017

1	2
62.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, बड़ोदरा (रावपुरा) शाखा, रावपुरा शाखा, रावपुरा, बडोदरा—390003
63.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, बड़ोदरा (मकरपुरा) शाखा, मकरपुरा शाखा, 30-31, भगत कालोनी, जीआईडीसी, मकरपुरा इन्ड. एस्टेट, बडोदरा—390010
64.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, बडोदरा (गोत्री रोड) शाखा, गोत्री रोड शाखा, सोनल बिल्डिंग के सामने गोत्री रोड, डाक पेटी सं. 505 बडोदरा—390007
65.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, बडोदरा (फतेहगंज) शाखा, फतेहगंज शाखा इगल एपार्टमेंट, फतेहगंज मुख्य मार्ग, पारसी अगियारी के सामने, बडोदरा—390002
66.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, बडोदरा (लघु उद्योग) शाखा, लघु उद्योग शाखा, प्राइम काम्प्लेक्स, श्रेयस हाईस्कूल के सामने, मांगलपुर, बडोदरा—390011
67.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, माणसा शाखा, गंज बाजार, भगवती शोपिंग सेंटर, एस टी स्टैंड के पास, माणसा—382845 (जिला : महेसाणा)
68.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, गांधीनगर (सेक्ट.-22) शाखा, गांधीनगर मुख्य शाखा, "शीवम" 314, सेक्टर-22, पहली मंजिल, जी एच-5 बस स्टोप के पास, गांधीनगर—382022
69.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, धोलका शाखा, बोम्बे हाऊस, खोखर चकला रोड, धोलका—गुजरात-387840
70.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, धंधुका शाखा, किंग एडवर्ड होस्टेल, स्टेशन रोड, धंधुका—382460
71.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, मेहसाणा शाखा, पहली मंजिल, राजमहल रोड, जनता सूपर मार्केट के पास, मेहसाणा—384001
72.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, मुम्बई (कांदीवली) शाखा, कांदीवली शाखा, राजकिरण बिल्डिंग, भूतल स्वीमिंग पूल के पास, एम. जी. रोड, कांदीवली (वेस्ट), मुम्बई-400067
73.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, मुम्बई (विलेपार्ले) शाखा, विलेपार्ले शाखा, " वर्धमान " बैकुंठभाई मेहता रोड, विलेपार्ले रोड, मुम्बई-400056
74.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, पूणे शाखा, "हरीहर" डाक पेटी सं. 745, बाजीराव मार्ग, 618, सदाशिव पेठ, बाजीराव मार्ग, पूणे-400 030
75.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, आबुरोड शाखा, मनाली होटल के पास, चेक पोस्ट के पास, आबुरोड (राजस्थान) -307501
76.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, नई दिल्ली (कनाट प्लेस) शाखा, कनाट प्लेस शाखा, सी-37, आत्माराम हाऊस, ओडीयन सिनेमा के पास कनाट प्लेस, डाक पेटी सं. 104, नई दिल्ली-110001

1	2

77. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र,
उमराला शाखा,
(बाया धोला),
उमराला (जिला—भावनगर)
पीन—364330

पंजाब नेशनल बैंक

1. पंजाब नेशनल बैंक
शाखा कार्यालय, सरिता विहार,
दक्षिणी दिल्ली,
नई दिल्ली ।

2. पंजाब नेशनल बैंक
शाखा कार्यालय, मूलचन्द काम्पलैक्स,
दक्षिणी दिल्ली,
नई दिल्ली ।

3. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय, दिलशाद गार्डन,
उत्तरी दिल्ली,
नई दिल्ली ।

4. पंजाब नेशनल बैंक
शाखा कार्यालय, नारायणा (एस एस आई)
उत्तरी दिल्ली,
नई दिल्ली ।

5. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय, पटपड़ गंज
(सी जी एच एस काम्पलैक्स)
उत्तरी दिल्ली,
नई दिल्ली ।

6. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय, गोधी रोड,
बड़ोदरा (जिला : बड़ोदरा),
गुजरात ।

7. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय, अंकलेश्वर,
जिला—भरुच, गुजरात ।

8. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय एन टी पी सी काम्पलैक्स,
हजीरा, क्वास—सूरत
(जिला—सूरत) गुजरात।

9. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय जी आई डी सी—वापी,
(जिला : बलसाड) गुजरात।

10. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय महेसाणा,
(जिला महेसाणा) गुजरात ।

1	2

11. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय सोला रोड—घाटलोडिया—अहमदाबाद
(जिला—अहमदाबाद) गुजरात ।

12. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय, सुन्दरनगर,
जिला—मण्डी (हि. प्र.)

13. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय, सातारा रोड,
पुणे (महाराष्ट्र)

14. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय, कोथरूड,
पुणे (महाराष्ट्र)

15. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय, द. मोपारोड,
जिला—मुजफ्फरनगर,
उत्तर प्रदेश

16 पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय, गांधी कालोनी,
जिला-मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश ।

17. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय, कांधला,
जिला—मुजफ्फरनगर,
उत्तर प्रदेश ।

18. पंजाब नेशनल बैंक
शाखा कार्यालय, जानसठ
जिला—मुजफ्फरनगर,
उत्तर प्रदेश ।

19. पंजाब नेशनल बैंक
शाखा कार्यालय चोसाना
जिला—मुजफ्फरनगर,
उत्तर प्रदेश ।

20. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालयय
पचेंडाकलां,
जिला—मुजफ्फरनगर,
उत्तर प्रदेश ।

21. पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा कार्यालय, पिडोरा,
जिला—मुजफ्फरनगर,
उत्तर प्रदेश ।

युनाइटेड बैंक आफ इंडिया

1. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया,
बसंतपुर पट्टी शाखा,
प्रखंड—सरैया,
डाकघर—बसंतपुरपट्टी, बाया—अखरा,
जिला—मुजफ्फरनगर (बिहार)

1	2
2.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मांछिपुर शाखा ग्राम व डाकघर–मांछिपुर थाया–सबौर, जिला–भागलपुर, पिन-813218 (बिहार)
3.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नौर शाखा, प्रखंड–नबीनगर, डाकघर–नौर जिला–औरंगाबाद, पिन-824303 (बिहार)
4.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पाटलिपुत्र कालोनी शाखा, 216, पाटलिपुत्र कालोनी, पटना-800013 (बिहार)
5.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उसरि शिकारपुर शाखा, ग्राम–उसरि, डाकघर–खगोल जिला–पटना (बिहार)
6.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया जी.टी. रोड, शाखा, 53, गुप्ता कालोनी, गाजियाबाद-201001 (उ.प्र.)
7.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद शाखा, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद-201001 (उ.प्र.) ।
8.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, मानस सरोवर कॉलोनी (अलीगढ़) शाखा, 3/270, देवेन्द्र मार्केट, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001 (उ.प्र.)
9.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बरेली शाखा 138, सिविल लाइन्स, बरेली-242001 (उ.प्र.)
10.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, फैजाबाद शाखा, 138, देवनगर, राय बरेली रोड, फैजाबाद-224001 (उ.प्र.)
11.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ शाखा, दिल्ली रोड, यू.पी. एग्रो के पास, हापुड़-245101 (उ.प्र.)
12.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, झांसी शाखा, 739, नंदनपुरा, झांसी-284003 (उ.प्र.)
13.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, शाहजहांपुर शाखा, खोया मंडी, डाकघर–केरुगंज, शाहजहांपुर–242001 (उ.प्र.)
14.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सीतापुर शाखा, हैमपुरवा, पैट्रोल पंप के सामने, शाहजहांपुर रोड, सीतापुर-261001 (उ.प्र.)
	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर,
1.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, अग्रणी बैंक कार्यालय, सिरोही जिला–सिरोही,
	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स
1.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स राजस्थान सहकारी डेरी संगठन "सरस" सांकुल जवाहर लॉल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017 (राजस्थान)
2.	ओरियन्टल बैंक आफ आमर्स, 119/470, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर-302001 (राजस्थान)
3.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, भगत सिंह सर्कल, अलवर-301001 (राजस्थान)
4	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेशन रोड, चिड़ावा-333026 (जिला झुन्झनू) राजस्थान
5.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, 131, मेन मंडी रोड, हनुमानगढ़ टाउन-335513, (जिला हनुमान गढ़) राजस्थान
6.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, 55–56, मेन बाजार, पदमपुर–335041, (जिला श्री गंगानगर), राजस्थान।
7.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, 34–35, विनोबा मार्किट, विनोबा बस्ती, श्री गंगानगर-335001 (राजस्थान)
8.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, विस्तार पटल, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (मध्य प्रदेश) लिंक रोड नं. 1, चिनार पार्क (पूर्व) भोपाल-462011 (मध्य प्रदेश)

9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
जिलाधीश कार्यालय,
कलेक्टोरेट काम्प्लेक्स,
रायपुर-492001,
(जिला रायपुर), मध्य प्रदेश,

10. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
मंगला काम्प्लेक्स,
सदर बाजार, मेन रोड,
राजनन्द गांव, 491441
(मध्य प्रदेश)

11. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
40, ट्रांसपोर्ट नगर,
कोरबा-495679,
जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

12. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
इंदिरा प्रेस, कॉम्पलैक्स
एम पी नगर, जोन-1,
भोपाल-462011
(मध्य प्रदेश)

13. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सैक्टर-20 जी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
गौतमबुद्ध नगर,
नोएडा (जिला गाजियाबाद)
पिन कोड : 201301
(उत्तर प्रदेश)

14. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
विशेषीकृत लघु उद्योग शाखा,
ए-135ए, सैक्टर-27,
नोएडा (जिला गाजियाबाद)
गौतमबुद्ध नगर,
पिन कोड 201301,
(उत्तर प्रदेश)

15. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
विशेषीकृत लघु उद्योग शाखा,
नोएडा,
दादरी रोड, गेजा मंगल,
नोएडा (जिला गाजियाबाद),
गौतम बुद्ध नगर,
पिन कोड : 201304
(उत्तर प्रदेश)

16. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
मण्डल रेलवे प्रबन्धक का कार्यालय,
उत्तर-पूर्वी रेलवे, इज्जत नगर,
बरेली-243003
(जिला बरेली) उत्तर प्रदेश

17. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
वीनस बिल्डिंग,
मोती चौक (क्लाक टावर)
रेलवे रोड, सहारनपुर-247001
(उत्तर प्रदेश)

18. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
मेहदावल रोड,
मोतीनगर, खलीलाबाद,
जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश

19. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
अम्बेडकर चौक,
धनौरा रोड, चांदपुर-246725
(जिला-बिजनौर) उत्तर प्रदेश

20. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
फैजाबाद रोड,
नाका सतरीख, बाराबंकी,
(जिला बाराबंकी),
उत्तर प्रदेश

21. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
565/क/90, सिंगार नगर गेट के सामने,
आलम बाग, लखनऊ,
(उत्तर प्रदेश)

22. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
विस्तार पटल,
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय,
सैक्टर-14, गुड़गांव-122001,
(जिला गुड़गांव) हरियाणा।

23. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
1026/7, सदर बाजार,
पुलिस चौकी के पास,
करनाल-132001,
(जिला करनाल) हरियाणा।

24. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
कैथल-चीका रोड,
सीवन-136033,
(जिला कैथल) हरियाणा

25. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
56/6, महेश नगर,
अम्बाला छावनी—133001
(जिला अम्बाला) हरियाणा।

26. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
97, सोनीपत रोड,
मानसरोवर पार्क के पास,
रोहतक-124001

27. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
परिसर सं. 180, वार्ड सं. 13,
आई.टी.आई. के सामने,
महेन्द्रगढ़-123029
(जिला महेन्द्र गढ़), हरियाणा

28. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
107, नई अनाज मंडी,
पुंडरी, (जिला कैथल),
हरियाणा ।

29. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
506 से 508/3, बस स्टैण्ड रोड,
सोहना, (जिला गुड़गांव),
हरियाणा ।

30. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
परिसर सं. 37/2/1, एच-ब्लाक के सामने,
पालम विहार, गुड़गांव-122001
हरियाणा ।

31. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
26-बी, छोटी सब्जी मंडी,
जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058

32. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
विस्तार पटल,
सेंट एन्ड्रूज़ स्कोट्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल,
9 एवेन्यू, आई. पी. एक्सटेंशन,
पटपड़गंज, दिल्ली-110092

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित की जाने वाली शाखा/कार्यालय,

1. केनरा बैंक,
देवनीकर निवास,
107/1/2/3, पुरानी कापड़ गली
लातूर-413512,
(महाराष्ट्र)

2. केनरा बैंक,
वृन्दावन,
21/22ए कृष्णा सदन,
गांधी मार्ग, वृन्दावन-281121
जिला-मथुरा (उ.प्र.)

3. केनरा बैंक,
राजामंडी,
आगरा कालेज, सप्रू होस्टल कांप्लैक्स
आगरा कालेज के सामने,
राजामंडी, आगरा-282002 (उ.प्र.)

4. केनरा बैंक,
पो.बा. सं. 1 लोभो बिल्डिंग,
कोट्टूरभाई, अल्दोना (बर्देज़)
गोवा ।

5. केनरा बैंक,
फिलिप कोर्डोसोस बिल्डिंग,
चर्च के पास, चांदोर,
सलसिटी ताल्लुका-403714,
गोवा

6. केनरा बैंक,
लेखा अनुभाग,
अंकुश आर्केड, स्टेशन रोड,
हुबली-580029

क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर

7. केनरा बैंक,
टी एस सं. 226, 227
मल्टीपर्पस कमर्शियल काम्प्लैक्स,
कार स्ट्रीट,
मंगलूर-580029

8. केनरा बैंक,
द सं. 29, 2364/5,
महाबलेश्वर बिल्डिंग,
मल्लिकट्टा कद्री,
मंगलूर-575003

9. केनरा बैंक,
27-2ए, बस स्टैण्ड के सामने,
नेशनल हाईवे,
फरंगिपेट-574143

10. केनरा बैंक,
"कृष्ण प्रसाद"
पो.बा. सं. 7
मेईन रोड, पुत्तूर-574201

11. केनरा बैंक,
मेईन रोड, कल्लगुंडी,
संपाजे-574234

12. केनरा बैंक,
पो.बा. सं. 6, 95
केनरा बैंक बिल्डिंग,
मेईन रोड,
सुरतकल-574158

13. केनरा बैंक,
श्रेयस कॉम्प्लेक्स,
मेईन रोड
सुल्लया-574239

14. केनरा बैंक,
श्री रामनाथ कामाक्षी,
प्रसाद, बंदर रोड,
गंगूली-576216

15. केनरा बैंक,
एन एच 17, मंगलूर-उडुपि रोड,
कटपाडी-674105

16. केनरा बैंक,
नेरलकेरे
तरीकेरेतालुका
हसंघट्टा-577547

17. केनरा बैंक,
एच-5/15, मंगलूर-उडुपि रोड
एर्माल सेंका-574119

18. केनरा बैंक,
बालेहोले-577179

19. केनरा बैंक,
बेलवाडी-577146
चिकममलूर जिला ।

20. केनरा बैंक,
रोटरी भवन,
जैन मंदिर रोड,
पो.बा. सं. 3
कडूर-577548

21. केनरा बैंक,
सावन बिल्डिंग,
के.एम. रोड
मूडिगेरे-577132

22. केनरा बैंक,
गुल्लमपेट,
सतिहल्ली

23. केनरा बैंक,
पोस्ट आफिस रोड,
तरीकेरे-577228

24. केनरा बैंक,
मॉडर्न काम्प्लैक्स,
पो.बा. सं. 6, मेईन रोड,
बेलूर-573115

25. केनरा बैंक,
441-442, मेईन रोड,
हलेबीडु

26. केनरा बैंक,
1503, मेईन रोड,
पहली मंजिल,
सुभाष सर्कल
होल्लेमरसीपुर

27. केनरा बैंक,
सेट्टिहल्ली-573218,
हासन तालुका

28. केनरा बैंक,
बल्लमावती-571212
मडिकेरी तालुका

29. केनरा बैंक,
थोम्सन बिल्डिंग
सिद्धथापुर (कोडगु)-571253

30. केनरा बैंक,
सरकारी प्राथमिक पाठशाला
के सामने,
बी एम रोड,
कुशालनगर-571234

31. केनरा बैंक,
'रेवरी मेन्शन'
सुंटिकोप्पा-571234

32. केनरा बैंक,
पो.बा.सं. 23
मडिकेरी रोड,
सोमवारापेट-571206

33. केनरा बैंक,
भद्रावती मेईन,
बस स्टैण्ड के सामने,
बी एच रोड,
भद्रावती-577303

34. केनरा बैंक,
प्रथम तल
ज्योति निलय,
नृपतुंगा रोड,
चन्नागिरी-577213

35. केनरा बैंक,
श्रीकंठेश निलय,
मेईन रोड, चिलूर-577230

36. केनरा बैंक,
श्रीमालथेश निलय,
शिमोगा होन्नालि रोड,
होल्लूर-577216

37. केनरा बैंक,
मेईन रोड,
कोडूर-577445

38. केनरा बैंक,
मुद्रा पेटिका,
गोविन्द कृपा बिल्डिंग,
भूतल, सागर-577201

39. केनरा बैंक,
होन्नालि रोड,
शेषाद्रिपुरम,
शिमोगा-577201

40. केनरा बैंक,
[illegible] रोड,
सोरब-577429

New Delhi, the 5th March, 1998

S.O. 509.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby, notifies the listed offices/branches of the following banks in the attached annexure, more than 80 percent of the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

S.No.	Name of the Bank	Number of offices/branches
1.	State Bank of Sourashtra :	77
2.	Punjab National Bank :	21
3.	United Bank of India :	14
4.	State Bank of Bikaner & Jaipur :	01
5.	Oriental Bank of Commerce :	32
6.	Canara Bank :	40
	Total	185

[F. No. 11016/4/97-Hindi]

REMESH BABU ANIYERY, Dy. Director (O.L.)

State Bank of Sourashtra,
Deptt. of Official Language,
H. O. Bhavnagar.
Branches/offices to be notified under Rule 10(4) of Official Languages Rules, 1976.

Sl. No.	Name of the Branch/Office
1	2
1.	State Bank of Sourashtra, Head Office, P.B. No. 51, Nilambaugh Chowk, Bhavanagar-364001.
2.	State Bank of Sourashtra, Botad Branch, Station Road, Botad-364710.
3.	State Bank of Sourashtra, Vallabhipur Branch, Tower Chowk, Vallabhipur-364310.
4.	State Bank of Sourashtra, Gundarana Branch, Gram Panchayat Building, Gundarana (Taluka Mahuva)-364296.
5.	State Bank of Sourashtra, Dhola Branch, Dhola Jn. (Gujrat)-364320.
6.	State Bank of Sourashtra, Avania Branch, Taluka Ghogha, Avania-364002.
7.	State Bank of Sourashtra, Bhavanagar (Uni. Campus) University Branch, University Premises, Bhavanagar-46364002.
8.	State Bank of Sourashtra, Ghogha Branch, Bazar, Ghogha-364110.
9.	State Bank of Sourashtra, Kumbhan (Palitana) Branch, Kumbhan-364250, Ta. Gariadhar,
10.	State Bank of Sourashtra, Mota Charodia Branch, Mota Charodia-364506. Tal. Gariadhar
11.	State Bank of Sourashtra, Pithalpur Branch, Pithalpur 364135.
12.	State Bank of Sourashtra, Budhel Branch, Main Road, Budhel-364022, Distt. Bhavanagar.
13.	State Bank of Sourashtra, Damnagar Branch, K pol Wadi, Damnagar (Gujrat)-364220.
14.	State Bank of Sourashtra, Dhareshwar Branch, Dhareshwar-364560. Distt. Amreli.
15.	State Bank of Sourashtra, Near Bus Stand, Chital Branch, P.B. No. 1, Bazar, Chital-364620.
16.	State Bank of Sourashtra, Dhari Branch, Bank Road, Main Bazar, Dhari-364640.
17.	State Bank of Sourashtra, Jalia Branch, Bazar, Jalia-364616.
18.	State Bank of Soureshtra, Krankach Branch, Krankach-364565, (Taliliya Mota)
19.	State Bank of Sourashtra, Lathi Branch, Bazar, Near Chavand Gate, P.B. No. 2, Lathi-364430.
20.	State Bank of Sourashtra, Mota Devalia Branch, Bazar, Near Unidhar Station, Ta. Babra, Mota Devalia-364460.
21.	State Bank of Sourashtra, Timbi Branch, Main Road, Ta. Jafrabad, Timbi-362736.
22.	State Bank of Sourashtra, Ansodar Branch, Ta. Lathi, Ansodar-364225.
23.	State Bank of Sourashtra, Upleta Branch, Rajmarg Road, Upleta-360490.
24.	State Bank of Sourashtra, Tithwa Branch, Ta. Wankaner, Tithawa (Rajkot)-363628.
25.	State Bank of Sourashtra, Dhoraji Branch, Porbandar Road, P.B. No. 39, Dhoraji-360410.
26.	State Bank of Sourashtra, Dhuva Branch, Dhuva (Ta. Wankaner), (Distt. Rajkot)-363622.

1	2
27.	State Bank of Sourashtra, Khakhrechi Branch, Panjara Pole Building, Khakhrechi-363717. Distt. Rajkot.
28.	State Bank of Sourashtra, Wankaren Branch, Pratap Road, P.B. No. 2, Near Post Office, Wankaner-363621.
29.	State Bank of Sourashtra, Mitana Branch, Mitana-363653, (Ta. Morbi).
30.	State Bank of Sourashtra Mesariya Branch, Main Bazar, Mesariya, Wankaner-363621.
31.	State Bank of Sourashtra, Moti Marad Branch, Near Bus Stand, Bazar Chowk, Moti Marad-360421. Distt. Rajkot.
32.	State Bank of Sourashtra, Paneli Moti Branch, Bazar, Paneli Moti-360480. (Ta. Upleta), Distt. Rajkot.
33.	State Bank of Sourashtra, Navagadh Branch, Near Railway Line, Navagadh-360370, (Ta. Jetpur).
34.	State Bank of Sourashtra, Moviya Branch, Moviya-360330, (Ta. Gondal).
35.	State Bank of Sourashtra, Rajkot (Karanpura) Branch, Punam Appartment, Karansinhji Road, P.B. No. 12, Rajkot-360001.
36.	State Bank of Sourashtra, Ajab Branch, Ajab-362229, Ta. Keshod.
37.	State Bank of Sourashtra, Balagam Branch, Balagam-362220. Ta. Keshod.
38.	State Bank of Sourashtra, Chorwad Branch, Hospital Road. Chorwad-362250.
39.	State Bank of Sourashtra, Chuda Branch, (Distt. Junagarh), Chuda-362021.
40.	State Bank of Sourashtra, Junagarh (Gir) Branch, Circle Chowk Branch, Junagarh-362001.
41.	State Bank of Sourashtra, Khorasa (Gir) Branch, Gir Bazar Road, Khorasa (Gir)-362258. Ta. Malia-Hatina.
42.	State Bank of Sourashtra, Majewadi Branch, Majewadi-362011.

1	2
43.	State Bank of Sourashtra, Sardargarh Branch, Sardargarh-362640.
44.	State Bank of Sourashtra, Talala (Gir) Branch, Talala (Gir) 362150. (Distt. Junagarh).
45.	State Bank of Sourashtra, Bhanwad Branch, Jawahar Road, Bhanwad-361510.
46.	State Bank of Sourashtra, Dhrafa Branch, Dhrafa-361210, Ta. Jamjodhpur.
47.	State Bank of Sourashtra, Jodia Branch, Darbargadh, Jodia-361250.
48.	State Bank of Sourashtra, Jamnagar (M.P. Shah Ind. Estate) Branch M.P. Shah Ind. Estate, Sharu Section Road, Jamnagar-361002.
48.	State Bank of Sourashtra, Lalpur Branch, Lalpur-361170, (Distt. Jamnagar).
50.	State Bank of Sourashtra, Bamba Branch, Lamba Bunder, Lamba-361322.
51.	State Bank of Sourashtra, Anjar Branch, Anjar-370110 (Kutch).
52.	State Bank of Sourashtra, Bhachau Branch, Mangleshwar Krupa, Phulwada, Bhachau-370140, (Distt. Kutch).
53.	State Bank of Sourashtra, Mandavi Branch, Bunder Road, Kalyan Bhavan, Mandavi-389230.
54.	State Bank of Sourashtra, Charadva Branch, Charadva-363331.
55.	State Bank of Sourashtra, Chuda Branch, Near Bus Stand, Chuda-363410.
56.	State Bank of Sourashtra, Halvad Branch, Station Road, Labhkunj, Halvad-363301.
57.	State Bank of Sourashtra, Khudu Branch, Khodu-363041, Distt. Surendranagar.
58.	State Bank of Sourashtra, Limbdi Branch, Station Road, Near Post Office, Limbdi-363421.
59.	State Bank of Sourashtra, Muli Branch, Bindiya. Muli-363510, Distt. Surendranagar.

60. State Bank of Sourashtra,
Patdi Branch,
Choksi Bazar,
Patdi-382765.

61. State Bank of Sourashtra,
Vadodara (Gendigate) Branch,
Gendigate Branch,
Gendigate Road,
Ghantiada Naka,
Mandvi, P.B. No. 106,
Vadodara-390017.

62. State Bank of Sourashtra,
Vadodara (Raopura) Branch,
Raopura Branch,
Raopura,
Vadodara-390003.

63. State Bank of Sourashtra,
Vadodara (Makarpura) Branch,
Makarpura Branch,
30-31, Bhagat Colony,
GIDC,
Makarpura Ind. Eastate,
Vadodara-390010.

64. State Bank of Sourashtra,
Vadodara (Gotri Road) Branch,
Gotri Road Branch,
Opp. Sonal Building,
Gotri Road, P.B. No. 505,
Vadodara-390007.

65. State Bank of Sourashtra,
Vadodara (Fatehganj) Branch,
Fatehganj Branch,
Eagle Apartment,
Fatehganj Main Road,
Opp. Parsi Agiari,
Vadodara-390002.

66. State Bank of Sourashtra,
Vadodara (S.S.I.) Branch,
S.S.I. Branch,
Prime Complex,
Opp. Shroyas High School,
Mangalpur,
Vadodara-390011.

67. State Bank of Sourashtra,
Manasa Branch,
Ganj Bazar,
Bhagwati Shopping Centre,
Near S.T. Bus Stand,
Manasa-382845,
Distt. Mehsana.

68. State Bank of Sourashtra,
Gandhinagar (Sector-22) Branch,
Gandhinagar Main Branch,
Shivam 314,
Sector-22, First Floor,
GH-5, Bus Stop,
Gandhinagar-382022.

69. State Bank of Sourashtra,
Dholka Branch,
Dholka House,
Khokhar Chakla Road,
Dholka-Gujrat-387840.

70. State Bank of Sourashtra,
Dhandhuka Branch,
Dhandhuka Branch, King Edward Hostel,
Station Road,
Dhandhuka-382460.

71. State Bank of Sourashtra,
Mehsana Branch,
First Floor,
Rajmahal Road,
Near Janta Super Market,
Mehsana-384001.

72. State Bank of Sourashtra,
Mumbai (Kandivali) Branch,
Kandivali Branch,
Rajkiran Building,
Ground Floor, Near Swimming Pool,
M.G. Road, Kandivali (West),
Mumbai-400067.

73. State Bank of Sourashtra,
Mumbai (Vileparle) Branch,
Vileparle Branch,
Vardhman' Vainkunthbhai Mehta Road,
Vileparle, Mumbai-400056.

74. State Bank of Sourashtra,
Pune Branch,
'Harihar', P.B. No. 745,
618, Sadashiv Marg,
Bajirao Road,
Pune-400030.

75. State Bank of Sourashtra,
Aburoad Branch,
Near Manaji Hotel,
Near Check Post,
Aburoad (Rajasthan)-307501.

76. State Bank of Sourashtra,
New Delhi (Connaught Place) Branch,
Connaught Place Branch,
C-37, Atama Ram House,
Opp. Odean Cinema,
Connaught Place, P.B. No. 104,
New Delhi-110001.

77. State Bank of Sourashtra,
Umrala Branch,
(Via Dhola),
Umrala (Distt. Bhavnagar),
Pin-364330.

PUNJAB NATIONAL BANK

1. Punjab National Bank,
BO : Sarita Vihar,
South Delhi,
New Delhi.

2. Punjab National Bank,
BO : Moolchand Complex,
South Delhi,
New Delhi.

3. Punjab National Bank,
BO : Dilshad Garden,
North Delhi,
New Delhi.

4. Punjab National Bank,
BO : Nariana (SSI),
North Delhi,
New Delhi.

5. Punjab National Bank,
BO : Patpar Ganj (CGHS Complex),
North Delhi,
New Delhi.

6. Punjab National Bank,
BO : Gotri Road,
Vadodara (Distt. Vadodara),
Gujarat.

7. Punjab National Bank,
BO : Ankleshwar,
Distt. Bharuch, Gujarat.

8. Punjab National Bank,
BO : NTPC Complex,
Hazira, Kawas-Surat,
(Distt. Surat), Gujarat.

9. Punjab National Bank,
BO : GIDC Vapi,
(Distt. Bulsad), Gujarat.

10. Punjab National Bank,
BO : Mehsana,
(Distt. Mehsana), Gujarat.

11. Punjab National Bank,
BO : Sola Road Ghatlodia,
(Distt. Ahmedabad), Gujarat.

12. Punjab National Bank,
BO : Sunder Nagar,
Distt. Mandi (H.P.).

13. Punjab National Bank,
BO . Satara Road,
Pune (Maharashtra).

14. Punjab National Bank.
BO : Koth Road,
Pune (Maharashtra).

15. Punjab National Bank,
BO : S. Bhopa Road,
Distt. Muzaffar Nagar,
Uttar Pradesh.

16. Punjab National Bank,
BO : Gandhi Colony,
Distt. Muzaffar Nagar,
Uttar Pradesh.

17. Punjab National Bank,
BO : Kanghla,
Distt. Muzaffar Nagar,
Uttar Pradesh.

18. Punjab National Bank.
BO : Jansath,
Distt. Muzaffar Nagar,
Uttar Pradesh.

19. Punjab National Bank,
BO : Chausana,
Distt. Muzaffar Nagar,
Uttar Pradesh.

20. Punjab National Bank,
BO : Puncheda Kalan,
Distt. Muzaffar Nagar,
Uttar Pradesh.

21. Punjab National Bank,
BO : Pindora,
Distt. Muzaffar Nagar,
Uttar Pradesh.

UNITED BANK OF INDIA

1. United Bank of India,
Basantpur Patti Branch,
Block-Saraiya,
P.O. Basantpur Patti,
Via-Bakhra,
Distt. Muzaffarpur (Bihar).

2. United Bank of India,
Machhipur Branch,
Vill. & P.O. Machhipur,
Via Sabour,
Distt. Bhagalpur,
Pin-813210 (Bihar).

3. United Bank of India,
Naur Branch,
Block Nabinagar,
P.O. Naur,
Distt. Aurangabad,
Pin-824303 (Bihar).

4. United Bank of India,
Patliputra Colongy Branch,
216, Patliputra Colony,
Patna-800013 (Bihar).

5. United Bank of India,
Usri Shikarpur Branch,
Vill. Ushri,
P.O. Khagoul,
Distt. Patna (Bihar).

6. United Bank of India.
G.T. Road Branch,
53, Gupta Colony,
Ghaziabad-201001 (U.P.).

7. United Bank of India,
Ghaziabad Branch,
Navyug Market,
Ghaziabad-201001 (U.P.).

8. United Bank of India,
Manas Sarovar Colony (Aligarh) Branch,
3/270, Devendra Market,
Ramghat Road,
Aligarh-202001 (U.P.).

9. United Bank of India,
Bareilly Branch,
138, Civil Lines,
Bareilly-242001 (U.P.).

10. United Bank of India,
Faizabad Branch,
138, Deo Nagar,
Rai Bareilly Road,
Faizabad-224001 (U.P.).

11. United Bank of India,
Hapur Branch,
Delhi Road, Near U.P. Agro,
Hapur-245101 (U.P.).

12. United Bank of India,
Jhansi Branch,
739, Nandanpura,
Jhansi-284003 (U.P.).

13. United Bank of India,
Shahjahanpur Branch,
Khoya Mandi, P.O. Keruganj,
Shahjahanpur-242001 (U.P).

14. United Bank of India,
Sitapur Branch,
Hempurwa, Opp. of Petrol Pump,
Shahjahanpur Road,
Sitapur-261001 (U.P.).

STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR

1. State Bank of Bikaner and Jaipur,
Lead Bank Office, Sirohi,
Distt. Sirohi,
Rajsthan.

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

1. Oriental Bank of Commerce,
Rajasthan Co-op. Dairy Fed.
'Saras', Sankul,
Jawahar Lal Nehru Marg,
Indira Press Complex,

2. Oriental Bank of Commerce,
119/470, Aggarwal Farm,
Mansarovar,
Jaipur-302001 (Rajasthan)

3. Oriental Bank of Commerce,
Urban Improvement Trust,
Bhagat Singh Circle,
Alwar-301001 (Rajasthan)

4. Oriental Bank of Commerce,
Station Road,
Chirawa-333026,
(Distt. Jhunjhunu) (Rajasthan)

5. Oriental Bank of Commerce,
131, Main Mandi Road,
Hanumangarh Town-335513,
(Distt. Hanumangarh) Rajasthan

6. Oriental Bank of Commerce,
55-56, Main Bazar,
Padampur-335041
(Distt. Ganganagar) Rajasthan

7. Oriental Bank of Commerce,
34-35, Vinoba Market, Vinoba Basti,
Sriganganagar-335001 (Rajasthan)

8. Oriental Bank of Commerce,
Vyavasayik Pariksha Mandal (Madhya Pradesh)
Link Road No. 1,
Chinar Park (East)
Bhopal-462011 (Madhya Pradesh)

9. Oriental Bank of Commerce,
Distt. Courts,
Collectorate Complex,
Raipur-492001
(Distt. Raipur) Madhya Pradesh

10. Oriental Bank of Commerce,
Mangla Complex,
Sadar Bazar, Main Road,
Rajnandgaon-491441
(Madhya Pradesh)

11. Oriental Bank of Commerce,
40, Transport Nagar,
Korba
Distt. Bilaspur, (M.P.)

12. Oriental Bank of Commerce,
Indira Press Complex,
M.P. Nagar, Zone-I
Bhopal-462011
(M.P.)

13. Oriental Bank of Commerce,
Greater Noida Industrial Development
Authority, Sector-20-G,
Commercial Complex, Gautam Budh Nagar
NOIDA (Distt. Ghaziabad)
Pin-201301
(U.P.)

14. Oriental Bank of Commerce,
Specialised SSI Branch,
A-135 A, Sector 27,
NOIDA (Distt. Ghaziabad)
Gautam Budh Nagar
Pin 201301
(U.P.)

15. Oriental Bank of Commerce,
Specialised SSI Branch,
NOIDA
Dadri Road, Gejha-Bhangel
NOIDA (Distt. Ghaziabad)
Gautam Budh Nagar
Pin 201304
(U.P.)

16. Oriental Bank of Commerce,
Divisional Railway Manager's Office
North Eastern Railway, Izzat Nagar
Bareilly-243003
(Distt. Bareilly), U.P.

17. Oriental Bank of Commerce,
Venus Building
Moti Chowk (Clocktower)
Railway Road
Saharanpur-247001
(U.P.)

18. Oriental Bank of Commerce,
Mehdawal Road,
Moti Nagar, Khalilabad
Distt. Basti, U.P.

19. Oriental Bank of Commerce,
Ambedkar Chowk,
Dhanaura Road,
Chandpur-246725
(Distt. Bijnor), U.P.

20. Oriental Bank of Commerce,
Faizabad Road
Naka Satredh
Barabanki
(Distt. Barabanki) U.P.

21. Oriental Bank of Commerce,
565/ka/90
Opp. Sangar Nagar Gate
Alambagh
Lucknow (U.P.)

22. Oriental Bank of Commerce,
Extn. Counter
HUDA Office
Sector-14,
Gurgaon-122001
(Distt. Gurgaon), Haryana

23. Oriental Bank of Commerce,
1026/7 Sadar Bazar
Near Police Post,
Karnal-132001
(Distt. Karnal), Haryana

24. Oriental Bank of Commerce,
Kaithal-Cheeka Road
Siwan-136033
(Distt. Kaithal), Haryana

25. Oriental Bank of Commerce,
56/6, Mahesh Nagar
Ambala Cantt-133001
(Distt. Ambala Cantt.), Haryana

26. Oriental Bank of Commerce,
97, Sonepat Road
Near Mansorowar Park
Rohtak-124001

27. Oriental Bank of Commerce,
H. No. 180, Ward No. 13
Opp. I.T.I.
Mahendergarh-123029
(Distt. Mahendergarh), Haryana

28. Oriental Bank of Commerce,
107, New Anaj Mandi,
Pundri
(Distt. Kaithal), Haryana

29. Oriental Bank of Commerce,
506 to 508/3
Bus Stand Road,
Sohna
(Distt. Gurgaon), Haryana

30. Oriental Bank of Commerce,
Premises No 37/2/1,
Opp. H-Block,
Palam Vihar
Gurgaon-122001, Haryana

31. Oriental Bank of Commerce,
26-B Chhoti Subzi Mandi,
Janakpuri
NewDelhi-110058

32. Oriental Bank of Commerce,
Extn. Counter
St Andrews Scots Sr. Sec. School
9th Avenue, I.P. Extention,
Patpar Ganj
Delhi-110092

Branches/Offices to be notified under *Rule 10(4) of Official* Languages Rules, 1976.

1. Canara Bank
Devnikar Niwas
107/1/2/3
Old Kapad Lane
Latur-413512
(Maharashtra)

2. Canara Bank
Vrindavan
21/22, Krishna Sadan
Gandhi Marg
Vrindavan-281121
Distt. Mathura (U.P.)

3. Canara Bank
Raja Mandi
Agra College, Saparu Hostel Complex
Opposite Agra College, Raja Mandi
Agra-282002 (U.P.)

4. Canara Bank
P.B. No. 1
Lobo Building
Cottorbhai
Aldona (Bardez)
Goa

5. Canara Bank
Philip Cardoso's Bldg.
Near Church, Chandor
Saleete Taluk-403714
Goa

Regional Office Hqr.

6. Canara Bank
Accounts Section
Ankush Arcade
Station Road
Hubli-580029.

Regional Office Manager

7. Canara Bank
TS No. 226, 227
Multipurpose Commercial Complex
Car Street
Mangalore-575001

8. Canara Bank
D. No. 29, 2364/5
Mahabaleshwar Building
Mallikatta Kadri
Mangalore-575003

9. Canara Bank
27-2 A, Opp. Bus Stand
National Highway
Farangipet-574143

10. CanaraBank
'Krishna Prasad'
P.B. No. 7
Main Road
Puttur-574201

11. Canara Bank
Main Road
Kallagundi
Sampaje-574234

12. Canara Bank
P.B. No. 6, 95
Canara Bank Building
Main Road
Surathkal-574158

13. Canara Bank
Shreyas Complex
Main Road
Sullia-574158

14. Canara Bank
Sri Ramnath Kamakshi
Prasad, Bunder Road
Gangulli-576216

15. Canara Bank,
N H 17, Magalore-Udupi Road,
Katapadi-574 106.

16. Canarag Bank,
Neralkere,
Tarilkere Taluk,
Hansaghatta-577 547.

17. Canara Bank,
H 5/15, Mangalore-Udupi Road,
Yermal Thenka-574 119.

18. Canara Bank,
Balehole-577 179.

19. Canara Bank,
Belavadi-577 146.
Chickmagalur Dist.

20. Canara Bank,
Rotary Bhavan,
Jain Temple Road,
P.B. No. 3,
Kadur-577 548.

21. Canara Bank,
Savan Building,
K. M. Road,
Mudigere-577 132.

22. Canara Bank,
Gullampet,
Sathihalli,

23. Canara Bank,
Post Office Road,
Tarikere-577 228.

24. Canara Bank,
Modern Complex,
P. B. No. 6, Main Road,
Belur-573115.

25. Canara Bank,
441-442, Main Road,
Halebeedu.

26. Canara Bank,
1503, Main Road,
First Floor,
Subhash Circle,
Holenarasipur.

27. Canara Bank,
Settihally-573 218,
Hassan Taluk.

28. Canara Bank,
Ballamavathi-571 212,
Madikeri Taluk.

29. Canara Bank,
Thomson Building,
Siddapur (Kodagu)-571-253.

30 Canara Bank,
Opp. Government Primary,
School,
B. M. Road,
Kushalnagar-571 234.

31. Canara Bank,
'Reverie Mansion',
Suntikoppa-571 237.

32. Canara Bank,
P. B. No. 23,
Madikeri Road,
Somwarpet-571 206.

33. Canara Bank,
Bhadravathi Main,
Opp. Bus Stand,
B. H. Road,
Bhadravathi-577 303.

34. Canara Bank,
First Floor,
Jyothi Nilaya,
Nrupathunga Road,
Channagiri-577 213.

35. Canara Bank,
Srikantesh Nilaya,
Main Road,
Chillur-577 230.

36 Canara Bank,
Sri Malthesh Nilaya,
Shimoga Honnali Road,
Holalur-577 216.

37. Canara Bank,
Main Road,
Kodur-577 445.

38. Canara Bank,
Currency Chest,
Gov'nd Kripa Building,
Ground Floor,
Sagar-577 201.

39. Canara Bank,
Honnali Road,
Sheshadripuram,
Shimoga-577 201.

40. Canara Bank,
Ranga Kripa,
Main Road,
Sorab-577 429.

मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय

अहमदाबाद, 28 जनवरी, 1998

(आयकर)

का.आ. 510—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा ता. 30-3-1988 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी एवम् बोर्ड के पत्र फा.न 11019/22/89-एस-6, ता. 9-10-1992 के अनुसार संशोधित किये जाने के पश्चात् समान धारा के तहत समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना न. 7818, फा. न. 187/5/88-आई टी ए/1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय में पारित किये गये पिछले आदेशों को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए, इसके द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम 2 विनिर्दिष्ट किये गये मुख्यालयों से सम्बद्ध उक्त अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित आयकर आयुक्त, उसके कालम 3 में उल्लिखित ऐसे समस्त मामलों अथवा मामला प्रवर्गों के विषय में एकाकी रूप से अपने समस्त दायित्वों का पालन करेंगे, जो मामले समान कालम में उल्लिखित निर्धारण रेंजों तथा विशेष रेंजों के अन्तर्गत सेवारत निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित होते हों या निर्धारण योग्य हों।

अनुसूची

आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
आयकर आयुक्त, गांधी-नगर	गांधीनगर	अपर आयकर आयुक्त/आयकर उप-आयुक्त, गांधी नगर रेंज, गांधी नगर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिनके निवास या व्यापार-व्यवसाय के स्थान हों और, अन्यथा, उक्त प्राधिकारी द्वारा जो निर्धारित होते हों अथवा निर्धारण-योग्य हों ऐसे सभी व्यक्ति।
आयकर आयुक्त	अहमदाबाद	ऐसे सभी व्यक्ति जो अपर आयकर आयुक्त/आयकर उप-आयुक्त की निम्नलिखित रेंजों और स्पेशल रेंजों की अधिकारिता के अन्तर्गत निर्धारित होते हों/निर्धारण-योग्य हों :— रेंज–4, अहमदाबाद रेंज–6, अहमदाबाद रेंज–8, अहमदाबाद आयकर उप निदेशक (छूट), अहमदाबाद स्पेशल रेंज–5, अहमदाबाद स्पेशल रेंज–11, अहमदाबाद

यह आदेश ता. 28–01–1998 से प्रभावी होगा।

[सं. सी सी (अ.)/(तक)/1207/88]

जे.एम. मेहरा, मुख्य आयकर आयुक्त

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX

Ahmedabad, the 28th January, 1998

(INCOME-TAX)

S.O. 510.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 and the notification of the Central Board of Direct Taxes No. 7818 F.No. 187/3/88-ITA/1 dated 30-3-1988 issued by the Central Board of Direct Taxes as modified by letter F.No. 11019/22/89/Ad. VI dated 9-10-1992 of the Central Board of Direct Taxes and as amended from time to time issued under the said section in this behalf, in partial modification of the earlier orders, the Chief Commissioner of Income Tax Ahmedabad hereby notifies that the Commissioners of Income Tax specified in column 1 of Schedule hereto annexed with Headquarters specified in column 2 below shall alone perform functions in respect of such cases or classes of cases who are assessed/assessable by the Assessing Officers functioning under the Ranges and Special Ranges as shown in column 3 of the said schedule.

SCHEDULE

Commissioner of Income Tax	Headquarters	Jurisdiction
1	2	3
Commissioner of Income Tax, Gandhinagar.	Gandhinagar	All persons residing in or having their principal place of business or vocation in the territorial areas or otherwise assessed/assessable under the jurisdition of Additional Commissioner/Deputy Commissioner of Income Tax, Gandhinagar Range, Gandhinagar.
Commissioner of Income Tax, Gujarat-III, Ahmedabad	Ahmedabad	All the persons assessed/assessable under the jurisdiction of Additional Commissioners/Deputy Commissioners of Income Tax of Ranges and Special Ranges as under:— Range 4, Ahmedabad Range 6, Ahmedabad Range 8, Ahmedabad D.D.I.T. (Extension), Ahmedabad Special Range 5, Ahmedabad Special Range 11, Ahmedabad

2. This order shall take effect from 29-01-1998.

[No. DC(HQ)(Tech)/1207/88]

J.M. MEHRA, Chief Commissioner of Income Tax

विदेश मंत्रालय

(कौंसुलर अनुभाग)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998

का.आ. 511—राजपत्रित कौंसली अधिकारी (शपथ एवम् शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का प्रधान कौंसलावास हमबर्ग में सहायक श्री श्वेताभ दधलिश, 15 दिसम्बर, 1997 से "सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

[सं. टी. 4330/2/96]

एम.यू. अवीराचन, अवर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Consular Section)

New Delhi, the 26th February, 1998

S.O. 511.—In pursuance of the Clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises SHRI SHWETABH DUBLISH, ASSISTANT in the Consulate General of India, Hamburg to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 15-12-1997.

[No. T. 4330/2/96]

N. U. AVIRACHEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998

का.आ. 512.—राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवम् शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41 वां) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का दूतावास खारतुम में सहायक श्री देवेन्दर अरोरा को 12 फरवरी, 1998 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/2/96]

एन. यू. अवीराचन, अवर सचिव

New Delhi, the 26th February, 1998

S.O. 512.—In pursuance of the Clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises SHRI DEVENDER ARORA, ASSISTANT in the Embassy of India, Khartoum to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 12-2-1998.

[No. T. 4330|2|96]

N. U. AVIRACHEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998

का.आ. 513.—राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवम् शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41 वां) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का प्रधान कौंसलवास, जनजीबार में सहायक श्री नीरज कुमार जसवाल, 24 अगस्त, 1994 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/2/963]

एन. यू. अवीराचन, अवर सचिव

New Delhi, the 26th February, 1998

S.O. 513.—In pursuance of the Clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises SHRI NIRAJ KUMAR JAISWAL, ASSISTANT in the Cosulate General of India, Zanzibar to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 24-8-1994.

[No. T. 4330|2|96]

N. U. AVIRACHEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998

का.आ. 514.—राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवम् शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41 वां) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का दूतावास, रियाध में एल डी सी श्री लक्ष्मी नारायण, 20 फरवरी, 1998 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/2/96]

एन. यू. अवीराचन, अवर सचिव

New Delhi, the 26th February, 1998

S.O. 514.—In pursuance of the Clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises SHRI LAXMI NARAIN, LDC in the Embassy of India, Riyadh to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 20-2-1998.

[No. T. 4330|2|96]

N. U. AVIRACHEN, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1998

का.आ. 515.—शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 5 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/19/80-ई आई एण्ड ई पी का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए जा चुके संबंधित कार्यों अथवा करने से रह गए कार्यों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव (राजस्व-6) को उन क्षेत्रों के लिए पदेन उप शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है जो उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

[फाइल सं. 12/19/80-ई आई एण्ड ई पी]

कश्मीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 2nd March, 1998

S.O. 515.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968) and in supersession of the notification No. 12/19/80-EI&EP published in the Gazette of India Part I Section I dated 5th April, 1994 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints Special Secretary (Revenue-6) of the Government of Uttar Pradesh to act as ex-officio Deputy Custodian of Enemy Property for the areas falling within territories of the State of Uttar Pradesh.

[F. No. 12/19/80-EI&EP]

KASHMIR SINGH, Under Secy.

पर्यटन विभाग

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1998

का.आ. 516.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में पर्यटन विभाग के अधीनस्थ भारत पर्यटन विकास निगम के अधीनस्थ निम्न होटल को अधिसूचित करती है, जहां के 80% कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

होटल बोधगया अशोक, बोधगया

[सं. ई-11016 (1)/98-रा.भा.]

जय भाम नारमोली, उप निदेशक (राजभाषा)

DEPARTMENT OF TOURISM

New Delhi, the 27th January, 1998

S.O. 516.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purpose of the Union) Rule, 1976, the Central Government, hereby notifies, the following subordinate hotel of I.T.D.C. under Department of Tourism. the 80% staff where of, have acquired working knowledge of Hindi :—

Hotel Bodhgaya Ashok, Bodhgaya.

[F. No. E-11016(1)/98-O.L.]
CHANDER BHAN NARMAULI, Dy. Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1998

का.आ. 517.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 7 की उपधारा (4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में डा. रविन्द्रपाल कौर प्राचार्य, गवर्नमेंट मैडिकल कालेज, पटियाला को पंजाबी विश्वविद्यालय का सीनेट द्वारा डा. बलजीत सिंह का आकस्मिक रिक्ति में 25 नवम्बर, 1999 तक की अवधि के लिये भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 138, तारीख 9 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करता है।

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित शीर्षक" के अधीन, क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जायेंगी। अर्थात् :—

"28 डा. रविन्द्रपाल कौर   पंजाबी विश्वविद्यालय".
प्राचार्य
गवर्नमेंट मैडिकल कालेज,
पटियाला

[सं. वी.-11013/5/97-एम.ई. (यू.जी.)]
एस.के. मिश्रा, डैस्क अधिकारी

पाद टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 138 तारीख 9-1-1960 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 9th February, 1998

S.O. 517.—Whereas in pursuance of Sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) read with sub-section (4) of Section 7 of the said Act, Dr. Ravindarpal Kaur, Principal, Govt. Medical College, Patiala has been elected by the Senate of the Punjabi University to be a member of Medical Council of India in the casual vacancy of Dr. Baljit Singh, for the period upto 25th November, 1999.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the then Ministry of Health, No. S.O. 138, dated the 9th January, 1960 namely:—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3" for serial number 28 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted :—

Punjabi University"

"28 Dr. Rainderpal Kaur,
Principal,
Govt. Medical College,
Patiala.

[No. V-11013/5/97-ME(UG)]
S. K. MISHRA, Desk Officer

Foot Note :

The principal notification was published in the Gazette of India vide notification No. S.O. 138, dated the 9-1-1960.

(भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1998

का.आ. 518.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा, केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 के उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची के भाग 1 में, "बिहार" शीर्षक के अधीन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा से संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने स्तम्भ (2), स्तम्भ (3)

और स्तम्भ (4) में की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

2	3	4
"विद्या वारिधि	(पी. एच डी) आयुर्वेद	1974 से 1988 तक"

[फा.सं वी. 26015 (1)/92-आई एस एम (तकनीकी)]
कंवल दास, अवर सचिव

नोट :—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची को उक्त अधिनियम के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिसूचना संख्या द्वारा प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :

1. सा.का. 4068 तारीख 30 नवम्बर, 1978
2. सा.का. 2635 तारीख 18 सितम्बर, 1980
3. सा.का. 2313 तारीख 20 अगस्त, 1981
4. सा.का. 2314 तारीख 22 अगस्त, 1981
5. सा.का. 137 तारीख 24 दिसम्बर, 1981
6. सा.का. 638 तारीख 25 जनवरी, 1982
7. सा.का. 661 तारीख 2 फरवरी, 1982
8. सा.का. 973 तारीख 28 फरवरी, 1982
9. सा.का. 354(अ) तारीख 6 मई, 1983
10. सा.का. 3350 तारीख 5 सितम्बर, 1983
11. सा.का. 804(अ) तारीख 11 नवम्बर, 1983
12. सा.का. 462(अ) तारीख 23 जून, 1984
13. सा.का. 1191 तारीख 17 अप्रैल, 1985
14. सा.का. 2745 तारीख 29 मई, 1985
15. सा.का. 3404 तारीख 5 जून, 1985
16. सा.का. 4057 तारीख 14 अगस्त, 1985
17. सा.का. 5603 तारीख 2 दिसम्बर, 1985
18. सा.का. 5671 तारीख 5 दिसम्बर, 1985
19. सा.का. 832 तारीख 17 फरवरी, 1986
20. सा.का. 1832 तारीख 16 अप्रैल, 1986
21. सा.का. 627 तारीख 2 फरवरी, 1987
22. सा.का. 760 तारीख 25 फरवरी, 1987
23. सा.का. 1030 तारीख 30 मार्च, 1987
24. सा.का. 1946 तारीख 9 जुलाई, 1987
25. सा.का. 3186 तारीख 30 दिसम्बर, 1987
26. सा.का. 1697 तारीख 15 अप्रैल, 1988
27. सा.का. 1504 तारीख 22 अप्रैल, 1988
28. सा.का. 1040 तारीख 6 अप्रैल, 1989
29. सा.का. 1910 तारीख 21 जुलाई, 1989
30. सा.का. 2177 तारीख 14 अगस्त, 1989
31. सा.का. 2594 तारीख 21 सितम्बर, 1989
32. सा.का. 969(अ) तारीख 29 नवम्बर, 1989
33. सा.का. 2552 तारीख 22 अगस्त, 1990
34. सा.का. 3246 तारीख 31 अक्तूबर, 1990
35. सा.का. 2669 तारीख 29 अगस्त, 1991
36. सा.का. 630 तारीख 17 जनवरी, 1992
37. सा.का. 1435 तारीख 7 मई, 1992
38. सा.का. 3110 तारीख 11 अक्तूबर, 1994
39. सा.का. 3375 तारीख 18 अक्तूबर, 1996
40. सा.का. 923 तारीख 29 दिसम्बर, 1997

(Bharatiya Chikitsa Paddhyati and Homoeopathy Vibhag)

New Delhi, the 17th February, 1998

S.O.513...—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1978 (48 of 1978), the Central Government, after consulting the Centralcouncil of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In part I of the said Schedule, under the heading "Bihar", against serial number 9 relating to Kameshwar Singh Dharbhanga Sanskrit University, Dharbhanga, after the entries in columns 2, 3 and 4, the following entries shall inserted, namely :—

2	3	4
"Vidya Varidhi	(Ph. D.) Ayurved	From 1974 to 1988."

[File No. V. 26015/1/92-AE/ISM(Tech)]
KANWAL DASS, Under Secy,

Note :— The Second Schedule and Fourth Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) has been subsequently amended vide :—

1. S.O. 4068, dated the 30th November, 1979.
2. S.O. 2635, dated the 18th September, 1980.
3. S.O. 2313, dated the 20th August, 1981.
4. S.O. 2314, dated the 22nd August, 1981.
5. S.O. 137, dated the 24th December, 1981.

6. S.O. 638, dated the 25th January, 1982.
7. S.O. 661, dated the 2nd February, 1982.
8. S.O. 973, dated the 20th February, 1982.
9. S.O. 354(E), dated the 6th May, 1983.
10. S.O. 3550, dated the 5th September, 1983.
11. S.O. 804(E), dated the 11th November, 1983.
12. S.O. 462(E), dated the 23rd June, 1984.
13. S.O. 1911, dated the 17th April, 1985.
14. S.O. 2745, dated the 29th May, 1985.
15. S.O. 3404, dated the 5th July, 1985.
16. S.O. 4057, dated the 14th August, 1985.
17. S.O. 5603, dated the 2nd December, 1985.
18. S.O. 5671, dated the 5th December, 1985.
19. Inserted by S.O. 822, dated 17-2-86.
20. Inserted by S.O. 1832, dated 16-4-86.
21. S.O. 627, dated the 2nd February, 1987.
22. S.O. 760, dated the 25th February, 1987.
23. S.O. 1030, dated the 30th March, 1987.
24. S.O. 1946, dated the 9th July, 1987.
25. S.O. 3186, dated the 30th October, 1987.
26. S.O. 1697, dated the 15th April, 1988.
27. S.O. 1504, dated the 22nd April, 1988.
28. S.O. 1040, dated the 6th April, 1989.
29. S.O. 1910, dated the 21st July, 1989.
30. S.O. 2177, dated the 14th August, 1989.
31. S.O. 2594, dated the 21st September, 1989.
32. S.O. 969, dated the 29th November, 1989.
33. S.O. 2552, dated the 22nd August, 1990.
34. S.O. 3246, dated the 31st October, 1990.
35. S.O. 2669, dated the 29th August, 1991.
36. S.O. 630, dated the 17th January, 1992.
37. S.O. 1435, dated the 7th May, 1992.
38. S.O. 3110, dated the 11th October, 1994.
39. S.O. 3375, dated the 18th October, 1996.
40. S.O. 923, dated the 29th December, 1997.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998

का.आ. 519.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 7 की उपधारा (4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की कोर्ट द्वारा डा. एन. एन. बर्मन, प्रिंसिपल, गुवाहाटी मैडिकल कालेज, गुवाहाटी को 23-12-97 को डा. ए. के. बरुआ के स्थान पर उनके शेष कार्यकाल के लिये अर्थात् 23-12-97 से 6-1-99 तक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 138, दिनांक 9 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन "निर्वाचित" शीर्षक के अधीन" क्रम संख्या 15 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"डा. एन.एन. बर्मन, प्रिंसिपल, गुवाहाटी मैडिकल कालेज, गुवाहाटी–781032	गुवाहाटी विश्वविद्यालय"

[संख्या वी.–11013/2/97–एम ई (यू.जी.)]

एस.के. मिश्रा, डैस्क अधिकारी

टिप्पण : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 138, दिनांक 9 जनवरी, 1960 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

New Delhi, the 26th February, 1998

S.O. 519.—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) read with sub-section (4) of section 7 of the said Act, Dr. N.N. Barman, Principal Gauhati Medical College, Guwahati has been elected by the Court of Gauhati University on 23rd December, 1997 to be a member of Medical Council of India in place of Dr. A. K. Barooah for the remaining period of his term, i.e. with effect from 23-12-1997 upto 6-1-1999.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Govt. of India in the erstwhile Ministry of Health number S.O. 133, dated the 9th January, 1960, namely:—

In the said notification under the heading "Elected" under clause (b) of sub-section (1) of section 3" for serial number 15 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"15. Dr. N.N. Barman, Principal, Gauhati Medical College, Guwahati–781032	Gauhati University"

Principal,
Gauhati Medical College,
Gauhati-781032.

[No. V-11013/2/97-ME(UG)]

S. K. MISHRA, Desk Officer

Footnote : The Principal notification was published in the Gazette of India vide notification number S.O. 138 dated the 9th January, 1960.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998

का.आ. 520.- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में बरहामपुर विश्वविद्यालय की सीनेट ने डा. राधा माधव त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर पी एस एम, एम के सी जी, मैडिकल कालेज, बरहामपुर को 7 अगस्त, 1999 तक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के सदस्य के रूप में चयन किया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार के दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 138 में और एतद्द्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत निर्वाचित" शीर्षक में क्रम संख्या 39 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां दर्ज की जायेंगी :—

"39 डा. राधा माधव त्रिपाठी बरहामपुर
एसोसिएट प्रोफेसर एस.पी.एम., विश्वविद्यालय"
एम.के. सी.जी. मैडिकल कालेज,
बरहामपुर,
पिन : 760007(उड़ीसा)

[स.बी.-11013/2/98-एम.ई. (यू.जी.)]

एस.के. मिश्रा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th February, 1998

S.O. 520.—In pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. Radha Madhav Tripathy, Associate Professor of P.S.M., M.K.C.G. Medical College, Berhampur has been elected by the Senate of the Berhampur University to be a member of the Medical Council of India upto 7th August, 1999.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health S. O. No. 138, dated the 9th January, 1960, namely:—

In the said notification under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3," for serial No. 39, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted.

"39. Dr. Radha Madhav Tripathy, Associate Professor of S.P.M., M.K.C.G. Medical College, Berhampur. PIN : 760 007 (Orissa). — Berhampur University"

[No. V-11013/2/98-ME(UG)]

S. K. MISHRA, Desk Officer

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1998

का.आ. 521 .— केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारणी

अधिकारी का नाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
उप मुख्य इंजीनियर, निगमित कार्यालय, बेलापुर भवन, सीबीडी बेलापुर, नई मुम्बई-460614।	कोंकण रेल, के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, नई मुम्बई और मुम्बई में, कार्यालय परिसर, आवासीय गृह, रेस्ट हाउस आदि।
ज्येष्ठ प्रादेशिक इंजीनियर, प्रादेशिक रेल प्रबंधक कार्यालय, रत्नागिरी, महाराष्ट्र राज्य।	कार्यालय परिसर, आवासीय भवन, रेस्ट हाउस, स्टेशन भवन/रोहा में सावंतवाडी स्टेशन तक 377 कमी को छोड़कर संपूर्ण पी-वे ट्रेक और कोंकण रेल की अन्य परिसरें जिसके अन्तर्गत टिकट घर आदि है।
ज्येष्ठ प्रादेशिक इंजीनियर, कारवार क्षेत्र, प्रादेशिक रेल प्रबंधक का कार्यालय, कारवार, कर्नाटक।	प्रादेशिक रेल प्रबंधक कारवार का कार्यालय, आवासीय भवन, रेस्ट हाउस, स्टेशन भवन, टिकट घर आदि, 377 किमी से टोकूर तक जिसके अन्तर्गत निकट घर आदि सहित कोंकण रेल निगम लि. की परिसरें भी हैं।

[फा. सं. 96/एलएमएल/14/90)]

डी. पी. त्रिपाठी, सचिव,

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 4th March, 1998

S.O. 521.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the officers mentioned in Column (1) of the Table below, being Gazetted Officer of the Government, to be estate officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of Public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Deputy Chief Engineer, Corporate Office, Belapur Bhavan, CBD Belapur, Navi Mumbai—400614.	Office premises, residential houses, rest houses, etc. in Navi Mumbai and Mumbai under the administrative control of Konkan Railway.
Senior Regional Engineer, Regional Railway Managers, Office, Ratnagiri, Maharashtra State.	Office premises, residential buildings, rest houses, station buildings and the entire P. Way track from Roha (excluding) to Sawantwadi station upto kms. 377 and other Konkan Railway premises including booking offices, etc.
Senior Regional Engineer, Karwar Region, Regional Railway Manager's Office, Karwar, Karnataka State.	Office of the Regional Railway Manager Karwar, residential buildings, rest houses, station buildings, booking offices, etc. from kms. 377 upto Tokur including and other Konkan Railway Corporation Ltd. premises including booking offices etc.

[File No. 96/LML/14/90]

D. P. TRIPATHI, Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1998

का.आ. 522.—केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, बी ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के अन्दर भेज सकते हैं। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें ।

संशोधन

"(1) जोन 'बी' (शहरी विस्तार/करोल बाग) में पड़ने वाले तथा दक्षिण-पश्चिम में मार्ग संख्या 27 से, उत्तर-पश्चिम में मार्ग संख्या 3 से, उत्तर-पूर्व में मार्ग संख्या-24 से और दक्षिण-पूर्व में मार्ग संख्या-4 से घिरे हुए लगभग 4.21 हैक्टेयर (10.4 एकड़) (पॉकेट "ए" देवनगर) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "परिवहन" से "आवासीय" में बदलने का प्रस्ताव है ।"

"(2) जोन 'बी' (शहरी विस्तार/करोल बाग) में पड़ने वाले तथा दक्षिण-पश्चिम में देशबन्धु गुप्ता मार्ग पर निजि सम्पत्तियों से, उत्तर-पश्चिम में सुविधा केन्द्र से, उत्तर में न्यू रोहतक रोड पर निजि सम्पत्तियों से और दक्षिण-पूर्व में मार्ग सं० 7 से घिरे हुए लगभग 18.62 हैक्टेयर (46 एकड़) (पॉकेट "बी" देवनगर) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "सुविधा केन्द्र" से "आवासीय" (5.74 हैक्टेयर) में, "परिवहन" (बस डिपो/रोड) से "आवासीय" (1.82 हैक्टेयर) में, सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सुविधाओं (स्कूल) "आवासीय" (0.62 हैक्टेयर) और "मनोरंजनात्मक" (जिला पार्क/एन.एच.पी.) से "आवासीय" (10.44 हैक्टेयर) में बदलने का प्रस्ताव है ।"

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध होगा ।

[सं. एफ.-20 (29)/94-एम पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd March, 1998

S.O. 522.—The following modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block INA, New Delhi, within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his/her name and address.

MODIFICATIONS :—

(i) "The land use of an area measuring about 4.21 ha. (10.4 acres) (Pkt. 'A' Dev Nagar) falling in Zone 'B' (City Extension/Karol Bagh) bounded by Road No. 27 in the South-West, Road No. 3 in the North West, Road No. 24 in the North-East and Road No. 4 in the South-East is proposed to be changed from 'Transportation' to 'Residential'."

(ii) "The land use of an area measuring about 18.62 ha. (46 acres) (Pkt. 'B' Dev Nagar) falling in zone 'B' (City Extension/Karol Bagh) bounded by private properties on Desh Bandhu Gupta Road in the South-West, Facility Centre in the North-West, private properties on New Rohtak Road in the North and Road No. 7 in the South-East is proposed to be changed from 'Facility Centre' to 'Residential' (5.74 ha.) from 'Transportion' (Bus Depot/Roads) to 'Residential' (1.82 ha.), from 'public and semi public facilities (School)' to 'Residential' (0.62 ha.) and from 'Recreational' District Park/N.H.P.)' to 'Residential' (10.44 ha.)."

The plan indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the office of the Joint Director, Master Plan Section, DDA, 6th floor, Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[No. F. 20(29)/94-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-Cum Secy.

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1998

का. आ. 523.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (नीचे आकृति देखिए) पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि अविरत उपयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (सामान्य) यथार्थता वर्ग IV की "स्वर्ना" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर-स्वचालित यांत्रिकी व्यक्ति तोलन मशीन (बाथरुम स्केल) के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण भसीन हेल्थ प्रोडक्टस प्रा. लि., 112 टैगोर नगर, जालंधर द्वारा किया गया है और जिसका अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी./09/97/11 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

माडल (आकृति देखिए) एक सामान्य यथार्थता (यथार्थता वर्ग IV) का व्यक्ति तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 120 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 10 किलो ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तर (ई) 500 ग्राम है। यह मशीन स्प्रिंग लेडिंग के सिद्धांतों पर कार्य करती है और तोल परिणाम उपदर्शित करने के लिए सुई सहित एक अनुरूप डायल होता है। आधार और प्लेटफार्म मृदु इस्पात के है। भारग्राही वृताकार क्रास सेक्शन का है जिसका व्यास 300 मिलीमीटर है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(26)/96]

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 2nd March, 1998

S.O. 523.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, mechanical person weighing machine (Bathroom Scale) of class IV (ordinary) accuracy with brand name "SWARNA" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Bhaseen Health Products Pvt. Ltd., 112, Tagore Nagar, Jallandhar, and which is assigned the approval mark IND/09/97/11;

The Model (see figure) is a ordinary accuracy (accuracy class IV) person weighing instrument with a maximum capacity of 120 kg and minimum capacity of 10 kg. The verification scale interval (e) is 500g. The machine works on the principles of spring loading and has an analog dial with a pointer to indicate the weighing results. The load receptor is of circular cross section of diameter 300 millimeter.

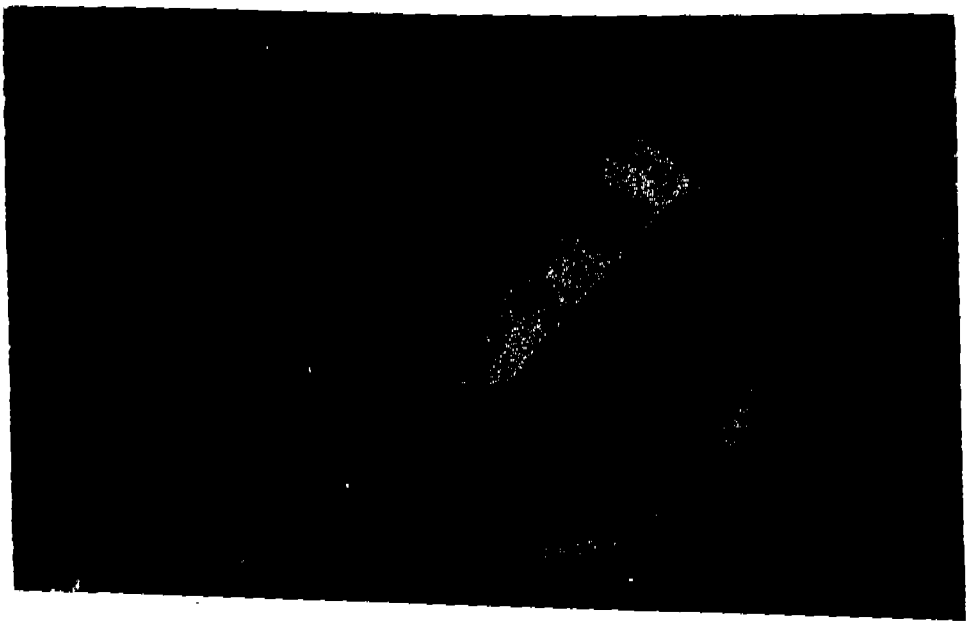

(figure)

[File No WM 21(26)/96]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998

का. आ. 524.— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाईप-लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2355, तारीख 15 सितंबर, 1997 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ हितबद्ध व्यक्तियों को तारीख 30/09/97 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार एतदद्वारा अर्जित किया जाता है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत ओमान रिफायनरीज लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : तराना जिला : उज्जैन राज्य : मध्य प्रदेश

गाँव का नाम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्र हेक्टेयर/ आरे
(1)	(2)	(3)
सामानेरा	468	0.030
	472	0.060
	473	0.080
	481	0.130
	482	0.160
	483	0 080
	484	0 050
	486	0.070
	487	0.010
	488	0.110
	489	0.040
	490	0.140
	491	0.010
	496/5123	0.010
	500	0.110
	542	0.280
	543	0.100
	544	0.150
	560	0.190
	561	0.410
	563	0.010
	573	0.340
	574	0.290
	575	0.010
	621	0.160
	622	0.360
	631	0.020
	632	0.250
	633	0.180
	634	0.050
	645	0.240
	646	0.380
	647	0.010
	648	0.280
	649	0.140
	653	0.280
	655	0 050
	656	0.020
	657	0.010
	663	0.070
	664	0 170
	665	0.130
	675	0 060
चूनाखेडी	8	0.310
	9	0.210
	10	0.190
	11	0.010
	12	0.310
	13	0.010
	14	0.350
	15	0.020
लालाखेडी	299	0.010
	300	0 010
	301	0.050
	302	0.060
	304	0 070

(1)	(2)	(3)
	305/1	0.140
	305/2	
	306	0.140
	307	0.170
	308	0.060
	309	0.070
	336	0.290
	337	0.190
	338	0.030
	339	0.250
	340	0.150
	375	0.110
	376	0.160
	377	0.070
	378	0.070
	383	0.020
	384	0.010
	391	0.330
	393	0.070
	395	0.300
	396	0.340
	397	0.010
	399	0.220
	401	0.070
	402	0.060
	403	0.140
	404	0.010
	406	0.100
	411	0.110
रुपासेडी	254	0.230
	255	0.250
	256	0.270
	259	0.010
	260	0.440
	261	0.040
	262	0.010
	341	0.030
	342	0.110
	343	0.090
	348	0.130
	349	0.010
	351	0.160
	352	0.020
	357	0.190
	358	0.140
	363	0.030
	380	0.060
	408	0.020
	410	0.090
	411	0.230
	417	0.050
	418	0.030
	419	0.220
	420/1	0.170
	420/2	
	421	0.010
	423	0.020
	425	0.160
	426/1	0.230
	426/2	
	430	0.020
	434	0.010
	435	0.130
	436	0.120
	574	0.010
	575	0.060
	576	0.070
	577	0.280
	578	0.250
	585	0.030
	586	0.360
	593	0.470
	594	0.030
	595	0.010
	596	0.150
	597	0.030
	598	0.060
	599	0.015
कढाई	202/1	0.220
	202/2	
	203	0.410
	204	0.120
	205	0.180
	206	0.160
	207	0.060
	210	0.060
	238	0.420
	239	0.150
	240	0.185
	242	0.150
	243	0.320
	274	0.010
	275	0.030
	276	0.090
	277	0.220
	278	0.010

(1)	(2)	(3)
	279	0.220
	280	0.170
	286	0.020
	287	0.080
	288	0.150
	289	0.130
	291	0.140
	292/1 292/2 292/3	0.010
	293	0.010
	325	0.010
	326	0.020
	327	0.250
	328	0.030
	329	0.010
	465	0.380
	467	0.030
	473	0.010
	474	0.130
	475	0.010
	478	0.230
	479	0.050
	480	0.150
	481	0.080
	483	0.350
	484	0.030
	518	0.200
	519	0.130
	520	0.130
	521	0.170
	522	0.280
	525	0.010
	526	0.210
	527	0.090
	536	0.140
	537	0.100
	538	0.680
	549	0.010
	550	0.470
	603	0.050
	604	0.120
	605	0.080
	609	0.010
	610	0.030
	611	0.150
	612	0.080
	613	0.010
	738	0.280
चिकली	169	0.290
	171	0.441
	174	0.010
	176	0.060
	179	0.040
	180	0.200
	181	0.060
	182	0.010
	183	0.160
	184	0.150
	186	0.276
	188	0.170
	199	0.010
	200	0.010
	201	0.260
	202	0.226
	203	0.440
	206	0.330
	208	0.070
	209	0.070
	433	0.030
	434	0.300
	457	0.420
	461	0.030
	463	0.215
	464	0.240
	466	0.310
	467	0.466
	473	0.020
	474	0.180
	475	0.138
	478	0.010
	479	0.250
	480	0.260
	516	0.060
	518	0.030
	519	0.147
	520	0.040
	526	0.040
	527	0.010
	534	0.010
	535	0.114
	550	0.120
	551	0.177
	552	0.020
	554	0.220
	555	0.470

(1)	(2)	(3)
	556	0.015
	558	0.010
	560	0.110
	562	0.320
	563	0.278
	564	0.300
भोड़ल्या	376	0.030
	377	0.480
	380	0.200
	381	0.520
	382	0.110
	588	0.380
	589	0.010
	590	0.425
	591	0.190
	637	0.060
	639	0.140
	640	0.270
	641	0.170
	642	0.020
	646	0.260
बरोठिया	3	0.290
	4	0.477
	6	0.050
	76	0.010
	387	0.100
	388	0.210
	389	0.220
	390	0.220
	391	0.220
	392	0.069
सुचाई	103	0.080
	108	0.010
	109	0.090
	110	0.420
	111	0.010
	121	0.130
	122	0.300
	123	0.200
	124	0.390
	125	0.030
	130	0.180
	131	0.030
	132	0.100
	133	0.100
	135	0.230
	136	0.180
	139	0.160
	142	0.165
	143	0.100
	152	0.247
	153	0.010
	154	0.390
	155	0.050
	236	0.450
धाकड़ोन	5	0.040
	5/1493	0.010
	11	0.260
	12	0.260
	13	0.040
	15	0.240
	19	0.610
	20	0.010
	21	0.070
	27	0.500
	28	0.030
	30	0.090
	219	0.100
	220	0.110
	221	0.090
	225	0.360
	226	0.270
	230	0.380
	231	0.010
	235	0.150
	236	0.220
	244	0.370
	251	0.070
	252	0.170
भगवतपुर	186	0.010
	192	0.550
	193	0.190
	194	0.180
	195	0.330
	196	0.020
	200/1	0.060
	200/2	0.210
	200/3	0.190
	201	0.080
	202	0.160
	203	0.160
	204	0.293
	205	0.080
	214	0.010
	215	0.040
	216	0.030
	217	0.400
	219	0.023

(1)	(2)	(3)
	220	0.248
	221	0.010
	222	0.150
	439	0.230
	440	0.210
	455	0.300
	457	0.282
	474	0.020
	476	0.310
	477	0.430
	478	0.202
	479	0.050
	480	0.200
	483	0.100
	484	0.245
	501	0.080
	502	0.010
	503	0.106
	504	0.060
	506	0.060
	507	0 100
	508	0.020
कड़ोदिया	139	0.593
	140	0.530
	141	0.250
	142	0.095
	143	0.010
	146	0.050
	149	0.050
	201	0.190
	214	0.075
	215	0.660
	217	0.160
	219	0.258
	220	0 250
	250	0.550
	251	0.360
	337	0.180
	338	0.030
	354	0.010
	355	0.250
	360	0.090
	362	0.690
	363	0 240
	368	0 050
	369	0.040
	370	0.010
	374	0.030
	441	0.120
	442	0.270
	456	0.120
	458	0.120
	459	0.080
	461	0.290
	462	0.010
	463	0.440
	464	0.106
	470	0.050
	475	0.230
	476	0.220
	477	0.460
	478	0.012
	479	0.040
	1642	0.300
	1653	0.040
	1654	0.010
	1655	0.080
	1660	0.090
	1661	0.330
	1667	0.060
	1668	0.030
	1669	0.870
	1670	0.400
	1672	0.010
	1674	0.770
	1675	0.040
बगवाड़ा	421	0.010
	432	0.150
	433	0.100
	434	0.120
	435	0.190
	436	0.110
हारुखेड़ी	3	0.010
	5	0.230
	6	0.125
	15	0.390
	16	0.210
	17	0.170
	18	0.010
	23	0.010
	24	0.110
	25	0.057
	26	0.260
	27	0.150
	31	0.289
	32	0.310
	33	0.130
	34	0.070

(1)	(2)	(3)
	35	0.150
	89	0.030
	90	0.250
	91	0.030
	94	0.050
	95	0.210
	96	0.100
	97	0.020
	98	0.260
बुखारी	60	0.010
	63	0.100
	66	0.060
	69	0.116
	71	0.260
	76	0.270
	77	0.160
	78	0.140
	79	0.114
	81	0.264
	82	0.080
	142	0.010
	143	0.050
	148	0.189
	149	0.180
सालनाखेड़ी	145	0.284
	146	0.060
	147	0.070
	148	0.100
	149	0.010
	152	0.010
	197/461	0.230
	198	0.010
	199	0.060
	201	0.090
	203	0.150
	204	0.190
	206	0.140
	207	0.170
	208	0.010
	209	0.200
	210	0.040
	218	0.100
	219	0.070
	220	0.030
	221	0.030
	222	0.030
	223	0.020
	224	0.010
	249	0.010
	250	0.430
	258	0.050
	259	0.150
	261	0.060
	262	0.030
	263	0.061
	264	0.030
	373	0.060
	374	0.270
	408	0.010
	410	0.060
	411	0.150
	412	0.060
	420	0.040
	424	0.090
	425	0.180
	426	0.180
	428	0.102
	429	0.120
	430	0.060
रेहवारी	168	0.010
	174	0.100
	175	0.080
	176	0.070
	177	0.010
	178	0.090
	179	0.080
	180	0.072
	181	0.160
	186	0.010
	187	0.290
	188	0.010
	189	0.483
	196	0.089
	322	0.120
	323	0.060
	325	0.230

[सं. आर 31015/23/97 - ओआर. II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1998

का. आ. 526.— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन [भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन] अधिनियम, 1962 [1962 का 50] [जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है] की धारा 3 की उपधारा [1] और [2] के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकतिक गै स मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 28 तारीख 03-01-98 द्वारा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, माहुल, (मुंबई) की परिष्करणी से पेट्रोलियम पदार्थके परिवहन पानेवाडी (मनमाड) महाराष्ट्र राज्य मे करने के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेडद्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारो का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजतपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 16-1-98 से उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा [1] अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है की इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये ;

अत: केंन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा [1] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ;

यह और कि, केंन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा [4] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह द निर्देश देती है की उक्त भूमि मे उपयोग के अधिकार केंन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मे निहित होगा |

अनुसूची

जिला : नासिक राज्य : महाराष्ट्र

गांव का नाम	सर्वे न / गट नं	हेक्टेयर	आर	क्षेत्र वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तहसील : निफाड				
मरलगोई खुर्द	106	0	11	00
	137/1	0	18	00
	145/2	0	45	00
	146	0	08	00
	164	0	75	00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	179	0	02	00
	183	0	01	50
	188/1	0	43	00
	107	0	19	00
	108/A	0	06	00
	109	0	19	00
	117/A/1	0	03	00
	163	0	56	00
मरलगोई बुद्रुक	58	0	01	00
	67	0	06	00
	106/3	0	01	00
	94	0	30	00
	57	0	03	90
	97	0	14	00
	96/3	0	15	00
गोलेगाव	61/1	0	01	00
	49/2/1	0	06	00
	50/A/3	0	17	00
	43	0	09	00
	32/2	0	02	00
	31	0	06	00
	50/B	0	05	00
डोंगरगाव	77/B	0	02	00
	376/2	0	15	00
	394/2	0	04	00
	394/1	0	01	00
	77/A	0	12	00
	78/4	0	22	00
	78/5	0	07	00
	115	0	03	00
	337/2	0	02	00
	348	0	11	00
	351/2	0	07	00
	353/3	0	01	00
	382/1	0	01	00
	401/4	0	06	00
	401/1	0	07	00
	401/3	0	10	00
	402/2	0	05	00
	402/1	0	02	00
	403	0	16	00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	350/1	0	02	00
नांदगाव	296/3	0	11	00
	295/3	0	02	00
धारणगांव वीर	110	0	02	40
	39	0	02	90
	113/2	0	04	00
	111	0	12	00
	107/1	0	16	00
	106/1/A	0	03	00
	106/1/C	0	19	00
	106/2	0	09	00
धारणगांव खडक	422	0	23	00
	457/1	0	15	00
	416	0	01	00
	412	0	05	00
	413	0	15	50
	441	0	09	00
	442	0	06	00
	165/1	0	26	40
	164	0	50	00
	163	0	00	50
	102	0	15	00
	113	0	10	55
	487/1	0	14	00
	122/2	0	14	00
	123/2	0	19	00
	127/A/2	0	04	50
	127/B/2	0	36	00
	421/B	0	01	00
	418	0	16	00
	166	0	18	00
	110	0	04	00
	118	0	15	00
	125	0	03	00
	5/2	0	04	00
गाजरवाडी	419/1	0	21	00
	421/1	0	15	00
	422	0	01	00
	425	0	03	00
	426	0	11	00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नांदुर मध्यमेश्वर	653	0	01	00
	80/1	0	27	00
	80/7	0	22	00
	646	0	02	00
	628/1	0	02	00
	631	0	08	00
	698	0	04	00
	502	0	01	00
	503	0	01	00
	500	0	10	00
	80/6	0	10	00
	143	0	09	00
	140	0	10	00
	484/1	0	03	00
	278	0	01	00
	277	0	05	00
	276	0	07	00
खानगाव थडी	251	0	30	00
	254	0	87	00
	248	0	10	00
	247	0	13	00
	163/1	0	25	00
	163/2	0	02	00
	173	0	37	00
	220	0	27	00
	162	1	50	00
	253	0	04	00
	160	0	17	30
	221	0	35	00
तारू खेडले	389	0	05	30
	385	0	00	76
	306	0	08	00
म्हालसाकोरे	451	0	04	00
	650/2	0	01	00
	592/2	0	09	00
	507	0	00	50
	485	0	16	00
	482	0	14	00
	449	0	07	00
	446	0	72	00
	139	0	26	00
	46	0	07	00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	44	0	01	00
	33	0	11	00
	168	0	05	00
	170	0	01	00
	179	0	05	00
	447	0	13	00
	109	0	04	50
	653	0	15	00
	650/1	0	24	00
	596	0	14	00
	580/1	0	25	00
	506	0	01	00
	504	0	06	00
	481	0	10	00
	448	0	58	00
औरंगपूर	226	0	68	00
महाजनपूर	55/5	0	10	38
	55/4	0	25	00
	55/3	0	02	00
	99	0	72	00
	103	0	45	00
	92	0	23	00
	93	0	69	00
	109	0	03	00
	57	0	01	00
	59	0	25	00
	64	0	03	00
	65	0	01	00
	94/1	0	30	00
तहसील सिन्नर				
हिवरगांव	76/2	0	00	41
	68	0	01	14
	65	0	00	84
	64	0	07	65
	63/3	0	06	75
	53	0	01	13
	34/6	0	05	32
	34/5	0	01	56
	34/8	0	25	87
	34/9	0	28	52
	34/10	0	12	82

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पाटपिंपरी	80	0	20	00
	79	0	22	00
	71	0	12	00
	72/8	0	32	00
	63/5	0	10	00
	39	0	05	00
	42	0	02	00
	44	0	04	00
	43	0	03	00
	606	0	07	00
	605	0	02	00
	602	0	27	00
	601	0	10	00
	600	0	09	00
	598/1	0	01	00
	833/2	0	16	00
	833/1	0	19	00
	28	0	04	00
	31/2	0	10	00
	34	0	02	00
	35	0	01	00
	37	0	02	00
	625/1	0	15	00
	626/1	0	02	00
	626/2	0	03	50
	623/2	0	06	00
	623/1	0	07	00
	628	0	03	00
	618	0	05	00
	573	0	04	00
	570	0	04	00
	571	0	08	10
	639	0	04	00
	661/4	0	12	00
	673/2	0	06	00
	731	0	23	00
	732/3	0	06	50
	732/4	0	06	50
	732/1	0	09	00
	730	0	02	00
	728	0	14	00
	723	0	16	00
	722	0	02	00
	712/3	0	03	00
	798	0	02	00
	802	0	00	50
	803	0	06	00
	804	0	04	00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	805	0	08	00
	806	0	07	00
	807	0	02	00
	814	0	00	50
	812	0	03	00
	811	0	06	00
	848	0	02	00
	851	0	10	00
	877	0	04	00
	878	0	02	00
	879	0	02	00
	880	0	00	45
	881	0	06	00
	894	0	54	00
	900/2	0	10	00
	900/1	0	08	00
	899/3	0	07	00
	618	0	10	60
बारागांव पिंपरी	886	0	01	00
	883	0	03	00
	869	0	14	00
	865	0	04	00
	857	0	51	00
	829	0	37	00
	830	0	27	00
	831	0	24	00
	834	0	33	00
मापारवाडी	57	0	10	00
	36	0	28	23
	40	0	23	92
	16	0	49	00
	13/2	0	25	00
सिन्नर	892/A/1/10	0	36	00
	908/A+B/1	0	30	80
	905(1185)	0	03	00
	918	0	13	00
	938/4	0	06	50
	939(1202)/1	0	04	00
पारस्ते	558	0	02	40
	547	0	01	52
	546	0	22	43
	580	0	03	81
	452/1	0	14	55

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	445	0	10	80
	413	0	13	20
	434	0	02	00
	433	0	12	00
	400	0	15	00
	387	0	18	78
	398	0	28	50
	395	0	23	40
	557	0	05	00
	559/3	0	09	00
	414	0	28	50
जामगांव	68	0	00	54
	71	0	02	66
	72	0	00	53
	83	0	27	26
	82	0	09	90
	81	0	01	15
	132	0	01	74
	135	0	09	79
	156	0	19	36
	158	0	02	45
	159	0	09	13
	162	0	06	15
	179	0	22	50
	180	0	42	00
	184	0	02	32
	195	0	07	00
	201	0	04	99
	199	0	19	20
	202	0	07	05
	206	0	01	00
	208	0	11	07
	226	0	28	20
	227	0	45	00
चंद्रपुर	104	0	16	36
धोरयड	115	0	20	47
	116	1	54	80
	110	0	00	36
	36	0	36	45
	37	0	00	83
	42	0	06	42
	22/3	0	23	55
	21	0	02	56

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	18	0	03	03
	364	0	10	42
	366	0	06	90
	367	0	06	30
	368	0	06	60
	369	0	01	67
	370 A	0	10	80
	361	0	00	50
	378	0	25	50
	379	0	14	40
	358/B	0	05	47
	380	0	02	42
	358/A	0	01	70
	383	0	02	45
	384	0	09	91
	385	0	02	09
	386	0	01	20
	338	0	13	68
	388	0	01	72
	390	0	00	60
	392	0	04	65
	442	0	09	90
	443	0	05	28
	444	0	01	62
	450/2	0	01	65
	109	0	02	73
	106	0	15	30
	459	0	09	50
	449	0	01	12
पांकुर्ली	204	0	07	20
	205	0	06	29
	208	0	13	00
	209	0	14	00
	212	0	04	25
	426	0	22	00
	432	0	13	00
	435	0	12	00
	438	0	02	00
	445	0	01	00
	444	0	14	30
	447	0	92	00
	450	0	32	17
	449	0	26	00
	448	0	07	50
	424	0	20	00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सावतामाली नगर	141	0	94	40
	154	0	51	72
	163	0	07	13
	161	0	31	66
	160	0	26	58
	159	0	04	16
	105	0	29	40
	104	0	19	00
बोरखिंड	126	0	17	00
	125	0	01	00
आगासखिंड	152/2	0	12	00
	152/4	0	05	00
	152/5	0	10	00
	152/8	0	33	00
	152/6	0	24	00
	152/9	0	59	00
	210	0	10	50
	293	0	10	00
	173	0	38	75
	172	0	23	00
	262	0	29	36
	261	0	11	42
बेलू	349	0	18	15
	375	0	06	75
	373	0	05	00
	372	0	11	30
	368	0	18	15
	371	0	69	00
	350	0	05	12
	348	0	07	80
तहसील - नांदगाव				
अनकवाडे	14/2/1	0	32	40

(फाईल सख्या आर -31015/19/97 ओ आर - II)

के . सी . कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 9th March, 1998

S.O. 526.— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No.S.O.28 dated the 03-01-98 published under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the said lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum products from Refinery of Bharat Petroleum Corporation Ltd, Mahul (Mumbai) to Panewadi (Manmad) in the State of Maharashtra;

And whereas copies of the said Gazette Notification have been made available to the public from 16.01.98;

And whereas the competent authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report, is satisfied that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Bharat Petroleum Corporation Limited.

SCHEDULE

District : Nasik		**State : Maharashtra**		
Name of Village	**Survey/Gat Numbers**	**Area**		
		Hectors	**Ares**	**Sq.Mts**
1	2	3	4	5
Tahsil: Niphad				
Maralgoi Khurd	106	0	11	00
	137/1	0	18	00
	145/2	0	45	00
	146	0	08	00
	164	0	75	00
	179	0	02	00
	183	0	01	50
	188/1	0	43	00
	107	0	19	00
	108/A	0	06	00

1	2	3	4	5
	109	0	19	00
	117/A/1	0	03	00
	163	0	56	00
Maralgoi Budruk	58	0	01	00
	67	0	06	00
	106/3	0	01	00
	94	0	30	00
	57	0	03	90
	97	0	14	00
	96/3	0	15	00
Golegaon	61/1	0	01	00
	49/2/1	0	06	00
	50/A/3	0	17	00
	43	0	09	00
	32/2	0	02	00
	31	0	06	00
	50/B	0	05	00
Dongargaon	77/B	0	02	00
	376/2	0	15	00
	394/2	0	04	00
	394/1	0	01	00
	77/A	0	12	00
	78/4	0	22	00
	78/5	0	07	00
	115	0	03	00
	337/2	0	02	00
	348	0	11	00
	351/2	0	07	00
	353/3	0	01	00
	382/1	0	04	00
	401/4	0	06	00
	401/1	0	07	00
	401/3	0	10	00
	402/2	0	05	00
	402/1	0	02	00
	403	0	16	00
	350/1	0	02	00
Nandgaon	296/3	0	11	00
	295/3	0	02	00
Dharangaon Veer	110	0	02	40
	39	0	02	90
	113/2	0	04	00
	111	0	12	00

1	2	3	4	5
	107/1	0	16	00
	106/1/A	0	03	00
	106/1/C	0	19	00
	106/2	0	09	00
Dharangaon Khadak	422	0	23	00
	457/1	0	15	00
	416	0	01	00
	412	0	05	00
	413	0	15	50
	441	0	09	00
	442	0	06	00
	165/1	0	26	40
	164	0	50	00
	163	0	00	50
	102	0	15	00
	113	0	10	55
	487/1	0	14	00
	122/2	0	14	00
	123/2	0	19	00
	127/A/2	0	04	50
	127/B/2	0	36	00
	421/B	0	01	00
	418	0	16	00
	166	0	18	00
	110	0	04	00
	118	0	15	00
	125	0	03	00
	5/2	0	04	00
Gajarwadi	419/1	0	21	00
	421/1	0	15	00
	422	0	01	00
	425	0	03	00
	426	0	11	00
Nandur Madhyameshwar	653	0	01	00
	80/1	0	27	00
	80/7	0	22	00
	646	0	02	00
	628/1	0	02	00
	631	0	08	00
	698	0	04	00
	502	0	01	00
	503	0	01	00
	500	0	10	00

1	2	3	4	5
	80/6	0	10	00
	143	0	09	00
	140	0	10	00
	484/1	0	03	00
	278	0	01	00
	277	0	05	00
	276	0	07	00
Khangaon Thadi	251	0	30	00
	254	0	87	00
	248	0	10	00
	247	0	13	00
	163/1	0	25	00
	163/2	0	02	00
	173	0	37	00
	220	0	27	00
	162	1	50	00
	253	0	04	00
	160	0	17	30
	221	0	35	00
Tarukhedle	389	0	05	30
	385	0	00	76
	306	0	08	00
Mhalsakore	451	0	04	00
	650/2	0	01	00
	592/2	0	09	00
	507	0	00	50
	485	0	16	00
	482	0	14	00
	449	0	07	00
	446	0	72	00
	139	0	26	00
	46	0	07	00
	44	0	01	00
	33	0	11	00
	168	0	05	00
	170	0	01	00
	179	0	05	00
	447	0	13	00
	109	0	04	50
	653	0	15	00
	650/1	0	24	00
	596	0	14	00
	580/1	0	25	00
	506	0	01	00

1	2	3	4	5
	504	0	06	00
	481	0	10	00
	448	0	58	00
Aurangpur	226	0	68	00
Mahajanpur	55/5	0	10	38
	55/4	0	25	00
	55/3	0	02	00
	99	0	72	00
	103	0	45	00
	92	0	23	00
	93	0	69	00
	109	0	03	00
	57	0	01	00
	59	0	25	00
	64	0	03	00
	65	0	01	00
	94/1	0	30	00
Tahsil : Sinnar				
Hiwargaon	76/2	0	00	41
	68	0	01	14
	65	0	00	84
	64	0	07	65
	63/3	0	06	75
	53	0	01	13
	34/6	0	05	32
	34/5	0	01	56
	34/8	0	25	87
	34/9	0	28	52
	34/10	0	12	82
Patpimpri	80	0	20	00
	79	0	22	00
	71	0	12	00
	72/8	0	32	00
	63/5	0	10	00
	39	0	05	00
	42	0	02	00
	44	0	04	00
	43	0	03	00
	606	0	07	00
	605	0	02	00
	602	0	27	00
	601	0	10	00
	600	0	09	00
	598/1	0	01	00

1	2	3	4	5
	833/2	0	16	00
	833/1	0	19	00
	28	0	04	00
	31/2	0	10	00
	34	0	02	00
	35	0	01	00
	37	0	02	00
	625/1	0	15	00
	626/1	0	02	00
	626/2	0	03	50
	623/2	0	06	00
	623/1	0	07	00
	628	0	03	00
	618	0	05	00
	573	0	04	00
	570	0	04	00
	571	0	08	10
	639	0	04	00
	661/4	0	12	00
	673/2	0	06	00
	731	0	23	00
	732/3	0	06	50
	732/4	0	06	50
	732/1	0	09	00
	730	0	02	00
	728	0	14	00
	723	0	16	00
	722	0	02	00
	712/3	0	03	00
	798	0	02	00
	802	0	00	50
	803	0	06	00
	804	0	04	00
	805	0	08	00
	806	0	07	00
	807	0	02	00
	814	0	00	50
	812	0	03	00
	811	0	06	00
	848	0	02	00
	851	0	10	00
	877	0	04	00
	878	0	02	00
	879	0	02	00
	880	0	00	45
	881	0	06	00
	894	0	54	00
	900/2	0	10	00

1	2	3	4	5
	900/1	0	08	00
	899/3	0	07	00
	618	0	10	60
Baragon Pimpri	886	0	01	00
	883	0	03	00
	869	0	14	00
	865	0	04	00
	857	0	51	00
	829	0	37	00
	830	0	27	00
	831	0	24	00
	834	0	33	00
Maparwadi	57	0	10	00
	36	0	28	23
	40	0	23	92
	16	0	49	00
	13/2	0	25	00
Sinnar	892/A/1/10	0	36	00
	908/A+B/1	0	30	80
	905(1185)	0	03	00
	918	0	13	00
	938/4	0	06	50
	939(1202)/1	0	04	00
Paste	558	0	02	40
	547	0	01	52
	546	0	22	43
	580	0	03	81
	452/1	0	14	55
	445	0	10	80
	413	0	13	20
	434	0	02	00
	433	0	12	00
	400	0	15	00
	387	0	18	78
	398	0	28	50
	395	0	23	40
	557	0	05	00
	559/3	0	09	00
	414	0	28	50
Jamgaon	68	0	00	54
	71	0	02	66
	72	0	00	53
	83	0	27	26

1	2	3	4	5
	82	0	09	90
	81	0	01	15
	132	0	01	74
	135	0	09	79
	156	0	19	36
	158	0	02	45
	159	0	09	13
	162	0	06	15
	179	0	22	50
	180	0	42	00
	184	0	02	32
	195	0	07	00
	201	0	04	99
	199	0	19	20
	202	0	07	05
	206	0	01	00
	208	0	11	07
	226	0	28	20
	227	0	45	00
Chandrapur	*104*	*0*	*16*	*36*
Ghorwad	115	0	20	47
	116	1	54	80
	110	0	00	36
	36	0	36	45
	37	0	00	83
	42	0	06	42
	22/3	0	23	55
	21	0	02	56
	18	0	03	03
	364	0	10	42
	366	0	06	90
	367	0	06	30
	368	0	06	60
	369	0	01	67
	370 A	0	10	80
	361	0	00	50
	378	0	25	50
	379	0	14	40
	358/B	0	05	47
	380	0	02	42
	358/A	0	01	70
	383	0	02	45
	384	0	09	91
	385	0	02	09
	386	0	01	20
	338	0	13	68

1	2	3	4	5
	388	0	01	72
	390	0	00	60
	392	0	04	65
	442	0	09	90
	443	0	05	28
	444	0	01	62
	450/2	0	01	65
	109	0	02	73
	106	0	15	30
	459	0	09	50
	449	0	01	12
Pandhurli	204	0	07	20
	205	0	06	29
	208	0	13	00
	209	0	14	00
	212	0	04	25
	426	0	22	00
	432	0	13	00
	435	0	12	00
	438	0	02	00
	445	0	01	00
	444	0	14	30
	447	0	92	00
	450	0	32	17
	449	0	26	00
	448	0	07	50
	424	0	20	00
Sawatamali Nagar	141	0	94	40
	154	0	51	72
	163	0	07	13
	161	0	31	66
	160	0	26	58
	159	0	04	16
	105	0	29	40
	104	0	19	00
Borkhind	126	0	17	00
	125	0	01	00
Agaskhind	152/2	0	12	00
	152/4	0	05	00
	152/5	0	10	00
	152/8	0	33	00
	152/6	0	24	00
	152/9	0	59	00
	210	0	10	50

1	2	3	4	5
	293	0	10	00
	173	0	38	75
	172	0	23	00
	262	0	29	36
	261	0	11	42
Belu	349	0	18	15
	375	0	06	75
	373	0	05	00
	372	0	11	30
	368	0	18	15
	371	0	69	00
	350	0	05	12
	348	0	07	80
Tahsil: Nandgaon				
Anakwade	14/2/1	0	32	40

(File No.R-31015/19/97- OR-II)

K.C.Katoch,Under Secretary

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1998

का.आ. 527.—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अध्यादेश, 1998 (1998 का अध्यादेश सं. 2) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नामक एक संस्था का 27 फरवरी, 1998 से गठन करती है ।

[सं. 1(11)/93-पी आई (5) (नाइपर)]

एस. के बन्द्योपाध्याय, अवर सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

New Delhi, the 3rd March, 1998

S.O. 527.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Ordinance, 1998 (Ordinance No. 2 of 1998), the Central Government hereby constitutes with effect from the 27th day of February, 1998, an institution by the name of National Institute of Pharmaceutical Education and Research.

[No. 1(11)/93-PI(V) (NIPER)]

S. K. BANDYOPADHYAY, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1998

का.आ. 528.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, नई दिल्ली के प्रबन्ध तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-98 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/326/91—आई आर (बी-3) बी-I]

पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 13th February, 1998

S.O. 528.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Bikaner and Jaipur, New Delhi and their workman, which was received by the Central Government on 13-2-98.

[No. L-12012/326/91-IR(B-3)/B.I.]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 4/92

In the matter of dispute between :

Shri Sushil Kumar Chawla s/o Shri R. L. Chawla,
C/o WZ-73, Mohan Nagar, Pankha Road, Nangal Rai,
New Delhi-110010.

Versus

Branch Manager,
State Bank of Bikaner and Jaipur,
5, Community Centre,
Industrial Area,
Lawrence Road,
Delhi-110035.

APPEARANCES :

Workman in person.
None for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/326/91-I.R. (B-3) dated 24-12-91 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

> "Whether Shri Sushil Kumar Chawla is a workman of the State Bank of Bikaner and Jaipur? If so, whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur is justified in terminating the services of Shri Sushil Kumar Chawla w.e.f. 8-10-90? If not, to what relief Shri Chawla is entitled to?"

2. The workman in his statement of claim has alleged that he had been in the employment of the management bank since August, 1977 to May, 1990. he was working as VNS Deposit Collector. His job was to collect deposit from the depositors on behalf of the bank and deposit the same with the Lawrence Road Branch of the said Bank. He used to make entries in the pass book of the clients and also used to convass for the business of the bank. He was required to fill in vouchers prepared a schedule detailing therein the account numbers, titles of accounts and the amount remitted by them. Similarly at the time of withdrawal the customers had the option to take the payment through the applicant-workman or to take it directly from the bank branch. His remunerations were dependent upon the deposit collected and deposited in the bank branch. An agreement was executed between the management of the said branch and the workman. Though the agreement identified the applicant as an agent only, yet the applicant was an employee of the management as he used to work for and on behalf of the management bank and under the control and supervision of the management. He continued with the business of the bank with hard work, devotion to the duty and dedication. The management decided to discontinue the scheme for reasons best known to it and the workman was also terminated. The action of the management was arbitrary and his services could not be terminated without following the legal procedure. He has prayed that he deserves to be reinstated.

3. The Management in its preliminary objections denied the relationship of employer and employee between the workman and the management and the workman had been working as a Vyyay Nidhi Deposit Scheme. He was never appointed as an official of the Management and he had entered into a civil contract and the remuneration dependent upon the deposits made by him. A civil contract to this effect was executed. He was, therefore, not the workman as defined in the I.D. Act and the parties were bound only by the terms of the contract executed between them.

4. The workman in support of his evidence appeared himself as WW-1 while the management examined Shri A. K. Patni, MW1.

5. I have heard representatives for the parties and have gone through the record.

6. According to the reference made the workman was to prove himself to be workman of the management but in my opinion he has failed to do so. According to his own allegations in the statement of claim he was appointed on commission basis by way of a contract. In his cross-examination he has admitted that no appointment letter was ever given to him and an agreement dated 16-8-77 was executed between the parties . He was being paid the commission and not wages as per terms of the agreement and his attendance was never marked in any register kept by the management. He used to deposit the collections by way of vouchers in the bank. A perusal of the agreement executed between the parties clearly show that there was no relationship of employer and employee between the parties and he was working on commission basis and was not in the employment of the management. The terms of the agreemet were binding on the parties and this Tribunal could not take cognizance of the terms of contract which was not between the management and a workman. Claimant in this case was only working on commission basis on the basis of deposits collected by him from different persons and by no stretch of imagination he could be termed as an employee of the management who was governed by the terms of the I.D. Act. I, therefore, hold that since claimant was not a workman as defined in the Industrial Disputes Act so his claim has no legs to stand upon. He was not entitled to any relief from this Tribunal and reference is answered accordingly. Parties are left to bear their own costs.

9th February, 1998.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1998

का.आ. 529.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पांडियन ग्रामा बैंक, सतुर के प्रबन्ध तंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, तमिलनाडु, चेन्नई, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/59/88-डी I(बी) बी-I)

पी.जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th February, 1998

S.O. 529.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Tamil Nadu, Chennai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Pandyan Grama Bank, Sattur and their workman, which was received by the Central Government on 13-2-98.

[No. L-12011/59/88-DI(B)/B.I]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU, CHENNAI

Tuesday, the 13th day of January, 1998

PRESENT :

Thiru. S. Ashok Kumar, M.Sc., B.L., Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 11 of 1991

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between Workmen and the Management of Pandyan Grama Bank, Sattur-626203).

BETWEEN

The Workmen represented by:

(1) The General Secretary,
Pandyan Grama Bank Employees Association,
Sattur-626203.

(2) The General Secretary,
Pandyan Grama Bank Employees Union,
Sattur-626203.

AND

The Chairman,
Pandyan Grama Bank,
135/9, Vembakottai Road,
Sattur-626203.

REFERENCE :

Order No. L-12011/59/88-DI(B)/IR(B.III), Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute after restoration coming on this day, for final disposal upon perusing the reference and other connected papers on record and the parties being absent, this Tribunal passed the following :

AWARD

This reference has been made for adjudication of the following issues :

"Whether the undermentioned demands of the Pandyan Grama Bank Employees Association and Pandyan Grama Bank Employees Union are justified ? If so, the extent of relief to the workmen may be indicated.

1. Promotion policy of SCMS/Messengers ;
2. Promotion to all cadres ;
3. Dispensing of field supervisor certificate ;
4. Provident Fund Trust ;
5. No medical certificate for leave upto 3 days ;
6. Security arrangement to all branches—in view of this supply Generator/Telephone to all branches ;
7. New NVN Agents, appointments of NVN Agency Commission ;
8. Compensatory leave for work attended on holidays or Sundays ;
9. TA/duty relief for defence counsels in the domestic inquiry and representations in Tripartite conciliations ;
10. Officiating allowance to Jr. Clerk-cum-Cashiers ;
11. Square up of recent Area Manager/Senior Managers promotion ;
12. Enhancing jewel loans rate per gram at the rate of Rs. 200.

Petitioner did not turn up upto 11.30 A.M. Already 9 last changes given to the petitioner. In spite of repeated opportunities, petitioner is continuously absent. Hence dismissed for dafult.

Dated, this the 13th day of January, 1998.

S. ASHOK KUMAR, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1996

का.आ. 530.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नैशनल बैंक के प्रबधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-12012/02/96-आई.आर.-बीII]

पी.जे. माइकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th February, 1998

S.O. 530.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workman, which was received by the Central Government on 13-2-1998.

[L-12012/02/96-IR(B-II)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 79 of 1997

In the matter of disptue :

BETWEEN

S. P. Singhal,
Asstt. Secretary & C. C. Member of,
NC. B-I, 13-A Keshav Kunj,
Pratap Nagar,
Agra.

AND

Regional Manager,
Punjab National Bank,
Civil Line,
Varanasi.

APPEARANCES :

Sri S. P. Singhal—for the workman
Sri Man Mohan Pyare—for the Management

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour New Delm vide its Notification No. L-12012/02/96 dated 12-5-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of PNB in not allowing opportunity to Sh. Z. A. Khan Clerk working at their Nichi Bagh Branch, Varanasi to officiate against the post carying special allowance on the following days is justified ? If not, what relief the workman is entitled ?"

(i) 30-3-94 to 31-3-94, 27-4-94 to 1-5-94, 4-5-94 to 6-5-94 and 19-5-94 to 23-5-94.

(ii) 16-6-94 to 21-6-94.

(iii) 16-7-94 to 21-7-94 and 12-9-94 to 13-9-94, 2-11-94

(iv) 17-1-95 to 7-2-95, 8-2-95 to 9-2-95, 28-2-95 to 29-2-95, 17-4-95 to 18-4-95 and 19-4-95.

2. It is unnecessary to give the details of the case. Suffice it is to say that after filing of claim statement parties file compromise on 28-1-98 by which it was informed the claim of the concerned workman has been satisfied and accordingly the claim is not pressed.

3. Hence my award is that the claim of concerned workman having been already satisfied by means of amicable settlement. The concerned workman is not entitled for any further relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1998

का.आ. 531.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13 फरवरी को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/122/90-आई.आर.(बी-II)]
पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th February, 1998

S.O. 531.—In pursunce of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Allahabad Bank and their workman, which was received by the Central Government on 13-2-1998.

[L-12012/122/90-IR(B-II)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR KANPUR

Industrial Dispute No. 162 of 1990

In the matter of dispute :

BETWEEN

Umakant Tiwari,
105/26, Prem Nagar,
Kanpur

AND

Regional Manager,
Allahabad Bank,
Regional Office,
117-H-1/68-A,
Pandu Nagar,
Kanpur

APPEARANCES :

Shri Santosh Gupta—for the workmna

Shri M. K. Verma—for the Management

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour New Delhi vide its Notification No. L-12012/122/90, D-2A dated 25-7-90 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Kya Allahabad Bank Ke Parabhandhko Dwara Shri Uma Kant Tiwari Lipik Seh Rokariya Ko Dinank 3-5-89 Se Naukri Se Dismiss Karne Ki Karywahi Kanooni Avam Nayochit Hai ? Yadi Nahi To Sambandhit Karmkar Kis Anutosh Ke Haqdar Hai ?"

2. The concerned workman Umakant Tiwari was posted as clerk-cum-cashier in Kakadeo branch of opposite party Allahabad Bank. He was served with a chargesheet dated 24-6-88, the copy of which is being attached herewith. Mahesh Narain Mehrotra was appointed as enquiry officer. The management examined Sushil Kumar Mehrotra MW-1 and Dinesh Chandra MW-2. In support of charge the defence did not adduce any oral evidence. In all management had filed Ext. M-1 to M-22 documents. Relying upon the evidence of management witnesses the enquiry officers submitted its report on 11-3-89 holding that charges were proved. Show cause notice was issued on 5-4-89 which was followed by dismissal order dated 3-5-89. Feeling aggrieved the concerned workman has raised the instant industrial dispute.

3. In the claim statement the concerned workman had alleged that domestic enquiry was not fairly and properly held. It was further alleged that he had not conduct any misconduct as alleged in the chargesheet.

4. On the other hand the management in its written statement maintained that enquiry was fairly and properly held. The concerned workman actually had committed misconduct as alleged in the chargesheet.

5. In the rejoinder nothing new has been alleged.

6. On the pleading of the parties a Parliamentary Issue regarding fairness and propriety of domestic enquiry was framed. Vide finding dated 17-11-97 it was held that enquiry was fairly and properly held.

7. Thereafter parties were heard on the quantum of punishment. From the various charges as alleged in chargesheet which have been found to be proved it is obvious that concerned workman is guilty of misappropriation of funds of customers. Certainly by this misconduct, it can be inferred that the concerned workman has lost the confidence of the management. In this misconduct no one else like branch manager and other member of the staff were not responsible in any manner. In this background I am of the view that punishment by way of dismissal was the only just punishment. There is no disproportionate between the misconducts and the punishment.

8. Hence my award is that the dismissal of the concerned workman by way of punishment, by order dated 3-5-89 is not bad. Consequently the concerned workman is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

इलाहाबाद बैंक,

प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1

क्षेत्रीय कार्यालय, पाण्डु नगर,

कानपुर,

नई दिल्ली, 21 जून, 1998

क्षेका/कान/आई आर सी/यू के टी/399

श्री उमा कांत तिवारी

लिपिक सह रोकड़िया (निलम्बित)

द्वारा इलाहाबाद बैंक,

काकादेव शाखा,

कानपुर।

महोदय,

आरोप पत्र—1

दिनांक 27-10-87 के हमारे पत्र संख्या क्षेका/कान/एस/2492 के अनुक्रम में आप पर निम्नलिखित आरोप लगाये जाते हैं :—

1. यह कि दिनांक 29-9-87 को जब आप बैंक की काकादेव, कानपुर शाखा में प्राप्ति खजांची (रिसीविंग कैशियर) के रूप में कार्य कर रहे थे तो आपको मैसर्स बी के सेल्स कार्पोरेशन के चालू खाते में जमा करने हेतु रु. 2300 (रुपये दो हजार तीन सौ मात्र) की धनराशि सम्बन्धित पे इन स्लिप के साथ जमाकर्ता द्वारा दी गई। आपने उक्त धनराशि प्राप्ति की रसीद स्वयं अनाधिकृत रूप से हस्ताक्षरित करके जमाकर्ता को दे दी, किन्तु सम्बन्धित रकम पूर्ण रूप से आपने नकदी प्राप्ति बही (कैश रिसीप्ट बुक) में नहीं दर्ज की और उपर्युक्त रुपया 2300 के स्थान पर अलग से रु. 1000/— (रुपये एक हजार मात्र) का जमा का वाउचर बनाकर केवल रु. 1000/— बी के सेल्स कारपोरेशन के नाम से नकदी प्राप्ति बही (कैश रिसीप्ट बुक) में दर्ज किये हैं। इस प्रकार आपने उपर्युक्त खाते में रु. 2300/— के स्थान पर केवल रु. 1,000/- जमा किये और रु. 1300/— की धनराशि जमा नहीं की तथा उक्त धनराशि को आपने गबन कर लिया।

2. यह कि दिनांक 16-10-1987 को जब आप बैंक की काकादेव, कानपुर शाखा में प्राप्ति खजांची (रिसीविंग कैशियर) के रूप में कार्य कर रहे थे तब आपने मैसर्स बी के सेल्स कार्पोरेशन के चालू खाते में जमा करने हेतु रु० 2500/-- (रुपये दो हजार पांच सौ (मात्र) सम्बन्धित पे इन स्लिप सहित प्राप्त किये। उक्त राशि की रसीद आपने स्वयं अनाधिकृत रूप से अपने हस्ताक्षर करके जमाकर्ता को दे दी, किन्तु यह धनराशि आपने नकदी प्राप्ति बही (कैश रिसीप्ट बुक) में दर्ज नहीं की और न ही यह राशि जमा करने हेतु बैंक को दी तथा उक्त राशि आप द्वारा गबन कर ली गई।

3. यह कि आपने मैसर्स बी के सेल्स कारपोरेशन के चालू खाते का विवरण दिनांक 1-9-1987 से 16-10-87 तक (स्टेटमेंट) स्वयं तैयार किया जिसमें उपर्युक्त दिनांक 29-9-87 को रु. 2300/- तथा दिनांक 16-10-87 को रु. 2500/- की प्रविष्टियां भी दर्शाई हैं जबकि वस्तुतः उपर्युक्त आरोप संख्या 1 व 2 में वर्णित कृत्यों के फलस्वरूप आप द्वारा सम्बन्धित जमा वाउचर न छोड़े जाने के कारण यह प्रविष्टियां लेजर में नहीं हैं। इस प्रकार आप द्वारा बनाकर दिया गया उपर्युक्त विवरण लेजर की सही प्रतिलिपि नहीं है तथा गलत विवरण तैयार करके आपने खाता धारक को धोखा दिया।

4. यह कि आपने दिनांक 3-10-1987 को जब आप बैंक की काकादेव शाखा कानपुर में प्राप्ति खजांची के रूप में कार्य कर रहे थे तब आपने श्री विशाल सक्सेना एवं वैभव सक्सेना के आवर्ती जमा खाता संख्या 961/1/164 व 962/1/165 में प्रत्येक में रु. 50/- (रुपये पचास केवल) अर्थात कुल रुपये 100/- (रुपये एक सौ मात्र) जमा करने हेतु सम्बन्धित पे-इन-स्लिप सहित प्राप्त किये। उक्त राशि की रसीदें आपने स्वयं अनाधिकृत रूप से हस्ताक्षरित करके जमाकर्ताओं को दे दी, किन्तु उक्त जमा राशि का विवरण कैश रिसीप्ट बुक में दर्ज नहीं किया और न ही यह राशि जमा करने हेतु बैंक को दी तथा उक्त राशि आप द्वारा गबन कर ली गई।

5. यह कि जब आप बैंक की काकादेव, कानपुर शाखा में खजांची के रूप में कार्यरत थे तब आपने मैसर्स प्रभात पब्लिक स्कूल के फीस एकाउण्ट में जमा करने

हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार, संबंधित तिथियों में धनराशियों, विभिन्न जमाकर्ताओं से प्राप्त की और इन सभी धनराशियों की प्राप्ति की रसीदें आपने स्वयं अनाधिकृत रूप से हस्ताक्षरित कर जमाकर्ताओं को दे दीं। उक्त राशियां जिनका कुल योग रु. 3765/- (रुपये तीन हजार सात सौ पैंसठ मात्र) आपने नकदी प्राप्ति पुस्तिका (कैश रिसीप्ट बुक) में दर्ज नहीं की तथा न ही उक्त धनराशि जमा करने हेतु बैंक को दी तथा आप द्वारा गबन कर ली गई।

क्र.सं.	जमा करने की तिथि	ग्राहक जमा रसीद स.	विद्यार्थी का नाम जिसकी फीस जमा की गई	जमा की गई राशि
1.	24-7-87	213	पायल द्विवेदी	रु. 662-00
2.	25-7-87	219.	अखिल कुमार आहूजा	रु. 662-00
3.	27-7-87	218	विन्नी मखीजा	रु. 722-00
4.	03-8-87	105	वर्णिका सिंह	रु. 240-00
5.	04-8-87	222	अनुभव कटियार	रु. 632-00
6.	10-8-87	123	रीतू वर्मा	रु. 622-00
7.	14-9-87	10	रजत वर्मा	रु. 225-00
				रु. 3765-00

6. यह कि जब आप बैंक की काकादेव शाखा में प्राप्ति खजांची के रूप में कार्यरत थे तब आपने दिनांक 30-9-87 को श्री देवी प्रताप शुक्ल के आवर्ती जमा खाता संख्या 538 में जमा करने हेतु रु. 100/- (रुपये एक सौ मात्र) की धनराशि संबंधित पे इन स्लिप सहित प्राप्त की। आपने जमाकर्ता को संबंधित रसीद अनाधिकृत रूप से हस्ताक्षरित करके दे दी किन्तु आपने इसका विवरण न तो कैश रिसीप्ट बुक में दर्ज किया और न ही उक्त राशि जमा करने हेतु बैंक को दी तथा आप द्वारा गबन कर ली गई।

7. यह कि आप बैंक की काकादेव शाखा में प्राप्ति खजांची के रूप में कार्यरत थे तब आपने मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. कानपुर के चालू खाते में जमा करने हेतु दिनांक 18-9-87 को रु. 572/- (रुपये पांच सौ बहत्तर मात्र) की धनराशि उनकी रसीद संख्या एलआर/861 ए न. 461314 के साथ तथा दिनांक 22-9-87 को रु. 235/- की धनराशि उनकी रसीद संख्या एल आर/86/ए न. 461320 के साथ प्राप्त की उक्त धनराशियां न तो आपने कैश रिसीप्ट बुक में अंकित की और न ही यह राशियां जमा करने हेतु बैंक को दी, किन्तु आपने संबंधित रसीदों पर अपने अनाधिकृत हस्ताक्षर करके जमाकर्ताओं को दे दीं तथा उक्त राशि स्वयं गबन कर ली।

8. यह कि जब आप बैंक की काकादेव शाखा में कार्यरत थे तब आपने मैसर्स यूनाइटेड इंश्योरेंस कम्पनी लि. कानपुर के चालू खाते का विवरण दिनांक 01-9-87 से 30-9-87 तक का स्वयं तैयार किया जिसमें कि आपने उपयुक्त आरोप संख्या 7 में वर्णित दिनांक 18-9-1987 को रु. 572/- की प्रविष्टि तथा दिनांक 22-9-1987 को रु. 235/- की प्रविष्टि सम्मिलित कर ली। जबकि वस्तुतः उपर्युक्त आरोप संख्या 7 में वर्णित आपके कृत्यों के फलस्वरूप आप द्वारा संबंधित जमा वाउचर न छोड़े जाने के कारण यह प्रविष्टियां लेजर में नहीं हैं।

इस प्रकार आप द्वारा तैयार किया गया विवरण लेजर की सत्य प्रतिलिपि नहीं है तथा गलत विवरण तैयार करके आपने खाता धारक को धोखा दिया। आपके उपर्युक्त कृत्यों से बैंक की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तथा बैंक के सम्मानित ग्राहकों को अनावश्यक परेशानी भी हुई है, । आपके उपर्युक्त वर्णित कृत्य अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के हैं तथा प्रथम द्विपक्षीय समझौता दिनांक 19-10-66 के पैरा 19.5 (जे) के अन्तर्गत घोर दुराचरण (ग्रास मिसकन्डक्ट) है।

अतः आप इस आरोपपत्र प्राप्त होने की तिथि के 15 दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें। यदि आपका कोई स्पष्टीकरण उपर्युक्त नियत समय के अंदर नहीं प्राप्त होता है तो यह समझा जायेगा कि आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं प्रेषित करना है और तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

भवदीय

(डब्ल्यू. बी. अल्वा)

क्षेत्रीय प्रबंधक एवं अनुशासनिक अधिकारी

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1998

का.आ. 532—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-2-1998 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/312/95-आईआरबी-II]

बी.जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th February, 1998

S.O. 532.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Oriental Bank of Commerce and their workman, which was received by the Central Government on 13-2-1998.

[L-12012/312/95-IR(B-II)]

P. J. MICHEAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 24 of 1997

In the matter of dispute:

BETWEEN

Ganeshi Lal,
C/o Late Bhagwan Singh,
House No. 1162, Nabsingh Wali Gali,
Manakchowk, (Dwarkadhish Ke Piche),
Mathura.

AND

Branch Manager,
Oriental Bank of Commerce,
Main Branch Mathura.

APPEARANCE :

Sri M. L. Agrawal for the management and Sri V. Singh for the workman.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide notification no. L-12012/312/95-I.R. B-2 dated 31-12-96, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

"Whether the action of the management of Oriental Bank of Commerce Mathura not to give a chance to appear in selection test against permanent vacancies in subordinate cadre to Sri Ganeshi Lal Temporary peon OBC Mathura is legal and justified ? If his case is under sec 2(bb)(OO) of I.D. Act, 1947 ? If not to what relief the workman is entitled to ?"

2. There is no dispute that the concerned workman Ganeshi Lal had worked for 85 days at Mathura Branch of the opposite party Oriental Bank of Commerce between 15-1-85 to 31-7-85 intermittently.

3. The case of the concerned workman is that he had worked as temporary peon hence he was entitled for benefit of provisions of Section 25-H of I. D. Act, when new hands were appointed. No opportunity was given to him. However, in the claim statement the particulars of fresh appointments were not given.

4. The case of the opposite party is that the concerned workman was engaged for 85 days in breaks in leave vacancies hence question of extending benefit of section 25F of I.D. Act, does not arise.

5. The concerned workman Ganeshi Lal W.W.1 has stated that he had worked for 85 days. After his removal branches at Brindaban Aurangabad and Kosi were opened. No opportunity was given to him when peons at these places were engaged.

6. The opposite party bank has examined Santosh Kumar, M.W.1 who had stated that the concerned workman was engaged in leave vacancies. Ext. W-1 as the details of number of working days of Ganeshi Lal which shows that he had worked in place of Jagdish Prasad, Purshottam and Jagdish Prasad in different intervals. From this it is fully established that the concerned workman had worked in leave vacancies. I hold accordingly.

7. It is well settled law that when any workman works in leave vacancies he is not entitled for benefits of Section 25F of I.D. Act. Hence, my award is that termination is not bad on this ground and the concerned workman is not entitled for any relief.

8. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1998

का.आ. 533—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सैंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-2-1998 को प्राप्त हुआ था।

[(सं. एल-12012/324/94-आईआर. (बी-II)]

पी.जे. माईकिल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th February, 1998

S.O. 533.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 3-2-98.

[L-12012/324/94 IR(B-II)]

P. J. MICHEAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 35 of 1995

In the matter of dispute

BETWEEN

Sri Krishna Dayal,
Village Namamatganj,
Post Rithwakhor,
Gorakhpur.

AND

Regional Manager,
Central Bank of India,
Gandhinagar Golghar,
Golghar, Gorakhpur.

APPEARANCE :

Santosh Gupta for the workman and
B. G. Agrawal for the management.

AWARD :

1. Central Government Ministry of Labour, vide notification No. L-12012/324/94-I.R. B-2 dated 7-3-1995, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:—

Whether the action of the management of Central Bank of India Gorakhpur in terminating the services of Sri Krishna Dayal casual workman w.c.f. 26-10-1987 is legal and justified? If not, what relief is the said workman entitled to?

2. The case of the concerned workman Krishna Dayal is that he was engaged as casual labour on 12-4-1984 by the opposite party Central Bank of India at Nautanva Branch. He used to perform duties which were of permanent nature. When he asked for the pay of a regular employee he was terminated from service on 26-10-1987 in breach of provisions of section 25F of I.D. Act.

3. The case of the opposite party bank is that the concerned workman was never engaged as a peon. Instead he was engaged from time to time to do work which used to arise according to exigency. In all he had worked for 83 days.

4. In support of his case concerned workman Krishna Dayal M.W.1 has stated that he had continuously worked from April 1984 to 26-10-1987, when he was removed from service. In his cross examination he has stated that he used to carry ledger from one place to another place. On the other hand Lakhi Chand M.W-1 has stated that the concerned workman had never worked as Chaprasi. Instead he was a worker of canteen contractor Ram Sewak Manager Personnel M.W.2 has supported it. There are vouchers of the years 87 filed by the management from which it appears that the concerned workman had not completed 240 days in a year preceding his termination. In this way his case about breach of provisions of section 25F of I.D. Act is not proved.

5. Accordingly my award is that termination of the concerned workman is not bad and he is not entitled for any relief.

Dated : 9-2-1998.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1998

का. आ. 534—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लखनऊ के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/160/96-आई.आर. (बी)]

पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th February, 1998

S.O. 534.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of North Eastern Railway, Lucknow and their workman, which was received by the Central Government on 13-2-1998.

[No. L-41012/160/96-IR (B)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 171 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN

Suneel Kumar Khare,

14/C, Badsha Nagar Railway Colony,
Mahanagar, Lucknow.

AND

A.E.N.,

North Eastern Railway,
D.R.M. Office,
Ashok Marg, Lucknow.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-41012/160/96-I.R. (B) dated 5-9-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the DRM, N.E. Railway Lucknow to advise Shri Sunil Kumar Khare T.S. Khalasi to report for duty to Dy. C.E. (C), N.E. Railway, Mujaffarpur vide their letter dated 11-12-95 is legal and justified, whether it was justified on the part of A.E.N./East/N.E. Railway, Lucknow not to allow the said workman to report for duty on 30-12-94 in view of screening test held 1988 If not, to what relief the workman is entitled ?

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not file claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1998

का.आ. 535—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कम-लेबर-कोर्ट, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/43/92- आई.आर. (डी.)]

पी.जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th February, 1998

S.O. 535.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure ,in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Uttar Railway, Allahabad and their workman, which was received by the Central Government on 13-2-1998.

[No. L-41012/43/92-IR (DU)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 91 of 1993

In the matter of disptue :

BETWEEN

Mandal Rail Prabandnak (Karmik),
Uttar Railway,
Allahabad.

AND

Dinnath Tiwari
Mandal Upadhiaksh
Uttar Railway Karmchari Union
2-Naveen Market Parade
Kanpur.

APPEARANCES :

Shri Dina Nath Tiwari—for the workman.

Km. Suman Gupta—for the Management.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-31012/43/92-IR (DU) dated 8-10-93 has refetred the following disptue for adjudication to this Tribunal :

"Mandal Rail Prabandhak Uttar Railway Allahabad dwara Shri Devi Gulam Fitter ko Akasmik sewa puri hone ki tithi se asthai Fitter ka wetan man na diya jana ththa upukut varita suchi me uchit sthan na dena aur is prakariya se utpanh wetan antar bhugtan na karna nayochit hai ? Ydi nahi to sambandhit karmkar kis anutosh ka hakdar hai ?"

2. The case of the concerned workman Devi Gulam is that he was engaged as Khallasi on 25-7-68 by the opposite party Northern Railway. At that time he was having I.T.I. Diploma of Fitter Trade. Hence from 1969 he was appointed as casual Fitter and pay of casual fitter was been given to him. As such after completing as 180 days he become entitled for post and grade of Fitter. Still he was illegally he was confirmed as Khallasi. He was entrusted to the post of Fitter. Ultimately he was given appointment for the post on 19-2-83. Hence he is entitled for the status of Fitter from 1970 to 1983 as well.

3. The opposite party has filed reply in which it has been alleged that the concerned workman was never entrusted the job of Fitter in 1970. Instead he has worked as Khallasi till 1983. Hence he is not entitled for status of Fitter from 1970.

4. In the rejoinder nothing new has been alleged.

5. The first point which require consideration is that whether the concerned workman has worked as Fitter from 1969. There is Ex. W-8 to Ext. W-10 to prove that the concerned workman had obtained the diploma of Fitter before joining the service. The concerned workman Devi Gulam WW-1 has stated that he has worked as fitter from 1969 and he was paid wages in this grade as well. On 2-7-96 the concerned workman had moved an application for directing the opposite party Railway to file service card and paysheet from 1969. The opposite party Railway was directed to file them but the opposite party has failed to produce the same. It has been admitted by R. K. Srivastava MW-1 that the service record and pay sheet of the period before 10-2-77 is in the office of D.R.M., Allahabad. Inspite of this fact if these papers have not been filed adverse inference will be drawn against the Railway. In this way it is established that the concerned workman had worked as Fitter from 1969 and was paid wages in the grade. Para 2007 of Railway Estt. Code inable the opposite party Railway to appoint a casual labour in skilled category if there is no pannel. During this period such casual labour will get the pay of skilled worked. It appears that as the concerned workman was already having a certificate of Fitter. In this way he has aquired the right to hold the post of fitter from 1969.

6. Accordingly he will be entitled for the post from 1969 when he was given the job of Fitter for the first time. He will also be entitled for benefit of seniority but he will not be entitled for difference of wages for the period as the dispute has been raised at very belated stage. I award accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1998

का.आ. 536.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल रेलवे झांसी के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/36/92-आई.आर. (बी-I)]

पी.जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th February, 1998

S.O. 536.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Railway Jhansi and their workman ,which was received by the Central Government on 13-2-1998.

[No. L-41012/36/92-IR (B-I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 2 of 1995

In the matter of dispute :

BETWEEN

Shri Surinder Singh, President
Rashtriya Chaturth Sherni Rail Mazdoor Congress
4, Heerapur
Nagra Jhansi.

AND

Divisional Railway Manager,
Central Railway
Jhansi.

APPEARANCES :

Shri Surinder Singh—for the workman.

Shri Mrigank Srivastava—for the Management.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-41012/36/92-IR (B-I) dated 23-12-94 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the management of Central Railway, Jhansi in terminating the services of Shri Basant Lal is justified ? If not, what relief he is entitled to ?

2. The case of the concerned workman Basant Lal is that he was engaged as a Temporary Gangman on 24-4-83 under PW-1 (Retying) of the opposite party Central Railway. He had completed 120 days on 25-9-83. In this way he has acquire temporary status. Thereafter he continued to work upto 18-8-87. During this period he was also medically examined. Still his services were illegally terminated w.e.f. 19-8-87 in breach of provision of Section 25-F of I. D. Act.

3. The case of the opposite party Railway is that the concerned workman was engaged on a project. As he had completed 180 days he could not acquire temporary status. Nothing else has been pleaded in respect of breach of provision of Section 25-F I. D. Act.

4. In the rejoinder nothing new has been alleged.

5. In support of his case the concerned workman Basant Lal WW-1 has examined himself. He has stated that he had worked from 24-4-83 to 19-8-87. When he was removed from service notice pay and retrenchment compensation was not given. There is no evidence in rebuttal. Hence I accept the unrebutted evidence of concerned workman and hold that he had completed more than 240 days in a year. When he was removed from service at that time notice pay and retrenchment compensation was also not given. Hence there had been breach of provision of Section 25-F I. D. Act.

6. Accordingly my award is that termination of concerned workman is bad in law and he will be entitled for reinstatement without back wages because of delayed reference.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1998

का.आ. 537.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक आफ इंडिया लखनऊ के प्रबन्धतन्त्र लखनऊ के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कम-लेबर-कोर्ट, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/02/96-आई.आर. (बी)]

पी.जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th February, 1998

S.O. 537.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure ,in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Reserve Bank of India, Lucknow and their workman, which was received by the Central Government on 13-2-1998.

[No. L-12012/02/96-IR (B)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 200 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN

Secretary

Reserve Bank of India Workers' Union,
Sahkari Kishan Bhawan
2 M.G. Marg
Lucknow.

AND

General Manager
(Officer IC)
Reserve Bank of India
Sahkari Kishan Bhawan
2 M.G. Marg
Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-12012/02/96-I.R. (B) dated 10-9-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the management of Reserve Bank of India, Lucknow in terminating the services of S/Shri Raj Kapoor, Shankar Sahai, Desh Raj, Rajoo Rasool Ahmad, Giri Raj Kishore Gupta and Narendra Kumar Singh is legal and justified ? If not to what relief they are entitled to ?

2. It is unnecessary to give the details of the case as Union Rep. vide his letter dated 6-12-97 request for closer of the case. Hence reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and concerned workmen will not be entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का.आ. 538.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी सी सी. एल. के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/495/95-आईआरसी (सी-I)]

अजय कुमार, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 538.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L. and their workman, which was received by the Central Government on 18-2-1998.

[No. L-20012/495/95-IR (C-I)]

AJAY KUMAR, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. B. Chatterjee, Presiding Officer.

In the matter of an industrial disptue under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

Reference No. 24 of 1997

PARTIES :

Employers in relation to the management of Lodna Area of M/s. B.C.C.L. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workmen—None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 29th January, 1998

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/495/95-I.R. (Coal-I) dated, the 11th February, 1997.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jeenagora Colliery under the Lodna Area of M/s. B.C.C.L. in dismissing Shri Suresh Singh, Night Guard is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. Soon after the receipt of the order of reference notices were duly served upon the parties. The management appeared through their learned Advocate Shri B. Joshi but the workmen did not appear. Subsequently when the case was fixed a Memorandum of Settlement was filed under the signature of both the parties. I have gone through the terms of settlement and do find that the same is fair and proper. Accordingly I accept the said settlement and do pass an Award in terms thereof which forms part of the Award as Annexure.

B. B. CHATTERJEE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का.आ. 539.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ सी आई के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/222/96-आईआर (सी-II)]

लौली माओ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 539.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 18-2-98.

[No. L-22012/222/96-IR (C-II)]

LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 111 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN :

Sri Hari Singh,
S/o. Heera Singh,
Village Salemour,
Post Office Mohali,

Distt. Mathura.

AND

District Manager,
Food Corporation Of India,
19/150, Awash Vikas Colony,
Agra Road, Aligarh.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour New Delhi vide its notification No. L-22012/222/96-I.R. C-II dated 27-6-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.

"Whether the claim of Sh. Hari Singh to have worked in Food supply Depot, Mathura of Food Corporation of India Aligarh is legal and justified ? Whether he has been denied of legitimate claim provided in settlement signed between the management and Food Corporation of India workers Union, New Delhi for introduction of Mate system in FSD Mathura. If so, to what relief he is entitled ?".

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not file claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का.आ. 540.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एफ० सी० आई० के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/223/96-आई आर (सी-II)]

लौली माऊ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 540.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 18-2-98.

[No. L-22012/223/96-IR (C-II)]

LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER. CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 110 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN :

Yuns S/o. Kallu,
Jiwan Wali Masjid,
Manoharpur, Mathura.

AND

District Manager,
Food Corporation of India,
19/150 Awas Vikas Colony,
Agra Road, Aligarh.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour New Delhi vide its Notification No. L-22012/223/96-I.R. (C-II) dated 15-7-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the claim of Sh. Yuns to have worked in Food Supply Depot, Mathura of Food Corporation of India, Aligarh is legal and justified ? Whether he has been denied of legitimate claim provided in setrlement signed between the management and Food Corporation of India Workers' Union, New Delhi for introduction of Mate System in FSD Mathura. If so to what relief he is entitled ?

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not filed claim statement. Hence reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का.आ. 541.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ०सी०आई० के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/227/96-आई.आर. (सी-II)]

लौली माऊ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 541.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 18-2-98.

[No. L-22012/227/96-IR (C-II)]

LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 143 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN :

Smt. Kalawati Devi,
W/o. Sri Man Singh,
Village-Solempur,
Post Office Mohali,
Distt. Mathura.

AND

District Manager,
Food Corporation of India,
19/150, Awas Vikas Colony,
Agra Road,
Aligarh

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-22012/227/96 I.R. C-II dated 19-8-97, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the claim of Smt. Kalawati Devi to have worked in Food Supply Depot, Mathura of Food Corporation, Aligarh is legal and justified ? Whether she has been denied of legitimate claim provided in settlement signed between the management and Food Corporation of India Workers' Union, New Delhi introduction of Mate system in FSD, Delhi introduction of Mate System in FSD.

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concered workman has not filed claim statement. Hence the reference in answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का.आ. 542.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ०सी०आई० के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/230/96-आई आर (सी-II)]

लोली माओ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 542.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 18-2-98.

[No. L-22012/230/96-IR (C-II)]

LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 145 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN :

Smt. Prakashi Devi,
W/o. Sri Nem Singh,
Village Pindhakhara,
Post Krishna Nagar,
Distt. Mathura.

AND

District Manager,
Food Corporation Of India,
19/150, Awas Vikas Colony,
Agra Road, Aligarh.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-22012/230/96-I.R. C-II dated 19-8-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the claim of Smt. Prakashi Devi to have worked in Food Supply Depot, Mathura of Food Corporation of India, Aligarh is legal and justified ? Whether she has been denied of legitimate claim provided in settlement signed between the management and Food Corporation of India Workers' Union, New Delhi for introduction of Mate System in FSD, Mathura ? If so, she is entitled to what relief ?"

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not filed claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का.आ. 543.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ०सी०आई० के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/242/96-आई आर (सी-II)]

लोली माओ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 543.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 18-2-98.

[No. L-22012/242/96-IR (C-II)]

LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 119 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN :

Rama Yadav S/o. Chhatar Singh,
Vill. Salempur,
P.O. Mohali,
Distt. Mathura.

AND

District Manager,
Food Corporation of India,
19/150 Awas Vikas Colony,
Agra Road, Aligarh.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-22012/242/96 I.R. (C-II) dated 24-7-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the claim of Sh. Rama Yadav to have worked in Food Supply Depot, Mathura of Food Corporation of India Aligarh is legal and justified ? Whether he has been denied of legitimate claim provided in settlement signed between the management and Food Corporation of India Workers' Union, New Delhi for introduction of Mate System in FSD Mathura ? If so he is entitled to what relief.

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not filed claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का.आ. 544.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ सी आई के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/246/96-आई आर (सी-II)]
लौली माओ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 544.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 18-2-98.

[No. L-22012/246/96-IR(C-II)]
LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 153 of 1997

In the matter of dispute between :

Sri Niranjan Singh,
S/o Sri Ram Singh,
Village—Salempur,
Post Office-Maholi,
Distt., Mathura.

AND

District Manager,
Food Corporation of India,
19/150 Awas Vikas Colony,
Agra Road,
Aligarh.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour New Delhi, vide its notification No. L-22012/246/96-I.R. C-II dated 19-8-1997 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.

Whether the claim of Sh. Niranjan Singh to have worked in Food Supply Depot. Mathura of Food Corporation of India, Aligarh is legal and justified? Whether he has been denied of legitimate claim provided in settlement signed between the management and Food Corporation of India Workers Union, New Delhi for introduction of Mate System in FSD, Mathura? If so, he is entitled to what relief?

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not filed claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का.आ. 545.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ सी आई के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18/2/98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/255/96-आई आर (सी-II)]
लौली माओ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 545.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 18-2-98.

[No. L-22012/255/96-IR (C-II)]
LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 148 of 1997

In the matter of Dispute :

BETWEEN :

Kedar Singh S/o. Ragi,
Vill. Salempur P.O. Maholi.
Distt. Mathura.

AND

District Manager,
Food Corporation of India,
19/150 Awas Vikas Colony,
Agra Road, Aligarh.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour New Delhi vide its Notification No. L-22012/255/96-I.R. (C-II) dated 19-8-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the claim of Sh. Kedar Singh to have worked in Food Supply Depot, Mathura of Food Corporation of India, Aligarh is legal and justified ? Whether he has been denied of legitimate claim provided in settlement signed between the management and Food Corporation of India Workers Union, New Delhi for introduction of Mate System in FSD Mathura ? If so he is entitled to what relief ?

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not filed the claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का.आ. 546—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ सी आई के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/257/96-आई आर (सी-II)]

लौली माउ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 546.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workmen which was received by the Central Government on 18-2-98.

[No. L-22012/257/96-IR (C-II)]
LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT IUDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 157 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN :

Anil Kumar S/o. Panna Lal,
Kailash Nagar,
Pili Kothi Ke pass,
Distt. Mathura.

AND

District Manager,
Food Corporation of India,
19/150 Awas Vikas Colony,
Agra Road Aligarh.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour New Delhi vide its Notification No. L-22012/257/96-I.R. (C-II) dated 20-8-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the claim of Sh. Anil Kumar to have worked in Food Supply Depot. Mathura of Food Corporation of India, Aligarh is legal and justified ? Whether he has been denied or legitimate claim provided in settlement signed between the management and Food Corporation of India Worker, Union New Delhi for introduction of Mate System in FSD Mathura ? If so to what relief the workman is entitled ?

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not filed claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का. आ. 547:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफसी आई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-22012/262/96-आई आर (सी–II)]

लौली माउ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 547.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 18-2-98.

[No. L-22012/262/96-IR (C-II)]
LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT DEOKI PALACE ROAD PANDU NAGAR KANPUR

Industrial Dispute No. 160 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN :

Shri Tej Singh,
S/o S/ Kedar Singh,
Village-Salempur.
Post Office Mohall,
Distt. Mathura.

AND

District Manager,
Food Corporation of India,
19/150 Awas Vikas Colony,
Agra Road, Aligarh.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour New Delhi vide its Notification No. L-22012/262/96 I.R. C-II dated 20-8-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the claim of Sh. Tej Singh to have worked in Food Supply Depot Mathura of Food Corporation of India Aligarh is legal and justified ? Whether he has been denied of legitimate claim provided in settlement signed between the management and Food Corporation of India workers Union, New Delhi for introduction of mate system in FSD, Mathura ? If so to what relief the workman is entitled ?

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not file claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का. आ. 548.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ सी आई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[स. एल.—22012/279/96—आई आर (सी-II)]
लौली माऊ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 548.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 18-2-1998.

[No. L-22012/279/96-IR (C-II)]
LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 168 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN

Kapil Dev S/o Tuna Singh
C/o Saran Singh
Vill. Salempur P.O. Maholi
Distt. Mathura.

AND

District Manager
Food Corporation of India
19/150 Awas Vikas Colony
Agra Road Aligarh.

AWARD

1. Cenrtal Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notificaiotn No. L-22012/279/96-I.R. (C-II) dated 20-8-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the claim of Shri Kapil Dev to have worked in supply Depot Mathura of Food Corporation of India Aligarh is legal and justified ? Whether he has been denied of legitimate claim provided in settlement signed between the management and Food Corporation of India Workers Union, New Delhi for introduction of Mate System in FSD, Mathura ? If so to what relief the workman is entitled ?

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not file claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entiled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का. आ. 549 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ सी आई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल—22012/282/96—आई आर (सी-II)]
लौली माऊ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 549.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 18-2-1998.

[No. L-22012/282/96-IR (C-II)]
LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 140 of 1997

In the mater of Jispute :

BETWEEN

Sri Rajoo

S/o Bhkki Ram
Village—Ihingarpura Koyala Vali Basti
Post Sanket Mochan
Distt. Mathura.

AND

District Manager
Food Corporation of India
19/150, Awash Vikas Colony
Agra Road,
Aligarh.

AWARD

1. Central Goverament, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-22012/282/96-I.R. (C-II) dated 19-8-97, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the claim of Shri Rajoo to have worked in Food Corporation Depot Mathura of Food Corporation of India, Aligarh is legal and jusifiedt ? Whether he has been denied of legitimate claim provided in settlement signed between the management and Food Corporation of India Worked Union, New Delhi for introduction of Mate system in FSD, Mathura ? If so, he is entitled to what relief ?"

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not file claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का. आ. 550 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ सी आई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-22012/285/96—आई आर (सी-II)]

लौली माओ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 550.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workmen, which was received by the Central Government on 18.2.1998.

[No. L-22012/285/96-IR (C-II)]

LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 164 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN

Sri Rajveer Singh
S/o Ratan Singh
Village Salempur
Post Office, Mohali
Distt. Mathura.

AND

District Manager,
Food Corporation of India
19/150 Awash Vikas Colony
Agra Road,
Aligarh.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-22012/285/96-I.R. (C-II) dated 20-8-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the claim of Shri Rajveer Singh have worked in Food Supply Depot Mathura of Food Corporation of India Aligarh is legal and jusifietd ? Whether he has been denied of legitimate claim provided in settlement signed between the management and Food Corporation of India worked Union, New Delhi for introduction of mate system in FSD, Mathura ? If so to what relief is the workman entitled ?"

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not file claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

का. आ. 551 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफसी आई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.—22012/286/96—आई आर (सी-II)]

लौली माओ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 551.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workmen, which was received by the Central Government on 18.2.1998.

[No. L-22012/286/96-IR (C-II)]

LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 162 of 1997

In the mater of dispute :

BETWEEN

Harpal S/o Binda Lal
House No. 405
Barkhandi
Mathura.

AND

District Manager

Food Corporation of India
19/150 Awas Vikas Colony
Agra Road, Aligarh.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-22012/286/96-I.R. (C-II) dated 20-8-97 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the claim of Shri Harpal to have worked in Food Supply Depot, Mathura of Food Corporation of India, Aligarh is legal and justified ? Whether he has been denied of legitimate claim provided in settlement signed between the management and Food Corporation of India Workers Union New Delhi for Introduction of Mate System in FSD Mathura ? If so to what relief the workman is entitled ?

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not file claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998,

का. आ. 552—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार [एफ०सी०आई० प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.—22012/393/96-आई आर (सी-II)]
लौली माऊ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th February, 1998

S.O. 552.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F. C. I. and their workman, which was received by the Central Government on the 18-2-98.

[No. L-22012/393/96-IR(C-II)]
LOWLI MAO. Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 170 of 1997

In the matter of dispute :

BETWEEN

State Secretary,
Food Corporation Karmachari Sangh,
5-6 Habibullah State, Hazarat Ganj,
Lucknow

AND

Senior Ragional Manager,
Food Corporation of India,
5-6 Habibullah State Hazarat Ganj,
Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its notification No. L-22012/393/96-I.R. C-II dated 3-9-97, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.

"Whether the action of the management of FCI, Lucknow in not considering the service rendered by Sh. Jai Chand Singh, AG. III(D) in M. P. Region of F.C.I. while fixing his seniority in his cadre is legal and justified ? If not to what relief is the workman entitled and from which date ?".

2. It is unnecessary to give the details of the case as after sufficient opportunity the concerned workman has not file claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1998

का.आ. 553—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब एवं सिंध बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-2-1998 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/21/7/87-आई.आर. (बी-II)]
सनातन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th February, 1998

S.O. 553 --In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab & Sind Bank and their workman, which was received by the Central Government on 18-2-1998.

[No. L-12012/21/7/87-IR (B-II)]
SANATAN, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

AT CALCUTTA

Reference No. 136 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of Punjab & Sind Bank.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Mr. Justice A. K. Chakravarty, Presiding Officer

APPEARANCE :

On behalf of Management.—Mr. D. K. Ghosh, Advocate.

On behalf of Workmen.—Mr. D. P. Roy, General Secretary of the Indian National Bank Employees' Congress.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Banking.

AWARD

By Order No. L-12012/21/7/87-D.IV(A) dated 16-10-1987 the Central Government in exercise of its powers under section 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Punjab & Sind Bank in terminating the services of Shri Khem Bahadur Thappa, Sub-staff, Howrah Branch w.e.f. 9-11-83 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. The present reference has arisen at the instance of the Punjab & Sind Bank Employees' Congress for reinstatement of one Khem Bahadur Thappa, alleged to be a sub-staff of Howrah Branch of the Punjab & Sind Bank, on the ground that though he put in more than 240 days of service from the year 1981 to 1983, his service was terminated and some other persons were illegally appointed in his place.

3. The case of the management in its written statement is that Shri Thappa worked as a sub-staff from time to time as and when required against a purely casual vacancy and the fixed term of his employment of casual nature came to end after the expiry of the specific period and accordingly his service having ended after the completion of the specific period, there is no question of termination of his service. The management has also taken other points in the written statement against the claim of the union.

4. It appears from the record that the union examined three witnesses and one witness was examined on behalf of the management. It further appears that the management was to examine some other witnesses but the examination of those witnesses could not be completed as the union prayed for time for substitution of the legal representative of the deceased workman concerned, who died in the meantime. After number of adjournments were taken on that ground, the union filed an application today stating that the legal representative of the deceased workman, namely, his wife, neither contacted with the union, nor has taken any step in the matter. In the said circumstances, the union filed the application for passing necessary orders.

It was also submitted on behalf of the union that since it has not received any instruction from the wife, who is the only legal representative of the deceased workman, and whose where abouts also could not be ascertained that it is no longer interested in the present reference.

5. It is true that certain witnesses were examined and some documents were marked exhibits in this case. Management, it appears, was directed to examine other witnesses, as prayed for by them, but that could not be done due to demise of the concerned workman. The evidence recorded in this case, therefore, is incomplete. It is not known whether any other documentary evidence would have been marked exhibits in this case. Upon consideration of the aforesaid circumstances, both the management and the union prayed for passing necessary orders for disposal of this case.

6. In view of the incomplete nature of evidence adduced by the parties, there is no point in going into the merits of the case. In the said circumstances, this Tribunal has no other alternative but to pass a "No Dispute" Award in this case.

7. A "No Dispute" Award is accordingly passed.

This is my Award.

A. K. CHAKARVARTY, Presiding Officer

Dated, Calcutta,

The 10th February, 1998.

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1998

का.आ. 554.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19 फरवरी, 1998 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/84/93-आई.आर. (बी-II)]
सनातन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th February, 1998

S.O. 554.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jodhpur as shown in the Annexure in the industrial disptue between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workman, which was received by the Central Government on 19-2-1998.

[No. L-12012/84/93-IR (B-II)]
SANATAN, Desk Officer

अनुबंध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री चांदमल तांतिया, आर.एच.जे.एस.

औ. विवाद (केन्द्रीय) सं. : 2/1993

श्री एस.के. बोहरा,

जरिये सचिव पंजाब नेशनल बैंक एम्पलोईज यूनियन,
परवाना भवन, माधोबाग, जोधपुर ... प्रार्थी

बनाम

क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक,
शास्त्रीनगर, जोधपुर ... अप्रार्थी

उपस्थिति :

(1) प्रार्थी की तरफ से श्री विजय मेहता प्रतिनिधि

(2) अप्रार्थी की तरफ से श्री पी.सी. सोनी प्रतिनिधि

अधिनिर्णय

दिनांक : 02-12-97

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12012/84/93-आई.आर.बी.-II दिनांक 1-9-1993 से कर्मचारी श्री एस. के. बोहरा तथा उसके नियोजक पंजाब नेशनल बैंक के मध्य उत्पन्न हुआ निम्नांकित विवाद इस न्यायालय को अधिनिर्णय हेतु प्रेषित किया गया है :—

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Jodhpur is justified in imposing punishment of warning on Shri S. K. Bohra by Order dated 13-6-1991 ? If not, to what relief, is the workman entitled to ?'

कर्मचारी श्री एस. के. बोहरा के लिए पंजाब नेशनल बैंक एम्पलोईज यूनियन के महासचिव के द्वारा प्रस्तुत मांग सूची आवेदन में बताया गया है कि विपक्षी बैंक ने दिनांक 23-6-1990 को एक आरोप-पत्र श्री बोहरा को दिया जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 9-12-1988 को उसने कार्य समय में बैंक की एक पार्टी मै. इण्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रोनिक्स जिसका कि इस शाखा में चालू खाता संख्या 4513 है, से उनके पत्र दिनांक 9-12-1988 जो कि उनके चैक सं. 777897 के स्टॉप पैमेंण्ट के निर्देश के सम्बन्ध में था, स्वीकार किया जब कि पार्टी के इस पत्र में बैंक नियमों के अनुसार स्टॉप पैमेन्ट के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनाएं पार्टी द्वारा नहीं दी गई थी। श्री बोहरा ने पार्टी के खाते की लेजर सीट में स्टॉप पेमेन्ट का निर्देश बैंक के नियमों के अनुसार दर्ज नहीं किया एवं जब उक्त चैक भुगतान हेतु 19-12-1988 को प्रस्तुत हुआ तब श्री बोहरा ने खाते की लेजरशीट की जांच किये बिना टोकन जारी कर दिया जो कि बैंक के नियमों अनुसार सही नहीं था। आवेदन में बताया गया है कि श्री बोहरा ने उक्त आरोप-पत्र का जवाब 3-7-90, 14-7-90, 16-8-90, 29-10-90 व 25-4-1991 को दिया तथा बैंक ने श्री बोहरा का जवाब समाधान कारक नहीं माना। आवेदन में बताया गया कि अपने उत्तर में श्री बोहरा ने लिखा था कि इस खाते में प्रबन्धक द्वारा समय-समय पर अधिविषक दिया जाता रहा है इसलिए उसने पार्टी को टोकन दिया था तथा स्टॉप पैमेंट रजिस्टर हैण्ड में लेजरशीट में स्टॉप पैमेंट नोट किया था तथा स्टॉप पेमेंट रजिस्टर में पूरी कार्यवाही कर प्रभारी अधिकारी के सामने भेज दिया था जिन्होंने कोई त्रुटी नहीं पाते हुए नोटिसंग पर अपने लघु हस्ताक्षर किये। जिस चैक का स्टाप पैमेंट किया गया उस चैक को प्रभारी अधिकारी ने लेजर में पार्टी के खाते को डेबीट किया तथा प्रभारी अधिकारी ने ही चैक को पास किया एवं अगर अधिकारी ने लेजर पर नोट किये गये स्टॉप पैमेंट इन्स्ट्रक्शन को पढ़ा होता तो उपरोक्त स्टाम्प पैमेंट का चैक पास नहीं होता, जिसका कि स्टॉप किया गया था। बताया गया है कि यह चैक प्रभारी अधिकारी की लापरवाही में पास हुआ है जिन्होंने चैक को पोस्ट एवं पास करते समय ध्यान नहीं दिया। बताया गया है कि यदि यह नोटींग कैपीटल लेटर्स में भी होती तब भी चैक पास हो गया होता क्योंकि प्रभारी अधिकारी ने सावधानी नहीं बरती थी अतः इसका दोष बोहरा पर लगाना गलत है। मांग सूची में बताया गया है कि बैंक ने चेतावनी का दण्ड दिया तथा अपील अधिकारी ने अपील को नहीं माना तथा दण्ड को यथावत् रखा जिससे श्री बोहरा अधिकारी के लिए परीक्षा हुई उसमें नहीं बैठ सका जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ जो कि बैंक की गलत एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही के द्वारा हुआ है। प्रार्थना की गई है कि दण्ड को निरस्त किया जावे।

नियोजक ने अपने उत्तर में प्रारंभिक आपत्तियां की है कि :—

(1) कर्मचारी की सेवा शर्तों तथा गमक्षातों व एग्रीमेंट के अधीन प्रार्थी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी,

(2) द्विपक्षीय समझौते के पैरा-19 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है तथा यह कार्यवाही पूरी तरह से प्रक्रिया व विधिनुसार की गई है अतः यह कार्यवाही इस न्यायालय में नहीं चल सकती।

(3) उठाया गया विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद की श्रेणी में नहीं आता,

(4) यूनियन के जरिये यह मामला प्रस्तुत हुआ तथा यूनियन की कार्यकारिणी में ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है जिससे यह प्रकट है कि कार्यकारिणी ने यह प्रकरण प्रस्तुत करने की अनुमति दी हो अतः यह प्रकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं है।

मांग सूची के उत्तर में बताया गया है कि विपक्षी के जोधपुर शाखा कार्यालय में एक पार्टी मै. इण्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रोनिक्स का चालू खाता संख्या 4513 है जिसमें इस पार्टी

ने अपने पत्र दिनांक 9-12-1988 से चैक संख्या 777897 का स्टॉप पैमेंट करने के निर्देश दिये थे तथा पार्टी के इस पत्र में पूरा विवरण नहीं दिया गया था तथा यह पत्र कर्मचारी श्री बोहरा द्वारा प्राप्त किया गया था तथा उन्होंने स्टॉप पैमेंट के निर्देश पार्टी के खाते में अंकित तो किये किन्तु बैंक के नियमों व प्रक्रिया के अनुसार अंकित नहीं किया। उत्तर में बताया गया है कि स्टॉप पैमेंट के लिए निर्देशित यह चैक सं. 777897 शाखा में दिनांक 19-12-1988 को पैमेंट हेतु प्रस्तुत हुआ श्री बोहरा ने ही चैक प्राप्त किया व लेजर शीट देखे बिना ही चैक प्रस्तुतकर्ता को पैमेंट के लिए टोकन जारी कर दिया जिसके परिणामस्वरूप इस स्टॉप पैमेंट चैक का भुगतान हो गया तथा बैंक को चैक की राशि रुपये तीस हजार तथा इस पर ब्याज व अन्य खर्चे का नुकसान हुआ अतः श्री बोहरा के विरुद्ध बैंक ने आरोप लगाया कि :

(1) कि जांचे बिना ही स्टाप पैमेंट के संबंध में पार्टी का यह पत्र प्राप्त किया जिसमें कि महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं दी गई थीं,

(2) लेजर शीट में स्टॉप पैमेन्ट के निर्देश नियमानुसार लाल स्याही में नहीं लिखकर नीली स्याही से लिखें ;

(3) स्टॉप पैमेन्ट के निर्देश लेजर शीट में दाहिनी तरफ टिप्पणी कालम में सबसे ऊपर लिखे जब कि लेजर शीट की अन्तिम प्रविष्टि के सामने लिखा जाना चाहिये ;

(4) स्टाप निर्देश प्राप्त होते ही उस दिन की प्रविष्टि के बाद बैंक की प्रक्रिया अनुसार लाल स्याही से डाऊनवर्ड कर्व लाईन नहीं खींचीं ;

(5) लेजर शीट पर नियमानुसार रैड स्लिप भी नहीं लगाई;

(6) पार्टी का 9-12-1988 का स्टॉप पैमेन्ट निर्देश प्राप्त होने पर भी उसकी पावती नहीं बतायी ;

(7) 19-12-1988 को स्टॉप पैमेन्ट वाले इस चैक के प्रस्तुत होने पर पार्टी के खाते की लेजर शीट देखे बिना टोकन जारी कर दिया जो कि नियमानुसार नहीं था।

(8) चैकों की वह लिस्ट अपने पास नहीं रखी जो कि स्टॉप पैमेन्ट के निर्देश की थी, इस कृत्य से बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा बैंक को क्षति हुई, जो कृत्य द्विपक्षीय समझौते की धारा 19.5 (जे) के अन्तर्गत दुराचार है।

उत्तर में बताया गया है कि कर्मचारी ने 25-4-1991 के अपने उत्तर में आरोपों को स्वीकार किया गया अतः दोष सिद्ध पाया जाकर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा 2-5-1991 को कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया तत्पश्चात् 8-5-1991 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया, जिसके पश्चात् दिनांक 13-6-1991 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने निर्णय पारित करते हुए द्विपक्षीय समझौते की धारा 19.6 (बी) के अन्तर्गत चेतावनी का दण्ड दिया। उत्तर में बताया गया है कि 25-4-1991 के आरोप के उत्तर में प्रार्थी ने स्वीकार किया कि स्टॉप पैमेन्ट के अनुदेश पार्टी के खाते में नोट करते समय पूर्ण सतर्कता बरतने के बाद भी कुछ प्रक्रियात्मक गलतियां हुई तथा बैंक को नुकसान के लिए खेद भी प्रकट किया गया तथा कर्मचारी ने यह स्वीकार किया कि लैजर-शीट की जांच किये बिना ही उसने टोकन जारी कर दिया था। अतः विधिवत् रूप से कार्यवाही कर चेतावनी का दण्ड दिया गया है। उत्तर में बताया गया है कि कर्मचारी श्री बोहरा ने प्रभारी अधिकारी की लापरवाही बताई है जबकि श्री बोहरा ने बैंक के निर्देशों की अनुपालना में लेजर का अवलोकन किये बिना ही टोकन जारी किया तथा इसके लिए श्री बोहरा ही जिम्मेदार हैं। प्रकट किया गया है कि प्रभारी अधिकारी की लापरवाही से कर्मचारी को कोई लाभ नहीं मिल सकता तथा सम्बन्धित अधिकारी को अलग से दण्डित कर दिया गया है। परन्तु यह प्रार्थी को दोषमुक्त करने का कारण नहीं हो सकता। उत्तर में बताया गया है कि कर्मचारी ने आरोप-पत्र के उत्तर में अपने पत्र में ही अनुरोध किया है कि यह मामला द्विपक्षीय समझौते की धारा 12.12 (ई) के अन्तर्गत निपटाया जावे अतः तदनुसार कार्यवाही करते हुए धारा 19.6 (बी) के अन्तर्गत न्यूनतम दण्ड दिया गया है। यह कृत्य घोर दुराचार की श्रेणी में है फिर भी न्यूनतम दण्ड दिया गया है जो कि पूरी तरह से उचित है। उत्तर में बताया गया है कि उपरोक्त कारणों से यह प्रकरण अस्वीकार किये जाने योग्य है। विकल्प में बताया गया है कि बैंक द्वारा तमाम कार्यवाही समझौते व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप की गई है तथा फिर भी कार्यवाही समझौते या न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं मानी जावे तो बैंक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे।

आवेदन के समर्थन में कर्मचारी श्री एस. के. बोहरा स्वयं ने अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया है कि उसके विरुद्ध उपरोक्त आक्षेप निराधार व गलत हैं तथा यह दुराचरण की परिभाषा में नहीं आते एवं उसके किसी कृत्य से बैंक को हानि नहीं हुई।

विपक्षी की तरफ से श्री आर. पी. वर्मा अधिकारी का शपथ-पत्र प्रस्तुत हुआ है जिसमें उत्तर में बताये गये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की गई है। शपथ-पत्र पर प्रति-परीक्षण भी हुआ है :

विपक्षी द्वारा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई जो कर्मचारी को दिया गया 23-6-90 का आरोप-पत्र, कर्मचारी के 3-7-90, 14-7-90, 16-8-90, 29-10-90

व 25-4-91 के उत्तर है, अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा दिया गया कारण बताओ नोटिस व प्रस्तावित दण्ड दिनांक 2-5-91, कर्मचारी द्वारा 2-5-1991 के पत्र का 8-5-91 को दिय गया उत्तर, अनुशासनात्मक अधिकारी का 13-6-91 का आदेश कर्मचारी की अपील तथा अपील का निर्णय है। विपक्षी की ओर से अनुदेश पुस्तक के अध्याय के पृष्ठ संख्या-10 से 18 तथा 27 से 30 एवं संबंधित पार्टी इण्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रोनिक्स के चालू खाता शीट भी प्रस्तुत की गई है।

विपक्षी की ओर से दिनांक 2-12-1997 को तर्को के दौरान एक आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि अनुशासनात्मक अधिकारी के 13-6-91 के उपरोक्त आदेश का प्रभाव 13-6-1993 को समाप्त हो गया है तथा उसके पश्चात् बैंक द्वारा पदोन्नति के प्रोसेस में पदोन्नति परीक्षा हेतु योग्य पाया गया है एवं पदोन्नति परीक्षाओं में उसे शामिल भी किया गया यद्यपि उसमें कर्मचारी सफल नहीं हो सका। यह भी बताया गया है कि दण्ड न्यूनतम सम्भव है तथा इस बारे में डिसीप्लीनरी एक्शन एण्ड प्रोसिजर के 19 वें अध्याय को प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई है।

उभय-पक्ष के प्रतिनिधिगण के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

स्टॉप पैमेन्ट के बारे में जो प्रक्रिया है वह दस्तावेजों में एनेक्सचर—13 है जो कि अनुदेश संख्या-56 से 68 है जिसके अनुसार चैक का पैमेन्ट रोकने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया है।

(1) चैक पैमेन्ट स्टॉप रजिस्टर चैकिंग आफिसियर के चार्ज में रहेगा;

(2) चैक का पैमेन्ट रोकने का निर्देश प्राप्त होने पर निर्देश पर हस्ताक्षरों की तुलना की जायेगी जो कि खाता चलाने के लिए अधिकृत व्यक्ति के होने चाहिये तथा निर्देशित प्राप्ति की रसीद फार्म पी. एन. बी 136 में देकर यदि उस समय तक भुगतान नहीं हो गया हो तो चैक का विवरण चैक पैमेन्ट विवरण स्टॉप रजिस्टर में आता है;

(3) सम्बन्धित कर्मचारी प्रविष्टियों पर लघु हस्ताक्षर कर लेजर एकाउन्ट के दाहिनी साईड पर लाल स्याही से स्टॉप लिखकर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा तथा फार्म नम्बर—118 में रेड स्लोप बनाई व भरी जायेगी जो कि आफिसर इन्चार्ज के द्वारा सत्यापित कर लेजर को अन्तिम प्रविष्टि के बाद में रिमार्क कॉलम में चिपकाई जायेगी तथा लाल स्याही से अंकित यह स्टॉप कर आगे होने वाली प्रविष्टियों के साथ में नीचे चलता रहेगा।

(4) टेलर ब्रांच में टेलर कार्ड में ही ऐसा ही ब्रांच किया जायेगा तथा टेलर को रोके गये चैकों की लिस्ट दी जायेगी;

(5) लेजर का पेज बदलते ही दूसरे पेज पर स्टॉप अंकित किया जायेगा तथा स्लीप भी चिपका दी जायेगी;

(6) भुगतान रोका गया चैक प्रस्तुत होने पर इस चैक पर लाल स्याही से बड़े शब्दों में पैमेन्ट स्टॉप अंकित कर दिया जायेगा जिसके पश्चात् भुगतान रोका गया इस चैक की प्राप्ति तथा इस पर पैमेन्ट स्टॉप का पृष्ठांकन होने के पश्चात् सम्बन्धित भुगतान रोकने की प्रविष्टि निर्देशित की जायेगी तथा चैक पैमेन्ट स्टॉप रजिस्टर में भी प्रविष्टि की जायेगी।

प्रतिनिधि प्रार्थी ने तर्क दिया है कि इस मामले में कर्मचारी श्री बोहरा द्वारा उपरोक्त तमाम अनुदेशों की पालना की गई है। तथा अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की गई तथा यदि कहीं कोई लापरवाही व ढिलाई हुई है तो वह प्रभारी अधिकारी की लापरवाही से हुई है। यह भी बताया गया है कि प्रभारी अधिकारी ने अपने लघु हस्ताक्षर किये हैं। तथा प्रार्थी का कोई दोष नहीं रह जाता इस सम्बन्ध में विपक्षी की ओर से प्रस्तुत गवाह के प्रतिपरीक्षण की तरफ न्यायालय का ध्यान आकृर्षित किया गया।

विपक्षी की ओर से प्रस्तुत गवाह श्री आर. पी. वर्मा ने अपने शपथ-पत्र के प्रतिपरीक्षण में बताया है कि लेजर शीट एनेक्सचर—14 में डाऊनवर्ड रेड लाईन है जो किसने की है, उसे पता नहीं तथा इस आधार पर प्रार्थी की ओर से बताया गया है कि डाऊनवर्ड रेड लाईन की हुई है। विपक्षी के शपथ गृहता ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि स्टॉप पैमेन्ट की प्रविष्टि में लेजर में की हुई है जो कि सही स्थान पर नहीं है। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि यह रिमार्क के कॉलम में ऊपर ही ऊपर अंकित की हुई है जो कि प्रदर्श—14 देखने से ही स्पष्ट है। विपक्षी के गवाह ने यह भी बताया है कि पैमेन्ट रोकने के निर्देशों में चैक की राशि चैक किसके पक्ष का है इत्यादि होनी चाहिये तथा केपीटल लेटर में लेजर में प्रविष्टि किया जाना प्रेक्टिस में है जिससे यह पता लगे कि भुगतान रोका गया है तथा यह प्रविष्टि लेजर में हो चुकी प्रविष्टियों के आखिर में की जानी चाहिये। गवाह ने बताया है कि उस वक्त अधिकारी रामअवतार टेलर थे तथा इस सम्बन्ध में उन्हें भी चार्जशीट दी जाकर दण्डित किया गया। गवाह ने रेड स्लीप बनाने की प्रक्रिया से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बताया है कि उसके ध्यान से लिपिक बनाता है वह अधिकारी हस्ताक्षर करता है। गवाह ने बताया है कि स्टॉप पैमेन्ट का रजिस्टर अलग होता है परन्तु इससे अनभिज्ञता जाहिर की है कि विवादित चैक की प्रविष्टि उसमें है या नहीं।

विपक्षी प्रतिनिधि ने तर्क दिया है कि इस चैक का भुगतान रोकने की सूचना 9-12-1988 को प्रा गई थी तथा नियमानुसार व प्रक्रिया के अनुसार 9-12-1988 तक जो प्रविष्टि हो चुकी थी, उस प्रविष्टि के आगे रिमार्क कॉलम में इस निर्देश की प्रविष्टि की जानी चाहिये थी तथा 9-12-88 को जब भुगतान रोकने के निर्देश प्राप्त हुए थे उस दिन की प्रविष्टि के ठीक नीचे कर्व लाईन की जानी चाहिये थी। विपक्षी की ओर से तर्क दिया गया है कि यदि यह समय पर किया जाता व प्रक्रियानुसार किया जाता तो 9-12-1988 के बाद में इस खाते में होने वाली प्रत्येक कार्यवाही के समय भुगतान रोके गये इस चैक का ध्यान स्वतः खाता देखने वाले कर्मचारी का रहता क्योंकि पूरी लम्बी लाल लाईन कर्व खींची हुई थी तथा अन्तिम प्रविष्टि के आगे भुगतान रोकने की प्रविष्टि भी होती। विपक्षी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि रिमार्क के कॉलम में ऊपर ही ऊपर पैमेन्ट रोकने की यह प्रविष्टि की हुई है जिसके अनुसार 9-12-1988 को सूचना प्राप्त हुई तथा 9-12-1988 की लेन-देन की प्रविष्टि के आगे यह प्रविष्टि नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि यह प्रविष्टि उस दिन नहीं की गई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि खड़ी कर्व लाईन दिनांक 21-12-1988 के बाद में की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि कम से कम 21-12-1988 तक तो 9-12-1988 को यह निर्देश प्राप्त हो जाने की प्रविष्टि नहीं की गई थी। बताया गया है कि 19-12-88 को ही इस चैक का भुगतान हो गया जब निश्चित तौर से यह लाईन नहीं थी। विपक्षी की ओर से यह भी बताया गया है कि प्रथम तो 21-12-1988 तक यह लाईन अंकित कर दिया जाना नहीं माना जा सकता तथा यदि किसी तरह से यह अंकित कर देना मान लिया जावे तब भी यह प्रकट होता है कि सम्बन्धित चैक लेकर टोकन श्री बोहरा ने ही दिया था, उस परिस्थिति में श्री बोहरा ने यदि यह नोट अंकित किया हुआ था तो नोट की अनदेखी करी।

प्रार्थी की ओर से बताया गया है कि यह सब प्रभारी अधिकारी का कार्य था तथा प्रभारी अधिकारी को दोषी माना जा चुका है तो प्रार्थी को दोषी नहीं माना जा सकता।

स्टॉप चैकों के बारे में जो निर्देश है उनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। न्यायालय द्वारा सिर्फ तर्कों व दस्तावेजों पर विचार किया जाना है। स्टॉप चैक्स के लिए बताये गये उपरोक्त प्रक्रिया में अंकित है कि खाते में राईट साईड पर इसकी प्रविष्टि की जायेगी तथा रैड स्लीप भी बनाई जाकर उस पर विवरण अंकित कर अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर खाते की अन्तिम प्रविष्टि के सामने चिपकाई जायेगी तथा खाते पर स्टॉप भी लिखा जायेगा जो कि बाद में होने वाली प्रत्येक प्रविष्टि के बाद में नीचे ले आई जाती रहेगी। इस तरह यह अत्यन्त स्पष्ट है कि जिस दिन भुगतान रोके जाने के निर्देश प्राप्त होते है उस दिन तक खातें में हो चुकी प्रविष्टि के फौरन बाद में यह अंकित किया जाना है कि भुगतान रोका गया है। किसी न किसी तरीके से यह सुनिश्चित किया जाना है कि निर्देश प्राप्त होने तक हो चुके लेन-देन के बाद में होने वाले प्रत्येक भुगतान के लिए इस स्टॉप पैमेन्ट के निर्देश का ध्यान रखा जाता है। चूंकि स्टॉप पैमेन्ट का यह निर्देश ऊपर ही ऊपर अंकित किया हुआ है अतः विपक्षी के इस तर्क में सार प्रतीत होता है कि यह प्रविष्टि बाद में की गई। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि 19-12-1988 को इस चैक संख्या 777897 का भुगतान हुआ है जिसके सामने या 9-12-1988 व इसके बाद में किसी भी प्रविष्टि के आगे भुगतान रोके जाने की कोई प्रविष्टि नहीं है। 9-12-1983 की प्रविष्टि के बाद में कर्व लाईन भी नहीं है। कर्व लाईन का उद्देश्य भी यही प्रतीत होता है कि रुका इत्यादि लिखे जाने के कॉलम में लम्बी खड़ी लाईन होना देखते ही संबंधित किसी भी कर्मचारी को यह प्रकट हो जाए कि कोई भी प्रविष्टि की जाते समय ध्यान रखा जाए।

इस तरह यह प्रकट होता है कि सम्बन्धित कर्मचारी ने रेड स्लीप नहीं बनाई न ही यह रेड स्लीप इस खाते में चिपकाई यह भी प्रमाणित होता है कि निर्देश प्राप्त होने तक अन्तिम प्रविष्टि के आगे स्टॉप की प्रविष्टि नहीं की गई। यह भी प्रमाणित होता है कि निर्देश प्राप्त हुआ उसके बाद में लेन-देन होते हुए भी इसकी प्रविष्टि नहीं की गई। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि दोष सिद्धी पूरी तरह से आधारहीन है।

यहां पर यह उल्लेख कर देना उचित है कि यदि नियम व प्रक्रिया अनुसार व न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों की पालना करते हुए यदि विभागीय जांच होती है तो जब तक रिकॉर्ड से बिल्कुल ही अजीब स्थिति प्रकट न हो गुणों पर विचार करने का न्यायालय का क्षेत्र काफी सीमित हो जाता है।

सम्बन्धित कर्मचारी ने अपने उत्तर दिनांक 25-6-91 एनेक्सचर—6 में बताया है कि 9-12-1988 को चैक सं. 777897 के स्टॉप पैमेन्ट के बारे में एक पत्र दिया है तथा "यह बात सही है कि मैंने स्टॉप पैमेन्ट इंस्ट्रक्शन नीली स्याही से एवं छोटे अक्षरों में टिप्पणी कॉलम में लिखा परन्तु जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने लाल स्याही से डाऊनवर्ड कर्व लाईन खींची थी। इसके अलावा जहां तक मुझे याद है कि रेड स्लिप भी बनायी और रजिस्टर में लगाकर प्रभारी अधिकारी को मय पावती पत्र के दी थी ....इसमें आगे बताया गया है "आरोप नम्बर—2 के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्टी को खाते की लेजर शीट जांच किये बिना टोकन दिया जाना इतना गम्भीर नहीं है क्योंकि इस खाते में प्रबन्धक द्वारा समय-समय पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता रहा है।" इस तरह कर्मचारी ने स्वीकार किया है कि उसने बिना खाते की जांच किये टोकन दे दिया था, जब खाते की जांच किये बिना टोकन दे दिया गया है तो एक आरोप स्वतः प्रमाणित हो जाता है, अतः बिना खाता देखे टोकन दिया जाता है तथा यदि प्रार्थी द्वारा प्रविष्टि कर दी गई है तो उसका

कोई अर्थ नहीं रह जाता तथा खाते में निर्देश अंकित किये जाने का कोई अर्थ ही नहीं रहता ; ।

इस तरह कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है तथा नियमानुसार प्रार्थी को दोषी माना गया है। कर्मचारी को दिनांक 2-5-91 के पत्र से एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड प्रस्तावित किया गया था तथा कर्मचारी ने 8-5-91 के अपने पत्र एनेक्सचर–8 से इसका उत्तर भी दिया तथा 13-6-91 के पत्र एनेक्सचर-9 से तमाम तथ्यों पर विचार कर चेतावनी का दण्ड दिया गया। प्रार्थी द्वारा दी गई अपील भी अस्वीकार की गई है।

यह अत्यधिक विवादित हो सकता है कि इस तरह के मामलों में न्यायालय दिये गये दण्ड में कमी कर सकती है। इस मामले में इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, प्रार्थी की दोष सिद्धी पूरी तरह जांच व प्रक्रिया अनुसार हुई है, जो दण्ड दिया गया है वह चेतावनी है जो कि न्यूनतम सम्भव दण्ड हो सकता है अतः इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

परिणामस्वरूप प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तदनुसार यह रेफरेन्स निर्णित किये जाने योग्य है।

अधिनिर्णय

अतः यह अधिनिर्णित किया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक, जोधपुर द्वारा दिनांक 13-6-1991 के आदेश से श्री एस. के बोहरा को चेतावनी का दण्ड दिया जाना उचित है। प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस अधिनिर्णय को प्रकाशन हेतु श्रम विभाग भारत सरकार को प्रेषित किया जावे।

यह अधिनिर्णय आज दिनांक 02-12-1997 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

चांदमल तोतला, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1998

का०आ० 555.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूरसंचार जिला अभियंता, बिलासपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंच.ट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-2-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/1/91–आई आर (डीयू)]

के.वी.बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th February, 1998

S.O. 555.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial disptue between the employers in relation to the management of Telephone Distt. Engineer, Bilaspur (M.P.) and their workman, which was received by the Central Government on 20-2-1998.

[No. L-40012/1/91-IR (D.U.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जबलपुर म.प्र.

डी.एन. दीक्षित

पीठासीन अधिकारी

प्र.कं. सी जी आई टी/एल सी/आर/186/91

श्री जान एल्विन एक्का
मार्फत : श्री ई. एक्का
जूनियन सुपरवाइजर,
सैन्ट्रल टेलीफोन एक्सचेंज,
विलासपुर (म.प्र.) 495001 —प्रार्थी

विरुद्ध

दूरसंचार जिला अभियंता,
दूरसंचार विभाग, बिलासपुर
जिला-बिलासपुर (म.प्र.) —प्रतिप्रार्थी

अवार्ड

दिनांकित : 22/01/1998

1. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या: एल-40012/1/91– आई.आर.(डी.यू.) दि. 9-10-91 के द्वारा निम्नलिखित विवाद निराकरण हेतु इस न्यायाधिकरण को प्रेषित किया है :—

अनुसूची

"Whether the Telephone District Engineer, Bilaspur was justified in terminating the service of Shri Johan Elvin Ekka a Casual Labour under Asstt. Engineer Phones, Bilaspur vide their letter dated 26-5-1990 ? If not, to what relief the workman concerned is entitled to ?"

2. प्रकरण साक्ष्य हेतु दिनांक 20/10/97 को नियत था और इस दिनांक को दोनों पक्ष अनुपस्थित हो गए। दोनों पक्षों के विरुद्ध इस दिनांक को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इस दिनांक से आज तक किसी भी पक्ष ने एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त का आवेदन नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों को विवाद के निराकरण में कोई रुचि नहीं रह गई। श्रमिक को जो बात सिद्ध करनी थी, वह साबित करने में उसकी रुचि नहीं है। अवार्ड दिया जाता है कि श्रमिक ने जो विवाद उठाया था, उसे सिद्ध नहीं कर सका। दोनों पक्ष इस प्रकरण का अपना-अपना व्यय वहन करें।

3. नियमानुसार अवार्ड की प्रतियां भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती हैं।

डी०एन० दीक्षित, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1998

का.आ. 556.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर (म.प्र.) के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-14012/2/87-डी-2(बी)]

के.वी.बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th February, 1998

S.O. 556.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Gun Carriage Facotry, Jabalpur and their workman, which was received by the Central Government on 20-2-1998.

[No. L-14012/2/87-D.II (B)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय,
जबलपुर म.प्र.
डी.एन. दीक्षित,
पीठासीन अधिकारी

प्र. क्रं. सी जी आई टी एल सी (आर) (115)/89

एक्टिंग जनरल सैक्रेटरी,
जी.सी.एफ. एम्प्लाइज यूनियन,
गुलोवाताल, गढ़ा रोड,
आफिस : 592/10, जबलपुर (म.प्र.) —प्रार्थी

विरुद्ध

जनरल मैनेजर,
गनकैरिज फैक्ट्री, जबलपुर (म.प्र.)

—प्रतिप्रार्थी

अवार्ड

दिनांकित : 22/01/1998

1. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या : एल-14012/2/87-डी-2 (बी) दिनांकित 23/5/89 द्वारा निम्नलिखित विवाद निराकरण हेतु इस अधिकरण को प्रेषित किया है :—

अनुसूची

"Whether the action of management of Gun Carriage Factory, Jabalpur in imposing penalty on Shri R. K. Jain, Turner 'C' vide their order dated 11-5-1981 and 3-6-1981 is justified ? If not, what relief is the workman concerned entitled to ?"

2. दोनों पक्षों को स्वीकार है कि श्रमिक श्री रवि कुमार जैन वर्ष 1981 में गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर में 'सी' श्रेणी के टर्नर थे।

3. श्रमिक के अनुसार वह ट्रेड यूनियन का काम भी करता है तथा वर्ष 81 में इस संस्था का आर्गेनाइजिंग सैक्रेटरी था दिनांक 20/1/81 को प्रातः समय दो सदस्य यूनियन के पास आए और वेतन कटौत्रा संबंध में शिकायत की। यूनियन सचिव ने श्रमिक श्री आर.के. जैन को निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारियों से मिलकर विवाद का निराकरण कराएं। श्रमिक फोरमैन से मिला और उनसे विवाद का निराकरण करने का अनुरोध किया। फोरमैन ने श्रमिक को सबक सिखाने के लिए उसकी झूठी रिपोर्ट की जिसके आधार पर दिनांक 10/2/81 को श्रमिक को चार्ज-शीट दी गई। श्रमिक ने चार्ज शीट को हिन्दी में देने का अनुरोध किया जो उसे नहीं दी गई। प्रबन्धन ने एक पक्षीय उसे दण्ड दिया। आदेश दिनांक 2/6/81 के द्वारा उसकी एक वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिए रोकी गई। दूसरी बार श्रमिक ने फोरमैन श्री जी. सेन से अनुरोध किया कि वे वेतन में कटोती नहीं करें। इस पर श्री सेन नाराज हो गए और तीखे शब्दों में वाद-विवाद हुआ। श्री सेन ने श्रमिक श्री जैन के विरुद्ध गन कैरिज फैक्ट्री के महाप्रबन्धक को रिपोर्ट की। दिनांक 10/5/81 को दूसरी चार्ज-शीट दी गई। आदेश दिनांक 11/5/81 के द्वारा श्रमिक का वेतन दो स्टेज, दो वर्ष के लिए पीछे किया गया। दोनों दण्ड जो श्रमिक को दिए गए, उसमें श्रमिक को बचाव के आवश्यक अवसर नहीं दिए गए। प्रबन्धन का यह कहना है कि, चार्ज शीट दिनांक 10/5/81 को श्रमिक ने स्वीकार किया, यह कथन गलत है। दोनों आदेश अवैधानिक हैं तथा नियमों के विपरीत हैं। आदेश दिनांक 11/5/81 में जो दण्ड श्रमिक को दिया गया वह घटना स्थल कार्य के स्थान से दूर है तथा प्रबन्धन को इस प्रकार की घटना पर दण्ड देने का अधिकार नहीं है। श्रमिक चाहता है कि दोनों आदेश निरस्त किए जाएं तथा उसकी जो वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं उनका भुगतान ब्याज सहित किया जाए।

4. प्रबन्धन के अनुसार फोरमैन ने यह रिपोर्ट की कि श्रमिक श्री आर.के. जैन और उसके साथी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। श्रमिक को चार्जशीट दी गई, किन्तु इसका उत्तर श्रमिक ने नहीं दिया। जांच के पश्चात् दिनांक 3-6-81 को श्रमिक को एक वेतन वृद्धि रोकने का हुक्म दण्ड दिया गया। इस दण्ड के विरुद्ध श्रमिक ने कोई अपील नहीं की। दूसरी बार 6-5-81 को श्रमिक ने फोरमैन को टाईमकीपर कार्यालय में गालियां दी और धमकी दी। इसी दिन बाद में जब फोरमैन अपने घर जा रहा था तो श्रमिक ने धमकियां दी और उसके साथ झूमा-झटकी की। फोरमैन ने रिपोर्ट की। श्रमिक ने मूल रूप से आरोप स्वीकार किए और क्षमा मांगी। फोरमैन के कथन की पुष्टि श्रमिक की स्वीकारोक्ति के पत्र से हुई। इस कदाचरण के गंभीरता को देखते हुए श्रमिक को दो स्टेज पीछे दो वर्ष

के लिए किया गया । प्रबन्धन का कहना है कि गन कैरिज फैक्ट्री का संबंध रक्षा उत्पादन से है और प्रकरण श्रम न्यायालय में नहीं चल सकता । रक्षा उत्पादन का कार्य देश हित में है और सरकार का सावरन फंक्शन है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण इस न्यायालय में नहीं चल सकता ।

5. उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुत से निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि जहां पर भारत सरकार श्रमिकों से काम लेती है, वहां श्रमिकों से संबंधित विवाद का निराकरण श्रम न्यायालय द्वारा ही होगा । इसका कोई संबंध सावरन फंक्शन से नहीं है। इस प्रकार वर्तमान विवाद इस अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है।

6. प्रथम चार्जशीट जो श्रमिक को दी गई, उसमें यह उल्लेख है कि दिनांक 20-1-81 को श्रमिक आर.के. जैन ने फोरमैन के कमरे में प्रवेश किया और अभद्र भाषा का प्रयोग श्री एस.सी. बेनेर्जी, फोरमैन के लिए किया। श्रमिक से इस संबंध में पक्ष रखने के लिए निर्देश दिए गए। श्रमिक ने दिनांक 25-2-81 और 15-3-81 को प्रबन्धन को यह लिखकर दिया कि उसे अंग्रेजी नहीं आती और हिन्दी में प्रति दी जाए। श्रमिक ने इन आरोपों का कोई भी उत्तर प्रबन्धन को नहीं दिया । प्रबन्धन ने फोरमैन के कथन पर विश्वास करते हुए आदेश दिनांक 3-6-81 पारित किया, जिसके द्वारा एक वर्ष के लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई । श्रमिक को दिनांक 10-2-81 के आरोप का ज्ञान था । इन्होंने अपना पक्ष प्रबंधन के समक्ष नहीं रखा, कारण यह बताया कि अंग्रेजी का आरोप-पत्र ये समझ नहीं पाते ये कथन प्रथम दृष्टया गलत प्रतीत होता है कि श्रमिक श्री आर.के. जैन अंग्रेजी नहीं समझ पाते। श्रमिक ने स्वयं प्रदर्श-डब्ल्यू-6, अपना पत्र दिनांक 11-5-81 प्रस्तुत किया है, जो अंग्रेजी में उसके द्वारा लिखा गया है, इसके पढ़ने से ज्ञात हो जाता है कि श्रमिक को अंग्रेजी भाषा को समझने और लिखने का ज्ञान है। ऐसी स्थिति में आरोप का उत्तर इस आधार पर नहीं देना कि वे अंग्रेजी नहीं जानते, यह बताता है कि श्रमिक आरोप दिनांक 10-2-81 का उत्तर देना ही नहीं चाहता । प्रबन्धन के आदेश दिनांक 3-6-81 में (प्रदर्श-डब्ल्यू-3) यह स्पष्ट उल्लेख है कि चूंकि श्रमिक ने आरोप और तीन स्मरण पत्रों का उत्तर नहीं दिया है, इसलिए प्रबन्धन यह मानता है कि श्रमिक ने कदाचरण किया है। मैं प्रबन्धन के इस तर्क से सहमत हूं कि श्रमिक ने जानबूझकर आरोप दिनांक 10-2-81 का उत्तर नहीं दिया । प्रबन्धन का यह निष्कर्ष भी सही है कि श्रमिक को चार अवसर आरोपों का उत्तर देने के लिए दिए गए और श्रमिक ने उत्तर नहीं दिया, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि फोरमैन का कथन कदाचरण के बारे में सही है। श्रमिक की एक वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए रोकी गई है, यह दण्ड कदाचरण के अनुरूप है। दण्ड श्रमिक को सोच-समझकर और संतुलित दिया गया है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

7. दिनांक 10-5-81 को श्रमिक आर.के. जैन पर दो आरोप लगाए गए। प्रथम यह कि उसने श्री जी. सैन, फोरमैन को गालियां दी और धमकी दी। दूसरा आरोप यह है कि श्रमिक ने जी सैन, फोरमैन के साथ धक्का-झटकी की। इन दोनों आरोपों के उत्तर में श्रमिक ने दिनांक 11-5-81 के पत्र द्वारा प्रदर्श-डब्ल्यू-6 की स्वीकारोक्ति लिखकर दी । श्रमिक की स्वीकाकरोक्ति में उल्लेख है कि वह श्री सेन के पास दिनांक 4-5-81 को गया और वेतन रोकने के बारे में सफाई मांगी । बातचीत के दौरान श्रमिक ने तेज आवाज में अपशब्द श्री सेन को कहे। इन शब्दों के लिए श्रमिक ने माफी मांगी। इसी सत्र में उल्लेख है कि इसी दिन जब वह घर जा रहे थे तो श्रमिक की सायकल की टक्कर श्री सेन की सायकल से हुई, जिसके फलस्वरूप दोनों सायकल से गिर गए। इसी घटना को श्री सेन ने रिपोर्ट किया । इस घटना के लिए भी श्रमिक ने माफी मांगी। श्रमिक की इस स्वीकारोक्ति पर उसे कदाचरण का दोषी पाते हुए प्रबन्धन ने दो वर्ष के लिए दो स्टेज नीचे वेतन पाने का आदेश दिया । दण्ड का स्वरूप क्यूमिलेटिव नहीं था। जो दंड श्रमिक को दिया गया और कदाचरण की जो स्वीकारोक्ति श्रमिक ने दी है, उसके तुलनात्मक विवेचना पर दण्ड उचित प्रतीत होता है। कदाचरण को देखते हुए दण्ड आवश्यक है। कहीं भी दुर्भावना दण्ड में, आकार में या लेख में प्रकट नहीं होती है। इस दण्ड में भी हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

8. ऊपर किसी विवेचना का निष्कर्ष है कि दोनों कदाचरण के लिए श्रमिक को उचित अवसर दिया गया। एक में तो वह टालता रहा और दूसरे में उसने कदाचरण स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में दोनों प्रकरण में कदाचरण श्रमिक के विरुद्ध सिद्ध होता है तथा उसे न्यायोचित दण्ड दिया गया। अवार्ड दिया जाता है कि श्रमिक ये सिद्ध नहीं कर सका कि उसे अनावश्यक रूप से अधिक दण्ड दिया गया है। विवाद का निराकरण प्रबन्धन के पक्ष में किया जाता है। दोनों पक्ष इस प्रकरण का अपना-अपना व्यय सहन करें।

9. नियमानुसार अवार्ड की प्रतियां भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

डी.एन. दीक्षित, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1998

का.आ. 557 -औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर (म.प्र.) के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-2-98 को प्राप्त हुआ था ।

[स. एल-14012/25/87-डी-2 (बी)]

के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th February, 1998.

S.O. 557.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Gun Carriage Factory, Jabalpur and their workman, which was received by the Central Government on 20-2-1998.

[No. L-14012/25/87-D.II (B)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जबलपुर

म. प्र.

डी. एन. दीक्षित, पीठासीन अधिकारी

प्र. अं. सीजीआईटी/एलसी (आर) (110)/98

श्री प्रेमलाल

द्वारा : जनरल सेक्रेटरी,

जी. वी. एफ. लेबर यूनियन

मकान नं. 1048, लालमाटी

चुंगी चौकी, व्यौहार निवास के पास,

जबलपुर (म.प्र.) ....प्रार्थी

वि.

जनरल मैनेजर,

गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर (मप्र) ...प्रति प्रार्थी

अवार्ड

दिनांकित : 22-01-1998

1. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या : एल-140/2/25/87-डी-2 (बी) दिनांक 13-10-81 के द्वारा निम्नलिखित विवाद निराकरण हेतु इस अधिकरण को भेजा है :—

SCHEDULE

"Whether the action of management of Gun Carriage Factory (M.P.) in dismissing Shri Prem Lal, Ex. T. No. 5958/IE, Lab. 'B' from service vide their order dated 22-10-1985 is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled to and from what date ?"

2. दिनांक 4-9-97 को श्रमिक प्रेमलाल के अभिभावक ने इस न्यायाधिकरण को सूचित किया कि श्रमिक की मृत्यु हो गई है। अभिभावक ने श्रमिक के उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाने के लिए समय मांगा, जो दिया गया। इसके उपरान्त की पेशी दिनांक 28-10-97 को श्रमिक के उत्तराधिकारों या उनके अभिभावक उपस्थित नहीं हुए और एकपक्षीय कार्यवाही की गई। आज दिनांक तक श्रमिक के उत्तराधिकारियों ने एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने के लिए आवेदन नहीं दिया। ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं है कि वर्तमान विवाद का निराकरण हो सके। प्रबंधन के पक्ष में अवार्ड दिया जाता है। दोनों पक्ष इस प्रकरण का अपना-अपना व्यय वहन करें।

3. नियमानुसार अवार्ड की प्रतियां भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

डी. एन. दीक्षित, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1998

का.आ. 558.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सब-डिवीजनल आफिसर, फोन्स, जोधपुर के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-2-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/111/92-आई आर (डीयू)]

के. वी.बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th February, 1998.

S.O. 558.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jodhpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sub-Divisional Offices, Phones, Jodhpur and their workman, which was received by the Central Government on 20-2-1998.

[No. L-40012/111/92-IR (DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय

जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :—श्री चांदमल तोतला, आर.एच.जे.एस.

औ. विवाद (केन्द्रीय) सं. : 2/1994

रमेश चन्द पुत्र श्री छोटूलाल शर्मा मार्फत हंसराज मेघराज गट्टानी जी-II/16

मुख्य मण्डी मंडोर, जोधपुर .....प्रार्थी

बनाम

सब डिवीजनल ओफिसर फोन्स जोधपुर .....अप्रार्थी

उपस्थिति :—

(1) प्रार्थी की ओर से श्री डी. के. परिहार प्रतिनिधि

(2) अप्रार्थी की तरफ से श्री विनीत माथुर प्रतिनिधि

अधिनिर्णय

दिनांक 01-12-1997

श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एल-40012/111/92-आई. आर. (डी. यू.) दिनांक 17-10-1994 से श्रमिक व उसके नियोजक के मध्य उत्पन्न हुआ निम्नांकित विवाद अधिनिर्णय हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Sub-Divisional Officer, Phones, Jodhpur in terminating the services of Shri Ramesh Chander S/o. Shri Chhotey Lal Sharma is legal, Proper and justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

श्रमिक ने उपरोक्त विवाद के संबंध में प्रस्तुत अपने विवरण में बताया है कि उसकी नियुक्ति अप्रैल 1982 में विपक्षी के यहां स्थाई हैल्पर के पद पर हुई थी, जिस पद पर उसने नवम्बर 1984 तक लगातार कार्य किया तथा उसे 10/- रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता था। आवेदन

में बताया गया है कि प्रार्थी की सेवाएं विपक्षी ने मौखिक आदेश से उसके यहां कार्य उपलब्ध होते हुए भी समाप्त कर दी तथा सेवाएं समाप्त करने से पूर्व प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस का वेतन भी नहीं दिया गया तथा न ही छंटनी का मुआवजा दिया गया एवं प्रार्थी की सेवा समाप्ति से पूर्व वरिष्ठता सूची भी नहीं बनाई गई थी तथा प्रार्थी की सेवा समाप्ति के बाद में प्रार्थी से कनिष्ठ थी शेर सिंह को विपक्षी ने सेवा में रखा है । इस तरह विपक्षी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-के प्रावधानों का उल्लंघन किया है । आवेदन में यह भी बताया गया है कि प्रार्थी के साथ ही कार्यरत श्रमिक प्रकाश-माल को विपक्षी ने समझौता वार्ता के जरिये सेवा में ले लिया गया तथा प्रार्थी की तरह के ही एक मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जोधपुर ने एक श्री भंवरलाल वैष्णव को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है । आवेदन में ही यह बताया गया है कि विपक्षी का यह कहना गलत है कि प्रार्थी 16-11-1994 को काम छोड़कर चला गया तथा प्रार्थी यदि काम छोड़कर गया होता तो विपक्षी आवश्यक तौर से प्रार्थी को काम से अनुपस्थिति मानते हुए नोटिस देकर जांच इत्यादि करवाता तथा इसके पश्चात् ही सेवा मुक्त करता । प्रार्थी ने बताया है कि वह सेवा में लगातार बने रहने तथा लगातार पूर्ण वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है । आवेदन में यह भी बताया है कि प्रार्थी विधि व कानून से अनभिज्ञ है तथा प्रकाशमाल व ईश्वर सिंह को नौकरी में लेने की जानकारी प्रार्थी को वर्ष 1992 में हुई थी जब उसने कार्यवाही प्रारंभ की, प्रार्थी ने लगातार सेवा में होने पूरी अवधि के वेतन व भत्ते दिलाये जाने की प्रार्थना की है

विपक्षी ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रार्थी को अप्रैल, 1982 में दैनिक वेतन भोगी आकस्मिक मजदूर स्थाई हैल्पर रखा गया था तथा प्रार्थी ने नवम्बर, 1984 तक विभिन्न महीनों में कार्य किया । उत्तर में प्रत्येक माह में किये गये काम के दिनों का विवरण भी अंकित किया गया है जिसके अनुसार वर्ष 1982-83 में 109 दिन, वर्ष 83-84 में 212 दिन तथा वर्ष 84-85 में 209 दिन तक कार्य किया । उत्तर में बताया गया है कि प्रार्थी को कार्य से हटाने का किसी तरह का कोई मौखिक या अन्य आदेश नहीं दिया गया तथा वास्तव में प्रार्थी अपनी इच्छा से कार्य छोड़कर चला गया क्योंकि उस समय विभाग में आकस्मिक मजदूरों को दिया जाने वाला भुगतान कम था । इस तरह प्रार्थी स्वयं विपक्षी के नियोजन से हटा । उत्तर में यह भी बताया गया है कि चूंकि विभाग ने प्रार्थी को सेवा से हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की थी अतः वरिष्ठता सूची बनाया जाना अपेक्षित नहीं है । आवेदन में नामजद अन्य श्रमिकों के बारे में बताया गया है कि श्री शेर सिंह को माह जुलाई, 1981 में आकस्मिक मजदूर के तौर पर रखा था तथा वह लगातार कार्य कर रहा था तथा श्री भंवर लाल के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जोधपुर के आदेश की पालना में उसे नौकरी पर लिया गया है । उत्तर में बताया गया है कि प्रार्थी ने यह मामला सर्वप्रथम 28-2-1992 को उठाया था जो प्रथम बार 17-7-1992 को इस आधार पर स्वीकार हुआ था कि बिना किसी कारण के काफी लम्बे समय बाद विवाद उठाया है । उत्तर में यह भी बताया गया है कि प्रार्थी ने कभी भी मौखिक या लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विभाग से निवेदन नहीं किया कि उसे पुनः सेवा में लिया जावे तथा अब इतने वर्षों बाद भी प्रार्थी ने उसे पुनः सेवा में लिये जाने का मामला केवल इस लिये उठाया है कि विभाग ने मजदूरी भुगतान की दर लगभग अन्यत्र स्थानों के बराबर कर दी है तथा पुराने आकस्मिक मजदूरों को उनके द्वारा पूर्ण किये सेवाकाल की अवधि अनुसार विभाग में नियमित किये जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है । यह भी प्रकट किया गया कि इतने लम्बे समय बाद में मामला उठाने से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी स्वयं नौकरी छोड़कर चला गया है ।

विपक्षी ने अपने उत्तर में प्रारंभिक आपत्ति के तौर पर बताया है कि विपक्षी नियोजक दूर संचार विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है तथा प्रार्थी के द्वारा कार्य-वाही में किये गये विलम्ब के आधार पर प्रार्थी का यह मामला खारिज होने योग्य है ।

आवेदन के समर्थन में स्वयं प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसने आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की है । विपक्षी की ओर से आर. के. व्यास सहायक अभि-यन्ता का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उत्तर में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की गई है ।

विपक्षी की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है अतः यह विवाद इस न्यायालय में चलने के योग्य नहीं है । इसके उत्तर में प्रार्थी ने बताया है कि विपक्षी संस्थान उद्योग की परिभाषा में आता है तथा साक्ष्य से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संस्थान उद्योग है या नहीं उत्तर में यह भी बताया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की जिस व्यवस्था का विपक्षी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है उसकी प्रति-लिपी उपलब्ध नहीं कराई गई है इसके अतिरिक्त प्रत्येक मामले के तथ्य व परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं जिनपर प्रकरण का निर्णय निर्भर करता है ।

विपक्षी नियोजक के इस आवेदन की कि विपक्षी उद्योग नहीं है अतः यह कार्यवाही चलने के योग्य नहीं है, पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधिगण के तर्क सुने गये एवं पत्रावली तथा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्रों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

विद्वान प्रतिनिधी विपक्षी ने बताया है प्रेषित अधि-निर्णय हेतु विवाद तथा प्रार्थी के आवेदन-पत्र से ही स्पष्ट है कि इस मामले में नियोजक सब-डिवीजनल अधिकारी फोन्स, जोधपुर अर्थात् दूर संचार विभाग है । विपक्षी की ओर से बताया गया है कि दूर संचार कार्य भारत सरकार द्वारा आवश्यक तौर से किये जाने वाले कार्यों के अधीन होगा, सर्वेण्टो फंक्शन है अतः यह उद्योग की श्रेणी में नहीं आता । प्रार्थी श्रमिक का कहना है कि यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर

निर्भर करता है कि विपक्षी उद्योग की परिभाषा में आता है या नहीं । प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया कि प्रार्थी को दैनिक मजदूरी पर रखा गया था अर्थात् मजदूरी के कार्य पर रखा गया था जो कार्य करने वाला संस्थान उद्योग की श्रेणी में आता है । प्रार्थी की ओर से यह भी बताया गया है कि प्रार्थी श्रमिक की परिभाषा में आता है ।

विपक्षी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में ए. आई. आर 1996 उच्चतम न्यायालय 1271 सब-डिवीजनल इंस्पेक्टर आफ पोस्ट वेगम व अन्य बनाम थैयम् जोसेफ प्रस्तुत की गई है । जिस व्यवस्था का आदरपूर्वक अवलोकन कर प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों में संदर्भ में विचार किया गया। इस व्यवस्था के पैरा-6 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है ।

> "Having regard to the contentions, the question arises whether the appellant is an Industry ? India as a sovereign socialist, secular democratic republic has to establish an egalitarian social order under rule of law. The welfare measures pertains the character of sovereign functions and the traditional duty to maintain law and order is no longer the concept of the State. Directive principle of State policy enjoin on the State diverse duties under Part IV of the Constitution and the performance of the duties are constitutional functions. One of the duties of the State is to provide telcommunication service to the general public and an amenity and so is one essential part of the sovereign functions of the State as a welfare State. It is not, therefore, an industry."

इस तरह स्पष्ट है कि पोस्टल एण्ड कोम्यूनिकेशन विभाग उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। इस तरह दूर संचार विभाग औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग की परिभाषा में नही आता है । परिणामतः यह विवाद इस न्यायालय में चलने योग्य ही नहीं रह जाता अतः प्रार्थी को औद्योगिक विवाद अधिनियम के किसी भी प्रावधान का लाभ भी नहीं मिल सकता ।

प्रार्थी की ओर से बताया गया है कि यह अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक की श्रेणी में आता है । न्यायालय की राय में यदि प्रार्थी श्रमिक की परिभाषा में आता है तब भी उसे कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि केवल श्रमिक की परिभाषा में आना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि अधिनियम के अन्तर्गत लाभ के लिए विपक्षी का उद्योग होना भी आवश्यक है । नियोजक का अर्थ धारा -25 के अन्तर्गत छटनी या सेवामुक्ति से पूर्व नियोजक को कुछ कार्य करने आवश्यक तौर से करने होते हैं तथा नियोजक इस शब्द के साधारण अर्थ व परिभाषा के अनुसार ही अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग हो सकता है । अतः विपक्षी अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है परिणामस्वरूप प्रार्थी को इस न्यायालय से कोई अनुतोष नहीं मिल सकता । अतः यह अधिनिर्णित किया जाना चाहिये कि विपक्षी नियोजक उद्योग की श्रेणी में नहीं है । अतः प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । वास्तव में चूंकि विपक्षी उद्योग की श्रेणी में ही नहीं आता अतः विवाद इस न्यायालय से निर्णित करने योग्य ही नहीं है तथा इस न्यायालय को निर्णय करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती ।

अधिनिर्णय

अतः यह अधिनिर्णित किया जाता है कि सब डिवीजनल ओफिसर फोन्स, जोधपुर उद्योग की श्रेणी में नहीं है अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत इस न्यायालय से प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । व्यय कार्यवाही पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे इस अधिनिर्णय को प्रकाशन हेतु श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किया जावे ।

यह अधिनिर्णय आज दिनांक 01-12-1997 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया ।

चांदमल तोतला न्यायाधीश

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1998

का.आ. 559.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेशन वर्कशॉप, ई०एम०ई० मुम्बई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 2 मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-2-98 को प्राप्त हुआ था ।

[सं० एल–42012/149/96–आई०आर० (डी०यू०)]

के०वी०बी० उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th February, 1998

S.O. 559.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Station Workshop, E.M.E., Mumbai and their workman, which was received by the Central Government on 20-2-98.

[No. L-42012/149/96-IR(DU)]

K. V. B UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II, MUMBAI

Reference No. CGIT-2/71 of 1997

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Employers in relation to the management of Station Workshop, E.M.E.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer : Mr. Jaswinder Pal Singh, Representative.

For the Workmen : No Appearance.

Mumbai, dated 29th January, 1998

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-42012/149/96-IR(DU), dated 14-10-97, had referred to the following Industrial Dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of Station Workshop, EME in reverting Shri A. V. Shinde from ED to labourer without conducting proper enquiry is justified ? If not, to what relief is the workman entitled to ?"

2. The Desk Officer had send the copies of this orders to concerned parties. The Secretary also issued notices to the concerned parties. They were duly served. Mr. Suresh Kumar the Advocate filed a purshis at Exhibit-3 on 8-12-1997 informing the Court time may be given for filing the Statement of Claim on behalf of the union. He also informed that he will file a Vakalatnama on the next date. The Union was absent. The matter was then adjourned to 13-1-98. On that day also Suresh Kumar made a request for adjournment for filing the statement of claim. The matter is adjoourned till today. Today till 3.20 p.m. the union representative nor Mr. Suresh Kumar appeared on behalf of the union. The Representative of the management is present. I do not find any reason for adjourning the matter. It appears that the union does not want to proceed with the matter. In the result I make the following order :

ORDER

The action of the management of Station Workshop (EME) in reverting Shri A. V. Shinde from ED to labourer without conducting proper inquiry is justified.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1998

का०आ० 560 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 मार्च, 1998 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है। और अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला डिन्डीगुल के तालुक डिन्डीगुल में राजस्व ग्राम थोटानूथू, सिन्धालाकुन्डू और पिथालाईपट्टी और तालुक पलानी में राजस्व ग्राम आयाकुडी पश्चिम, सिवागिरीपट्टी और आयाकुडी पूर्व के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

[संख्या. एस-38013/15/98-एस०एस०-1]

जे०पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 20th February, 1998

S.O. 560.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st March, 1998 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

"Areas comprising the revenue villages of Thottanuthu, Sindhalakundu and Pithalaipatty of Dindigul Taluk and revenue villages of Ayakkudi West, Sivagiripatty and Ayakkudi East of Palani Taluk in Dindigul District."

[No. S-38013/15/98-SS-I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1998

का०आ० 561 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 मार्च, 1998 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है)के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला विरुधूनगर के तालुक राजापालायम में राजस्व ग्राम असारीपट्टी, एस० रामालिंगापुरम और अरासीआरपट्टी और तालुक श्रीविल्लीपुथूर में राज्य ग्राम पिल्लीआरकुलम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

[संख्या. एस-38013/14/98-एस०एस०-1]

जे०पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 20th February, 1998

S.O. 561.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st March, 1998 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

"Areas comprising the revenue villages of Asaripatti, S. Ramalingapuram and Arasiarpatty of Rajapalayam Taluk and revenue village of Pilliarkulam of Srivilliputhur Taluk in Virudhunagar District."

[No. S-38013/14/98-SS-I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1998

का०आ० 562 :—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2379 दिनांक 1 सितम्बर, 1997 द्वारा शीशा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 सितम्बर, 1997 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 मार्च, 1998 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[फा०सं० एस-11017/15/97-आई०आर० (नीति विधि) (i)]

एच० सी० गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 27th February, 1998

S.O. 562.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 2379 dated 1st September, 1997 the Lead Mining Industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 1st September, 1997;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 1st March, 1998.

[F. No. S-11017/15/97-IR(PL) (i)]

H. C. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1998

का०आ० 563 :—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2381 दिनांक 1 सितम्बर, 97 द्वारा कोल उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 सितम्बर, 1997 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 मार्च, 1998 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[फा०सं० एस-11017/2/97-आई०आर० (नीति विधि)]

एच०सी० गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 27th February, 1998

S.O. 563.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 2381 dated the 1st September, 1997 services in the Coal Industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 1st September, 1997;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 1st March, 1998.

[F. No. S-11017/2/97-IR(PL)]

H. C. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1998

का० आ० 564.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2466 दिनांक 16 सितम्बर, 1997 द्वारा बैंक नोट प्रेस, देवास को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों लिए 17 सितम्बर, 1997 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 17 मार्च, 1998 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस-11017/4/97-आई०आर० (नीति विधि)]
एच० सी० गुप्ता, अवर सचिव.

New Delhi, the 27th February, 1998

S.O. 564.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 2466 dated the 16th Sept., 1997 services in Bank Note Press, Dewas (M.P.) to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 17th Sept., 1997;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 17th March, 1998.

[No. S-11017/4/97-IR(PL)]
H. C. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1998

का० आ० 565.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि इंडिया गवर्नमेंट मिन्ट, मुम्बई में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 11 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए ।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[संख्या एस-11017/14/97-औ०स० (नी०वि०)]
एच० सी० गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 9th March, 1998

S.O. 565.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the India Government Mint, Mumbai which is covered by item 11 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/14/97-IR(PL)]
H. C. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1998

का० आ० 566.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2384 दिनांक 10 सितम्बर, 97 द्वारा इंडिया गवर्नमेंट मिन्ट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 10 सितम्बर, 1997 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 10 मार्च, 1998 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस-11017/1/97-आई०आर० (नीति विधि)]

एच० सी० गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 9th March, 1998

S.O. 566.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuapce of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. No. 2384 dated the 10th September, 1997, India Government Mint, Calcutta to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 10th September, 1997;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provisio to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 10th March, 1998.

[No. S-11017/1/97-IR (P.L.)]

H. C. GUPTA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1998